राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 56वां दिवस संख्या 23

बुधवार,

दिनांक 13 मार्च, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 8 1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा, स्वायत्त शासन, गृह, विद्युत्, जन-स्वास्थ्य, उद्योग, नगर-आयोजन व जन-सम्पर्क विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री शंकरलाल।

रायपुर व जैतारण तहसीलों में सड़क निर्माण कार्य

583. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(1) पाली जिले की रायपुर और जैतारण तहसीलों में कौन कौन सी सडकें बनाने की मांगें बिना क्रियान्विति के पडी हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन सडकों के निर्माण कार्य के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह भैंसवाडा) : (1) रायपुर तहसील तथा जैतारण तहसील में स्वीकृत क्रमश: केवल रोड पीपलिया से कुशलपुरा तथा ब्यावर-लाम्बिया-रास सडक का निर्माण शेष है। और कोई मांग विचाराधीन नहीं है।

(2) ज्योंही धनराशि प्राप्त होगी इन दो सडकों का कार्य आरम्भ करा दिया जावेगा।

श्री शंकरलाल : यह धनराशि कब तक मिल जावेगी, और कब तक काम शुरू कर सकेंगे और कब से विचाराधीन है कितना समय से अधूरा पडा है?

श्री माधोसिंह : कौनसी सडक?

श्री शंकरलाल : ब्यावर-लाम्बिया-रास सडक।

श्री माधोसिंह : अधूरी पडी है जैसे ही नये बजट में गुंजाइश हुई और धनराशि मिली इसका काम शुरू कर देंगे।

प्रश्न संख्या 584.

श्री उपाध्यक्ष: श्री रतनलाल रोत,

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 585

श्री ओमदत्त भाटी

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 586.

श्री गोरधन सोनी ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया ।

सिनेमा के टिकटों का काला बाजार ।

587. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के सिनेमागृहों में होने वाले टिकटों के काला बाजार को रोकने के लिये कानूनी व्यवस्था क्या है और क्या कोई कानून बनाने का विचार सरकार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि जयपुर के सिनेमा गृहों में पुलिस के सामने खुले रूप से टिकटों का ब्लैक हर रोज होता है और पुलिस कुछ भी नहीं करती ?

(3) क्या यह भी सरकार की जानकारी में है कि सिनेमा के टिकटों का ब्लैक करने वालों का गिरोह है जिनका और कोई धन्धा नहीं है ? तथा वे पुलिस व सिनेमा के प्रबन्धकों से मिले हुए हैं जिससे उनको हर क्लास के टिकट बिना बुकिंग की खिडकी के ही मिल जाते हैं व बुकिंग की खिडकियों पर नाम मात्र के टिकट बेचे जाते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार जनता की इस खुली लूट को रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठावेगी ? यदि हां, तो क्या ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) सिनेमा के टिकटों की काला बाजारी रोकने के लिए राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट एन्ड एडवटिइजमेन्ट रूल्स के नियम 10 (2) में उपयुक्त प्रावधान है ।

(2) जयपुर के सिनेमा गृहों में टिकटों की चोर बाजारी की पुलिस के सामने कोई घटना नहीं हुई व न उनकी जानकारी में है ।

(3) सिनेमा के टिकटों का ब्लैक करने वाला कोई संगठित गिरोह नहीं है और पुलिस द्वारा उक्त अपराध में सहयोग देने की बात निराधार है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जब भी टिकटों की बुकिंग चालू होती है तो क्या वहां पुलिस नहीं रहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रहनी चाहिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया : फिर ब्लैक होता है तो पुलिस के सामने ही तो होता है । फिर कैसे मना करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब मंजूर किया है कि ब्लैक होता है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो आप यह भी मानते हैं कि ब्लैक नहीं होता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी सूचना में ब्लैक नहीं होता ।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसका अनुभव मंत्री महोदय ने जाकर किया है कभी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे सिनेमा देखे 14 साल हो गये ।

श्री केशरीसिंह : नाचघर में जाते होंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं सूचना देता हूं आपको। मैं सिनेमा जाता हूं और रोज यह ब्लैक देखता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपसे सूचना ली और पुलिस के पास भेज दूंगा कि वे निगरानी रक्खें और वे आप से दर्याफ्त कर लेंगी।

श्री श्रवणलाल : पुलिस इनके पीछे लगवा दीजिये।

मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया वह सन्तोषप्रद नहीं है। सब का यह अनुभव है कि पिक्चर कोई स्टार्ट होती है तो एक दो हफ्ता तक ब्लैक होता है। खिडकी से तो दस बीस टिकट ही दिये जाते हैं। मैनेजर अपने गुंडों के द्वारा और पुलिस की मदद से ब्लैक करता है। दो दो और तीन तीन गुना तक ब्लैक होता है। और पुलिस वाले देखते रहते हैं, मिले हुए होते हैं। मंत्री महोदय कभी मेरे साथ चलें। आज ही चलें। मैं उनको बता दूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने गिरोह के लिये मना किया है, मेरी जानकारी में है जयपुर में गुंडों का एक गिरोह है जो यही धन्धा करता है। उनके पास और कोई दूसरा धन्धा नहीं है और पुलिस वालों से और खास तौर से सिनेमावालों से मिले हुए हैं। उनको पहले ही टिकट दे दिये जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कहा। मैंने जैसे अर्ज किया पुलिस के अफसर माननीय सदस्य से सम्पर्क स्थापित कर लेंगे वे अपनी जानकारी उनको दे दें।

श्री केशरीसिंह : क्या मंत्री महोदय यह मुनासिब नहीं समझते कि जब नई पिक्चर आए तो वे अनिवार्य रूप से उसकी दस पन्द्रह दिन पहले से बुकिंग एडवान्स में कर लें ताकि फिर ब्लैक का सवाल ही उत्पन्न न हो?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा रूल्स में प्रावधान नहीं है।

श्री केशरीसिंह : तो फिर आप प्रावधान कर दीजिये, नहीं तो फिर आप ब्लैक कराना चाहते हैं यह साफ है। कराइये तो फिर यह।

मोटर की खरीद के लिये टेण्डर

588. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) रतनगढ़ नगर से छः मील दूर लोहा ग्राम में कुये पर जो पम्पिंग सैट लगा है, उसमें जो मोटर लगी है वह किससे खरीदी गई है ?

(2) क्या उसकी खरीद के लिये टेण्डर निकाला गया था ? अगर नहीं तो क्यों ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) उन मोटरों का राजस्थान विद्युत् मण्डल से कोई संबंध नहीं है। अतः यह नहीं कह सकते कि किस से खरीदी गई है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लाभचन्द वैद : जिस कुए में मोटर लगी है वह व्यक्तिगत है या सरकार की है ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अब यह किसकी है यह मैं नहीं कह सकता यह प्रोपर्टी विद्युत् मण्डल की नहीं है न उसने खरीदी न टेण्डर इन्वाइट किये। उससे विभाग का कोई संबंध नहीं है।

Page No. 4

ग्राम हाडेचा में पानी की समस्या

589. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम हाडेचा तहसील सांचोर में पीने के पानी की विकट समस्या है ? अगर हां, तो ग्राम हाडेचा की जलप्रदाय योजना की प्रगति अब तक क्या हुई है ?

(2) ग्राम हाडेचा की जलप्रदाय योजना कब तक सम्पूर्ण हो जावेगी तथा वहां के लोगों को इस योजना द्वारा पीने का पानी कब तक मिल सकेगा ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम बीछीवाडी काछेला व बगसडी में भी पीने का मीठा पानी नहीं है ? अगर हां, तो वहां के लोगों को पीने को मीठा पानी सरकार द्वारा कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ? वहां की समस्या हल करने की योजना क्या है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रासिंह): (1) जी हां। योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(2) योजना बनाई जा रही है।

(3) जी हां, हाडेचा व इन गांवों के लिये एक क्षेत्रीय जल योजना बनाये जाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह कब से बनाई जा रही है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : 57 से

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अब 68 तो हो गया है और कितने साल वेट करना पड़ेगा ? इस एरिया में गांवों में बिलकुल पानी नहीं है, पांच पांच मील दूर से सिर पर घडा रख कर लाना पडता है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हम इसके प्रति पूर्ण रूप से जागरुक हैं। पर उस इलाके के आसपास मीठा पानी ही उपलब्ध नहीं है। अब आडेचा बीछावाडी काछेला से आठ मील सीमा सुरक्षा वालों ने जो पानी निकाला है उसमें से ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पर उसकी योजना के अनुसार एक व्यक्ति पर पचास रुपया से ज्यादा खर्च आ रहा है जिसकी टैक्निकल स्वीकृति के लिये भारत सरकार को भेजा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय जो 8 आना प्रति व्यक्ति लगाया है इसमें 10 गांव ऐसे हैं कि जिनकी जनसंख्या मिलाते हैं तो 8 आने से कम आता है। उसकी रिवाइज्ड स्कीम बना ली है तो वह प्रश्न इसमें उपस्थित नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : केवल हाडेचा गांव के लिये तो 200 रुपया प्रति व्यक्ति आता था वह 8-9 गांव हैं जिनको सब को हमने शामिल कर लिया है उसके बाद में भी इसका खर्चा 50 रुपया प्रति व्यक्ति से ज्यादा आ रहा है। हमारे चीफ इन्जीनियर एम्पावर्ड नहीं हैं कि 50 रुपये से ज्यादा कर सकें इसलिये उसके लिए टेक्नीकल एप्रूवल के लिए गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के पास भेजा हुआ है हम उसका इन्तजार कर रहे हैं और जैसे ही एप्रूवल होकर आयेगी हम काम शुरू करा देंगे।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : वीछावाडी, काछेला व बगसडी यह तीन गांव रिवाइज्ड स्कीम में अब मिलाये है उसमें 8 आने वाली आपको डिफिक्ल्टी नहीं आती। पहले स्कीम थी उसमें 8 आने वाला सवाल था।

श्रीमती सुमित्रासिंह: में फिर निवेदन कर दूं कि खर्च 50 रुपये से ज्यादा आ रहा है जिस अकेले गांव की आप बात कर रहे हैं उसका तो 200 रुपया खर्च प्रति व्यक्ति आता था।

श्री **उपाध्यक्ष** : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 590

श्री अमीलाल यादव :

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

राजस्थान स्पोर्ट स कौन्सिल को दी गई धनराशि

591. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल कब से काम करती है और उसकी सरकार ने किस किस वर्ष में कितनी कितनी धनराशि किस किस काम के लिये दी है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उस कौंसिल के तत्वावधान में आज तक कितने खेल के मैदान बन चुके हैं और आगे कितने बनाने की योजना है ? इसकी भी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या कौंसिल के पास अपनी प्रवृत्तियों (एक्टीविटीज) के भावी विकास के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) इस कौंसिल के कौन कौन पदाधिकारी हैं और उनको क्या क्या ऑनरेरीयम मिलता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) यह 1957 में स्थापन की गई थी और उस ही समय से कार्य कर रही है। कौंसिल को सरकार द्वारा दी गई धनराशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त कौंसिल खेल के मैदान बनाने का कार्य स्वयं नहीं करती है किन्तु कुछ खेल के मैदान एवं टैंकों के बनाने में अनुदान प्रदान किया है। जिन संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रारम्भ की गई प्रवृत्तियों को चालू रखते हुए उनके विकास के लिये कुछ और ग्रामीण खेलकूद केन्द्र तथा क्षेत्रीय खेलकूद केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

(4) कौंसिल के निम्न पदाधिकारी हैं तथा इन्हें किसी प्रकार का कोई ऑनरेरियम नहीं मिलता है :

1. श्री पूनमचंद विश्नोई –अध्यक्ष
2. श्री वी. एन. काक––उपाध्यक्ष
3. श्रीमती सावित्री भारतीया कोषाध्यक्ष

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री **मूलचन्द डागा** : एक बात तो मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के

(श्री मूलचन्द डागा)
खिलाडियों ने नाम किया लेकिन आपका ध्यान जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की तरफ ही है। खिलाडी आपको गांवों में ज्यादा मिलेंगे और वहां पर आपका ध्यान नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : वहां का विकास करने के लिये विशेष रूप से 1 लाख का प्रावीजन इसलिये किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको आगे बढाया जा सके।

श्री मूलचन्द डागा: आपने कौन से काम में स्पोर्ट्स कौंसिल की मदद की ?

श्री शिवचरण माथुर : अब तक 71 केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में चलते हैं जो कि हर जिला परिषद् के प्रमुख को जानकारी है। प्रत्येक जिले में 2-3 केन्द्र अब भी चल रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रूरल स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिये आपने क्या किया है ?

श्री शिवचरण माथुर : रूरल स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिये वहां पर 200 रुपये का सामान खरीदने के लिये मदद देते हैं और जब कभी टूर्नामेन्ट्स वगैरह होते हैं तो अलग से मदद की जाती है।

श्री केदारनाथ : उसमें आफिशियल और नान-आफिशियल्स कौन हैं और उनकी टर्म आफ लाइफ क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : इसकी जानकारी अलग से दी जा सकती है।

श्री केदारनाथ : क्या आप नहीं समझते कि उसमें नान-आफिशियल्स का चुनाव हो ?

श्री शिवचरण माथुर : चुनाव की आवश्यकता नहीं है।

श्री केदारनाथ : इसके फण्ड्स का डिस्ट्रिक्टवाइज एलोकेशन का प्रावधान है क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : नहीं है। जिस क्षेत्र से अधिक मांग आती है और जहां अधिक गुंजाइश होती है उसको अधिक देने की कोशिश की जाती है। वैसे 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अलग अलग आधार पर काम करते हैं। वैसे एक्टीविटीज के ऊपर डिपेन्ड करता है। कहीं एक्टीवीटीज ज्यादा हैं तो ज्यादा दिया जाता है। जो गुंजाइश है अलग अलग जिले में उनके जिस प्रकार के प्रावधान होते हैं राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल मदद करती है।

श्री श्रवणलाल : ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता के लिये आपके यहां नियमों में क्या प्रावधान है ?

श्री शिवचरण माथुर : वहां सामान की खरीद के लिये 200 रुपया की धनराशि दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 592

श्री **विद्यासागर**

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 593

श्री **विजयसिंह**
(अनुपस्थित–कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 592

श्री **परसराम गंगाराम** :

श्री उपाध्यक्ष : आपने अथोरिटी प्रस्तुत नहीं की।

राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल पर व्यय

594. श्री **श्रवणलाल** (हिन्डौन सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल कब से कार्य कर रही है ?

(2) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल पर किस किस मद में सरकार का कितना कितना रुपया 1967 तक व्यय हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल के जनरल मैनेजर ने हवाई जहाज से दौरे किये हैं ? यदि हां, तो कब कब और कहां कहां के ? प्रत्येक हवाई जहाज के दौरे पर कितना कितना खर्चा हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि स्पोर्ट्स कौंसिल में विदेशी शराब मंगाने का प्रावधान भी है ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में कितनी कितनी शराब मंगवाई गई है ?

(5) शराब का उपयोग किसके लिए किया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये। मैंने और जानकारी चाही है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री **उपाध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

नैक्स्ट, श्री हरलाल मीणा।

महिला को हत्या–ग्राम डोराना

595. श्री **हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़-सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ के ग्राम डोराना में एक महिला को बन्दूक की गोली लगा कर किसी घर में मार दिया गया ? यदि हां तो कब और क्यों मारा ?

(2) क्या इस मामले की रिपोर्ट पुलिस थाना अरनोद में की गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट किस तारीख को की गई और पुलिस मौके पर किस तारीख को पहुंची ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां, दिनांक 31-7-67 को रिपोर्ट थाना एस. एच. ओ. अरनोद को की गई और उसी रोज दिनांक 31-7-67 को पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद तफतीश केस का चालान भी हो चुका है।

श्री **हरलाल मीणा** : इस औरत को किस ने और क्यों मारा ?

श्री **खेतसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष जी, यों तो अब यह मामला सबजुडिस है। इतना मैं बतला देता हूं कि इस औरत का नाम लक्ष्मीबाई था और इसको भूतपूर्व ठाकुर दलपतसिंह ने मारा।

श्री **हरलाल मीणा** : क्या यह भी सही है कि ठाकुर साहब ने महिला से मुर्गा मांगा और नहीं देने से उस महिला को गोली मार दी ?

श्री **खेतसिंह** : जी हां, यह सही है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह ठाकुर साहब स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष थे ?

Page No. 8

श्री **खेतसिंह** : यह तो मालुम नहीं कि अध्यक्ष स्वतंत्र पार्टी के थे या नहीं लेकिन उनका 302 में चालान हो गया है मरडर के अन्दर।

श्री **श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या यह सही है कि यह महिला विधवा थी और अपने पीछे 2 बच्चे छोड गई ?

श्री **खेतसिंह** : औरत विधवा थी और बच्चे कितने छोड गयी यह मालुम नहीं है।

श्री **श्रवणलाल** : क्या मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह विधवा थी उसके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए विभाग से किसी प्रकार की सहायता देने के लिए विचार रखा है ?

श्री **खेत सिंह** : पुलिस विभाग में तो पुलिस कर्मचारी मर जाता है तो दी जाती है वैसे समाज कल्याण से कोशिश की थी।

श्री **हरलाल मीणा** : जिस दिन गोली मारी थी उस दिन क्या मौके पर पुलिस पहुंच गई थी ?

श्री **खेतसिंह** : जी हां। मैंने अपने जवाब में निवेदन किया है कि मौके पर पुलिस पहुंच गई थी।

श्री **हरलाल मीणा** : पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।

श्री **खेतसिंह** : यह तो आप कह रहे हैं। अब तो चालान भी हो गया है और केस जेर तफतीश है। उसमें दिक्कत की क्या बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

नल योजना का कार्य—नीम का थाना

596. श्री **मोहनलाल मोदी** (नीम-का थाना) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नीमकाथाना म्युनिसिपल क्षेत्र में नल योजना का कार्य चालू किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि स्टाफ क्वार्टर व टैंक बनाकर कार्य बन्द कर दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक कुए खोदने का कार्य चालू नहीं किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि टैंक में पानी नहीं भरने से यह टैंक फट जावेंगे और जो रुपया सरकार द्वारा लगाया गया है वह बेकार हो जावेगा और दुबारा मरम्मत कराने पर रुपया लगाना पड़ेगा ?

(5) अब कब तक कुएं खुदवा कर पानी सप्लाई करने का कार्य चालू कर दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रासिंह) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं, कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां, यह कार्य आने वाले माह अप्रेल में शुरू कर दिया जायेगा।

(4) जी नहीं।

(5) कुएं खुदवाने का कार्य माह अप्रेल में शुरू किया जायेगा। अन्य कार्यों को सम्पूर्ण करके जल वितरण योजना शुरू

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है बशर्ते कि आवश्यक धन समय पर उपलब्ध हो सके।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। कार्य बन्द हो गया है टैंक बनने के बाद कार्य बिलकुल बन्द है। यह मंत्री महोदय ने जो कहा वह बिलकुल गलत है। यह कार्य क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि इस समय कार्य जरूर बन्द है लेकिन अधूरा नहीं छोड़ा गया है। टैंक की जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसके निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया है। इस साल 20 लाख बजट में प्रावधान होते हुए भी हमने 96 लाख रुपया इस वर्ष में खर्च कर दिया है।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या यह आवश्यक नहीं है कि पहले कुएं बनाये जायें और बाद में टैंक बना दिये जायें ? पहले टैंक बना देने से किस काम में आयेंगे ? 2 वर्ष में आप स्कीम पूरी करेंगे, आपके पास पैसा नहीं है, वह टैंक बने हुए हैं और उन टैंकों को नहीं भरने से वह फट जायेंगे और पैसा बरबाद हो जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने निवेदन किया कि टैंक बन गये हैं लेकिन टैंक बनने के बाद और उनमें पानी भरने के बाद उनको टैस्ट कर लिया जायेगा, तब ही ठेकेदार को पैसे दिये जायेंगे। अगर वह फट जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की है विभाग की नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : ठेकेदार तो पैसा भी ले चुका है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जी नहीं, हमने अभी पैसा नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरजीराम।

सड़क निर्माण कार्य-डीडवाना

597. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीडवाना निर्वाचन क्षेत्र में गत 1-12-66 से 1 मार्च, 67 तक सड़कों पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(2) कौन कौन सी सड़कों पर आज भी कार्य चल रहा है तथा इन सड़कों के कार्य को प्राथमिकता किस आधार पर दी गई है ?

(3) ये सड़कें विभागीय तौर पर बनाई गई हैं अथवा किसी ठेकेदार को ठेके पर दी गई हैं ?

(4) 1 अप्रेल, सन् 1965 से आज तक डीडवाना निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(5) इस अवधि में सड़कों का यदि कोई ठेका दिया गया है तो कितने परसेन्ट एबव पर किन किन ठेकेदारों को ठेका दिया गया है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह) : (1) 66,084 स्टेट प्लान से तथा 84,206 अकाल राहत कार्य पर व्यय किये गये हैं।

(2) इस समय किसी भी सड़क पर कार्य नहीं हो रहा है।

Page No. 10

(उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग)

(3) कुछ सडकें विभागीय माध्यम तथा कुछ सडकें ठेकेदारों के माध्यम से कराई गई हैं।

(4) 1,50,290) रु. व्यय हुआ है।

(5) ठेके ठेकेदारों को बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स पर ही दिये गये हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न नं. 2 में आपने बताया कि इस समय सड़कों का कार्य नहीं दिया, लेकिन मैंने यह भी पूछा था कि प्राथमिकता किस आधार पर दी गई थी, यह नहीं बताया आपने ?

श्री माधोसिंह : इसके लिए आधार मुकर्रर नहीं है जैसी जरूरत समझते हैं और जिस कार्य की आवश्यकता समझते हैं उसको कर दिया जाता है।

श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डौली) : जरूरत का मापदण्ड क्या है ?

श्री हरजीराम बुरड़क : डीडवाने के लिए क्या आधार माना था इन सड़कों का।

श्री माधोसिंह : क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : डीडवाने के लिए इन सड़कों को बनाने का क्या आधार था ?

श्री माधोसिंह : बड़े बड़े गांव थे तो सरकार की योजना होगी। कहीं अकाल था तो अकाल का काम किया गया।

श्री विजयसिंह (मकराना) : बड़े बड़े गांव तो मकराने में थे वहां क्यों नहीं बनाई आपने ?

श्री माधोसिंह : छोटों का नहीं बड़ों के लिए।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : भैंसवाड़ा को भी लिंक किया कि नहीं आपने ?

श्री हरिदेव जोशी : कर दिया।

श्री हरजीराम बुरड़क : ठेकेदारों से बनवाने का आपने बताया है तो इसमें टेन्डर मांगे गये थे या शेडूल आफ रेट्स पर काम एलाट किया गया था ?

श्री माधोसिंह : काम एलाट कर दिया गया था। बहुत जल्दी का कार्य होता है तो काम एलाट कर दिया जाता है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : ऐसी क्या जल्दी थी ? इसको प्राथमिकता जल्दी की क्यों दी गई ?

श्री माधोसिंह : विभागीय तौर से वहां कार्य जल्दी ही सम्पूर्ण करना होता है..

श्री दौलतराम सारण : मैं इधर-उधर का नहीं पूछता हूँ। मैंने एक पर्टीक्यूलर प्रश्न पूछा है कि इस काम की इतनी क्या जल्दी थी कि जिससे टैन्डर इन्वाइट नहीं किये गये और न इसमें विभाग ने देरी करने म सुस्ती की और बड़ी तत्परता से फौरन शेडूल ऑफ रेट्स पर यह काम कराया गया ?

श्री माधोसिंह : गवर्नमेन्ट के नियमों के अनुसार सोसाइटी को काम दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि चुनावों के समय यह कार्य करवाया गया ?

श्री माधोसिंह : चुनावों का समय हो तो भी गवर्नमेन्ट का काम रुकता नहीं है।

श्री **दौलतराम सारण** : अब तो एक पैसा नहीं है गवर्नमेन्ट के पास। स्टाफ बैठा हुआ है। अब क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री **माधोसिंह** : पैसा होता है तो काम करवाते हैं। माननीय सदस्य तो वाकिफ हैं गवर्नमेन्ट में रहे हुए हैं।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इन सड़कों के निर्माण कार्य के लिए बजट में पैसे का प्रावधान नहीं था ?

श्री **माधोसिंह** : गवर्नमेन्ट के प्लान के अन्दर सेन्कशन थी और फैमीन का काम था इसलिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं।

श्री **भैरोंसिंह** : यह फैमीन विभाग के अन्तर्गत है या पी. डब्ल्यू. डी. ने अपनी तरफ से लिया है ?

श्री **माधोसिंह** : पी. डब्ल्यू. डी. ने अपने विभाग की ओर से किया है और..

श्री **भैरोंसिंह** : यह रुपया फैमीन के हैड में चार्ज होगा या पी. डब्ल्यू. डी. के हैड में ?

श्री **माधोसिंह** : जो प्लान का था वह पी. डब्ल्यू. डी के हैड में और जो फैमीन का वर्क था वह फैमीन के हैड में चार्ज किया गया है।

श्री **उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न।.

श्री **भैरोंसिंह** : नहीं, उपाध्यक्ष। कितना पी. डब्ल्यू. डी. से चार्ज किया गया है और कितना फैमीन से किया गया है ?

श्री **माधोसिंह** : (कागज टटोलते हैं)

श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ठेकेदारों के नाम छिपाये गये हैं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है और यह सारे का सारा रुपया चुनाव में खर्च किया गया है।

श्री **माधोसिंह** : 66,084) रु. पी. डब्ल्यू. डी. से और 84,206) रु. अकाल से।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि पी. डब्ल्यू. डी. ने जो काम कराया है वह पी. डब्ल्यू. डी. की मैन्युअल के अनुसार जिस प्रकार से काम आरम्भ करना चाहिए था और पूरा करना चाहिए था नहीं हुआ ?

श्री **माधोसिंह** : पी. डब्ल्यू. डी. के नियमानुसार किया गया ?

श्री **भैरोंसिंह** : क्या पी. डब्ल्यू. डी. के नियमों में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को विना सेन्क्शन के और बिना टेन्डर के काम आरम्भ करने का अधिकार है ?

श्री **माधोसिंह** : एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को उसके खुद के अधिकार हैं कि बिना टेन्डर के काम करा सकता है।

श्री **उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के लिए जांच होनी चाहिए कि यह रुपया चुनावों के लिए खर्च किया गया है। यह अनाधिकार चेष्टा की गई है। इसके लिए कमीशन विठाया जाय। इसकी एन्क्वायरी कराई जाय और मंत्री से वसूल किया जाय यह रुपया।

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! प्रोफेसर केदार !

श्री हरजीराम बुरड़क : ठेकेदारों के नाम बतायें जायं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : ठेकेदारों के नाम बताएं कृपया मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : ठेकेदारों का नाम।

श्री माधोसिंह : ठेकेदारों का नाम––मेसर्स लेबर कान्ट्रेक्टर सहकारी समिति, जयसिंह शिवबख्श।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने तो सोसाइटी का कहा था और आपने व्यक्तिगत नाम बताये हैं।

श्री माधोसिंह : छोटे छोटे काम जो थे वे दो आदमियों को दिये गये और जो बड़ा काम था वह सोसाइटी को दिया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है। इस प्रश्न को इस तरह से नहीं टाला जा सकता है। यह सारा पैसा चुनावों में खर्च हुआ है वित्त मन्त्रीजी को जिताने के लिए। इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार!

श्री विजयसिंह (मकरोना) : उपाध्यक्ष महोदय, 593।

श्री उपाध्यक्ष : नो, 598, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी।

बीकानेर नगर विकास मण्डल में नियुक्तियां

598. **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) बीकानेर नगर विकास मण्डल में गत तीन वर्षों में कितने कर्मचारी रखे गए?

(2) उनकी नियुक्ति एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से नाम मंगवा कर दी गई है या सीधे ही? यदि किसी की सीधे ही नियुक्ति हुई है तो किसने किसके आदेश से की?

(3) क्या यह सही है कि इसमें ऐसे भी कर्मचारी हैं जो निश्चित उम्र से अधिक हैं?

(4) यदि गलत नियुक्तियां हुई हैं तो सरकार उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (2) 2 कर्मचारियों की नियुक्ति एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज द्वारा कार्ड प्राप्त होने पर की गई तथा बाकी के 4 कर्मचारियों की नियुक्ति बिना कार्ड प्राप्त किये भूतपूर्व अध्यक्ष ने की।

(3) श्री रघुनाथ व्यास को छोड़ कर शेष कर्मचारियों की उम्र निश्चित उम्र से अधिक नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : आवाज साफ नहीं आ रही है। जरा जोर से बोलें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : श्री रघुनाथ व्यास को छोड़ कर शेष कर्मचारियों की उम्र निश्चित उम्र से अधिक नहीं है। हैड क्लर्क का पद रिक्त होने के कारण श्री रघुनाथ व्यास को काम चलाने हेतु रखा गया और अपनी टर्म समाप्त होने पर हटा दिया गया।

(4) जो नियुक्तियां अस्थाई तौर पर की गई हैं उन्हें किसी भी समय सेवा मुक्त किया जा सकता है।

Page No. 13

श्री केदारनाथ : इन 6 में से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज के कार्ड्स नहीं मिले हैं तो ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति थी कि उनको नियुक्त करना पड़ा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष का अधिकार है और उन्होंने उस अधिकार को काम में लेते हुए यह नियुक्तियां की हैं। यह सही बात है कि कुछ कर्मचारियों के पास एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज के कार्ड्स नहीं हैं, लेकिन वे अब नौकरी से अलग हो गये हैं और केवल दो आदमी रहे हैं।

श्री केदारनाथ : क्या अध्यक्ष बिना एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के नियुक्त कर सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको चाहिए तो यह था कि एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज के जरिये कार्ड प्राप्त किये हुए व्यक्तियों को एम्प्लाय करें, लेकिन गवर्नमेंट आफिसेज में तो ट्रेजरी आफिसर के जरिये बिल वगैरह की भुगतान होती है, तो बिना उसके तनख्वाह पास नहीं होती है, लकिन इस क्षेत्र में उनके यहां तो तनख्वाह टी. ओ. से पास नहीं होती है, इसलिये पेमेण्ट होता रहा। इसलिये अब गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती।

श्री केदारनाथ : पार्ट 3 में आपने जैसा कि फर्माया कि सिवाय रघुनाथ व्यास के सब निश्चित उम्र के हैं तो इनकी उम्र का रिलेक्सेशन किस के आदेश से हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एज क्या थी यह मुझे मालूम नहीं है लेकिन जो 25 की उम्र होनी चाहिये उससे अधिक थी। वे तो अब नौकरी में हैं भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री विजयसिंह मकराना : उपाध्यक्ष महोदय, 593।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

दैनिक "न्याय" व साप्ताहिक "न्याय"

599. श्री **विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सही है कि दैनिक "न्याय" व साप्ताहिक "न्याय" अजमेर के रजिस्ट्रेशन नम्बर एक ही हैं ? यदि हां, तो दोनों पत्रों को अलग अलग पत्र किस आधार पर माना गया है ?

(2) क्या यह सही है कि दो अखबार मानकर दैनिक एवं साप्ताहिक न्याय को अलग अलग सरकारी विज्ञापन दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब से और कितने कितने मूल्य के दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पत्रों के पोस्टल एवं, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फार इन्डिया के रजिस्ट्रेशन नम्बर एक ही होते हुए भी अलग अलग श्रेणी में मान कर विज्ञापन दिये गये ?

(4) क्या उक्त पत्र "न्याय" अजमेर प्रकाशक ने राज्य सरकार को धोखे में रख के दोहरे विज्ञापनों का लाभ उठाया है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकाशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

राज्य मंत्री, जन-सम्पर्क (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां। "न्याय" साप्ताहिक एवं दैनिक, अजमेर का पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर एक ही है . . .

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मुझे सूची नहीं मिली है।

श्री केशरीसिंह हाडा : मंत्री महोदय, क्या उसको पढ़ कर सुना देंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जी हां। "न्याय" साप्ताहिक एवं दैनिक, अजमेर का पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर एक ही है। साप्ताहिक व दैनिक की प्रकाशन अवधि पृथक् 2 होने के कारण इन्हें अलग-अलग माना गया है।

(2) जी हां। "न्याय" दैनिक व साप्ताहिक को अलग-अलग अखवार मानकर ही अलग अलग विज्ञापन दिये गये हैं। दिये गये विज्ञापनों की सूची निम्न प्रकार है:—

(1) "न्याय" साप्ताहिक, अजमेर सरकारी विज्ञापन के लिये विकृत होने का नोटिस विकृत होने के बाद जनवरी, 68 तक कितने मूल्य के विज्ञापन दिये गये। 7,546.00 रु.

क्रम संख्या	नाम पत्र	सरकारी विज्ञापन के लिये स्वीकृत होने की तारीख	कितने विज्ञापन दिये गये, कितने मूल्य के स्वीकृत होने के बाद जनवरी, 68 तक
(1)	'न्याय' साप्ताहिक, अजमेर	2166	7,546.00 रु.
(2)	"न्याय" दैनिक, अजमेर को	2-67	8222.00 रु.

। दोनों के पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर जे-4 ही है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फार इन्डिया का रजिस्ट्रेशन नम्बर 'न्याय' दैनिक ने सूचित नहीं किया है। नियत तालिका के आधार पर अलग 2 विज्ञापन दिये गये हैं।

(4) जी नहीं।

इसमें सूची का सवाल नहीं है। जो आपको पूछना हो पूछ लें।

श्री विजयसिंह रावत : आप कहते हैं कि इसमें सूची का सवाल नहीं है लेकिन आपने सूची पढ़ी है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने पढ़ कर सुनादी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि न्याय अखबार के संपादक ने नेहरू उत्थान और पतन नामकी पुस्तक लिखी थी जिसकी शिकायत हुई और भारत सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था कि इस अखबार को एडवरटाइजमेन्ट नहीं दिये जायं ?

जन संपर्क मंत्री, (श्री हरिदेव जोशी) : उन्होंने लिखा था इस प्रकार की पुस्तक छापी है। भारत सरकार ने एडवरटाइजमेन्ट नहीं देने का लिखा हो उसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को लिखा गया था कि इस प्रेस के खिलाफ दावा किया जाय ? राज्य सरकार ने इसकी जांच की और भारत सरकार को लिखा और उसके बाद भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को पत्र लिख कर भेजा कि इसको किसी प्रकार प्रोटेक्शन, एडवरटाइजमेन्ट नहीं दिया जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एक ही रजिस्ट्रेशन नं. के आधार पर दो पत्र चल रहे हैं इसलिये इसको एडवरटाइजमेन्ट दिये जाते हैं उनकी उपयोगिता नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : पत्रों को एडवरटाइजमेन्ट देने के संबंध में केटेगोराइजेशन कमेटी अपोइन्ट की थी उसने जितनी सिफारिश की है उसी केटेगरी के आधार पर एडवरटाइजमेन्ट्स मिल सकते हैं उससे भी ज्यादा सहायता आपने इस पत्र की की ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपके अनुसार इन दोनों की केटेगरी में कितना अंतर था ?

श्री हरिदेव जोशी : दैनिक सी केटेगरी में और साप्ताहिक बी केटेगरी में है। कमेटी ने साप्ताहिक को ए केटेगरी में रखा था। दैनिक सबसे नीची सी केटेगरी में है।

श्री भैरोंसिंह : सी केटेगरी में जितने पत्र हैं उनको जो एडवरटाइजमेन्ट मिलता है उनसे अधिक एडवरटाइजमेन्ट इस पत्र को मिले हैं और बी केटेगरी से भी अधिक मिले हैं ? अधिक एडवरटाइजमेन्ट्स इस पत्र को मिले हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करदूं कि माननीय सदस्य को शायद भ्रम है कि पत्र एक ही है और दो पत्रों के तौर पर एडवरटाइजमेन्ट लेता है। दैनिक पत्र यह है (पत्र दिखाते हैं) और साप्ताहिक पत्र यह है (पत्र दिखाते हैं) जो इन्डिपेन्डेन्टली अलग निकलता है। इसका सर्क्यूलेशन अलग है, मेटीरियल अलग है इसलिये ऐसी शंका करना कि एक ही पत्र को दो तरह के एडवरटाइजमेन्ट्स दिये जाते हैं, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या यह सत्य है कि यह पत्र मिनिस्टरों के ज्यादा फोटो छापता है इसलिये इसको अधिक एडवरटाइजमेन्ट्स दिये जाते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : अब तक मैंने इसको इस दृष्टि से नहीं देखा है। अब देखूंगा।

श्री विजयसिंह रावत : "साप्ताहिक" न्याय कब चालू किया गया था डेट बता सकते हैं क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : "साप्ताहिक न्याय" बहुत पुराना है, तारीख मेरे पास नहीं है। शायद यह पहले प्रकाशित हुआ है। इसका स्टेन्डिग 17 वर्ष का है।

श्री विजयसिंह रावत : दैनिक कब कनवर्ट हुआ इसकी तारीख बता सकते हैं क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां, बता सकता हूं। यह संभवतः सन् 66 में प्रारम्भ हुआ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि "साप्ताहिक न्याय" निकलता था उससे दैनिक न्याय कनवर्ट हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : उससे कनवर्ट नहीं हुआ। दैनिक न्याय अलग पेपर है।

श्री विजयसिंह रावत : अलग पेपर है तो क्या यह सही है कि दोनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर एक ही है और एक ही रजिस्ट्रेशन नम्बर होने से आपत्ति जनक है ? एक ही पेपर एक ही मालिक का होते हुए भी दो पेपर्स की तरह, आप इसको एडवरटाइजमेन्ट क्यों देते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : रजिस्ट्रेशन नम्बर एक है और एक ही मालिक का है इससे कोई फर्क नहीं है। एक ही एडिटर कई पेपर्स का हो

(श्री हरिदेव जोशी)
सकता है और एक ही मालिक कई पेपर निकाल सकता है। अलग अलग नाम से अलग अलग पेपर निकलते हैं और अलग अलग ढंग से निकलते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि "सप्ताहिक न्याय" और "दैनिक न्याय" दोनों पेपर्स में से दैनिक प्रकाशन के नम्बर में हेर फेर की है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री विजयसिंह रावत : आप जानकारी करलें।

श्री हरिदेव जोशी : जरूरत नहीं है, जानकारी करके ही उत्तर दे रहा हूं।

श्री विजय सिंह रावत : मुझे मालूम है कि यह ब्लेक लिस्ट हुआ था, आपने और श्री कौल जो हार गये हैं उनका कृपा पात्र बन कर इसने एडवरटाइजमेन्ट्स प्राप्त किये हैं। आप चैक अप करलें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य यह नहीं समझें कि जो जवाब सदन में दिया वह जिम्मेदारी से नहीं दिया है। आपके पूर्व माननीय सदस्य ने केटेगोरिकली सवाल पूछा था उसका जवाब मैंने केटेगोरिकली दिया है। यह पेपर कभी ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया था। एडवरटाइजमेन्ट मिलें नहीं मिलें यह दूसरी बात है लेकिन इसको ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया था।

श्री विजयसिंह रावत : ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया था तो उसके लिये रिकमन्ड किया गया होगा।

श्री हरिदेव जोशी : अभी तो आप ब्लेक लिस्ट करने का कह रहे थे अब दूसरी बात कहने लगे।

श्री विजयसिंह रावत : भारत सरकार की तरफ से इसको ब्लेक लिस्ट करने के लिये रिकमन्ड किया गया था। इसने नेहरूजी के बारे में किसी सभ्य समाज के नहीं पढ़ने लायक बात लिखी थी इसलिये भारत सरकार ने इसके बारे में लिखा था लेकिन श्री कौल ने और आप श्री हरिदेव जोशी दोनों ने मिल कर इसको 7.8 हजार रुपये एडवरटाइजमेन्ट के देदिये। यह बड़े खेद की बात है कि देश के होनहार बड़े नेता के बारे में जो लान्छन लगाता है उसी को आप लोग संरक्षण देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरिदेव जोशी : इसका उत्तर देने की आवश्यकता है, मुझे इजाजत दें तो दे दूं।

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या यह सही है कि इस साप्ताहिक पेपर ने माननीय सदस्य के बारे में कोई ऐसी खबर निकाली थी जो आश्चर्यजनक थी ?

श्री हरिदेव जोशी : दरअसल में इसका क्रेडिट मुझे और कौल साहब को देना चाहिये कि एक माननीय सदस्य के कहने के अनुसार एक ऐसे पत्र को जो अनसोशियल टाइप का था उसको इस ढंग से कनवर्ट किया कि वह सोशियल टाइप का हो गया।

श्री रोशनलाल : क्या यह सही है कि न्याय अखबार के अंदर माननीय सदस्य के बारे में कोई एसी खबर छपी थी जिसके कारण इनको उसका विरोध करना पड़ा ?

श्री **उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

राजस्थानी श्रमिकों को प्राथमिकता

600. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डौली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा स्थित डी. सी. एम. की एस. बी. सी. आई. और श्री राम रेयॉन्स व जे. के. सिन्थेटिक्स को लाइसेन्स कब दिए गये थे ?

(2) लाइसेन्स प्रदान करने से पूर्व सरकार ने राजस्थानी श्रमिकों को किस प्रतिशत में इनमें काम देने का मुहायदा किया था ?

(3) इन कारखानों में उच्च स्तरीय कर्मचारी कुल कितने हैं तथा इनमें से राजस्थान के कितने हैं और बाहर के कितने ?

(4) श्रमिक राजस्थान के कितने हैं और बाहर के कितने ?

(5) क्या यह सच है कि जे. के. सिन्थेटिक्स के श्रमिकों ने पिछले साल हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और क्या यह सही है कि इस कारण राजस्थान के अधिकांश श्रमिकों को मैनेजमेन्ट ने निकाल दिया था ? यदि हां, तो कितने राजस्थान के और कितने बाहर के निकाले गये ?

उप-मंत्री,, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) कोटा स्थित डी. सी. एम. की एस. बी. सी. आई. को 1961-62, श्री राम रेयॉन्स को 1962 व जे. के. सिन्थेटिक्स को 1956 में लाइसेन्स दिये गये हैं।

(2) इस सम्बन्ध में कोई मुहायदा नही किया गया था।

(3) पहले उद्योग में 352 उच्च स्तरीय कर्मचारी हैं जिनमें राजस्थानी 186 व बाहर के 166 हैं। दूसरे में 299 उच्च स्तरीय कर्मचारी हैं जिनमें से 139 राजस्थानी व 160 बाहर के हैं और तीसरे उद्योग (जे. के. सिन्थेटिक्स) में 91 अधिकारी हैं जिनमें से 31 राजस्थानी हैं व 60 बाहर के हैं।

(4) पहले उद्योग में राजस्थान के श्रमिक 439 हैं व बाहर के 175। दूसरे में राजस्थानी 496 व बाहर के 290 तथा तीसरे में 930 राजस्थानी व 416 श्रमिक बाहर के हैं।

(5) जी हां। हड़ताल की थी। हड़ताल का कारण एक श्रमिक को जिसे कोर्ट ने नौकरी से पृथक करने की अनुमति दे दी थी, वापस नौकरी पर रखवाने की मांग थी। हड़ताल के दौरान 31 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया जिसमें 21 राजस्थानी तथा 10 बाहर के श्रमिक थे। मामला अभी तक सेशन कोर्ट तथा औद्योगिक अदालत में चल रहा है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या कारण था कि जब ऐसा उद्योग राजस्थान में पनपाना चाहते थे तो फिर राजस्थानियों को उसमें लेने के लिये कोई मुहायदा नहीं किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इस प्रकार का मुहायदा कानून के अनुसार नहीं कर सकते।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या यह सही है कि एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज (कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वेकेन्सीज) एक्ट की धारा 4 सब-क्लाज (2) में राज्य सरकार ने इस प्रकार का नोटिफिकेशन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
निकाला है जिसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर के एम्पलोइज को नौकरी में रखने से पहले एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज को मामला रेफर करना चाहिये ?

श्री **हरिदेव जोशी** : यह प्रश्न लेबर डिपार्टमेन्ट और एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज से ताल्लुक रखता है इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट से नहीं।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : क्या उद्योग विभाग इस बारे में सतर्क नहीं है कि राजस्थान में जो उद्योग चालू करें उनमें अधिक से अधिक राजस्थान के लोगों को धंधा मिले ?

श्री **हरिदेव जोशी** : उद्योग विभाग चाहता है लेकिन अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर काम नहीं कर सकता।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त उद्योगों से यह एग्रीमेन्ट किया है कि एक ट्रेनिंग सेन्टर कायम करेंगे ?

श्री **हरिदेव जोशी**: इसकी जानकारी नहीं है।

श्री **केशरीसिंह हाडा** क्या सरकार बेकारों को रोजगार दिलाने का तो मुहायदा नहीं कर सकती परन्तु 3 पैसे युनिट की दर से बिजली देने का मुहायदा कर सकती है उससे राजस्थान की जनता को फायदा न होकर राजस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस फायदा उठायेगी ?

सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीन मकान

601. श्री **भेरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीन किस किस श्रेणी के कितने कितने रिहायशी मकान हैं ?

(ख) इन मकानों के आवंटन सम्बन्धी कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) कौन कौन डाक्टर किस किस तारीख से इनमें रह रहे हैं तथा इनको आवंटन किस आधार पर किया गया है ?

उप-मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीन रिहायशी मकानों की श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

श्री **भेरोंसिंह शेखावत**: इस सवाल का जवाब दें, उसके पहले मैं निवेदन करदूं कि जो प्रतिलिपि मुझे दी है वह बिल्कुल पढ़ने में नहीं आती।

श्रीमती सुमित्रा: दूसरी प्रतिलिपि आपको उपलब्ध करा दी जायेगी जिससे आप पढ़ सकें।

श्री **भेरोंसिंह शेखावत**: लेकिन मैं प्रश्न कैसे पूछूं ?

श्रीमती सुमित्रा : मैं पढ़ देती हूं।

श्री **भेरोंसिंह शेखावत**: मुझे इसमें डेट्स का कम्पैरीजन करना था।

श्री **उपाध्यक्ष** : आयन्दा इसका···

श्री **भेरोंसिंह शेखावत**: आयंदा का इसमें सवाल नहीं है, यह सवाल तो चला जाता है।

Page No. 19

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: इसको अन्त में लिया जाये।

श्री **केशरीसिंह हाडा**: उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा सदस्यों को ऐसी प्रति दी जाती है जो पढ़ने में नहीं आये। यह परम्परा बना रखी है, इसके लिये आदेश होने चाहिये।

श्रीमती **सुमित्रा**: (1) सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीन रिहायशी मकानों की श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन भवनों का आवंटन राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स, 1958 (अलॉटमेंट ऑफ रेजीडेंशल अकोमोडशन) के अनुसार राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.4 (22) जी.ए/इ/65, दिनांक 24-2-66 के अधीन किया जाता है। राजस्थान सिविल सर्विस नियम, 1958 (अलॉटमेंट ऑफ रेजीडेंशल अकोमोडेशन) आर.एस.आर. वाल्यूम 2 के अपेंडिक्स में उपलब्ध है। आर. एस. आर. वाल्यूम 2 दिनांक 25–7–60 को प्रकाशित हो चुका है। राज्य आदेश एफ. 4(22)जी-ए/ए/65, दिनांक 24–2–66 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जो जो चिकित्सक आदि उक्त भवनों में जिस जिस तारीख से रह रहे हैं उनका ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। भवनों का आवंटन उक्त नियमों व तत्कालीन नियमों के अधीन किया गया था।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: इन नियमों के अनुसार किस श्रेणी के डाक्टर्स को ये सरकारी मकान मिल सकते हैं ?

श्रीमती **सुमित्रा**: इसमें सभी श्रेणियां शामिल हैं जैसा कि सूची में बताया गया है। इन में कम्पाउन्डर्स भी हैं, डाक्टर्स भी हैं और नर्सेज भी हैं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: हास्पिटल के कम्पाउन्ड के अन्दर किस प्रकार के डाक्टर्स को मकान अलॉट होने चाहिये, क्या इस प्रकार के कोई रूल्स राज्य सरकार ने बना रखे हैं ?

श्रीमती **सुमित्रा**: फरवरी, 1966 से मेडिकल सुपरिन्टेंडेन्ट इन भवनों का आंवटन करते हैं, उस के पहले जी. ए. डी. और पी.डब्लू डी. करते थे और उन मकानों में डाक्टर्स पहले से रह रहे हैं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: जो लोग 1958 के रूल्स के अनुसार रह रहे हैं, क्या वे 1966 के रूल्स के अनुसार भी रह सकते हैं ?

श्रीमती **सुमित्रा**: पहले जो रह रहे हैं, वे रह सकते हैं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: जिन डाक्टर्स के

(श्री भैरोंसिंह)

अपने खुद के मकान जयपुर में बने हुए हैं, क्या वे भी हास्पिटल कम्पाउन्ड के अन्दर सरकारी मकानों में रह सकते हैं ?

श्रीमती सुमित्रा: यदि उनकी हास्पिटल में आवश्यकता है तो जयपुर में अपना निजी मकान होते हुए भी वे हास्पिटल के मकानों में रह सकते हैं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: हास्पिटल की आवश्यकता के अनुसार कौन कौन से पद के डाक्टर्स की वहां आवश्यकता है और किस किस के लिये वहां रहना जरूरी है, क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर रखी है? ऐसे कोई आदेश निकाल रखे हैं?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): हास्पिटल में जिन डाक्टर्स का नजदीक रहना आवश्यक है, उनके पास यदि स्वयं का भी मकान जयपुर में है तो भी वे हास्पिटल के कम्पाउन्ड के अन्दर के मकानों में रह सकते हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। अब कौन से डाक्टर की वहां जरूरत है, यह तो इससे तय किया जाता है कि एमरजेन्सी में किस डाक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है। यह उस लिहाज से तय किया जाता है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: क्या यह मान कर चला जाय कि केवल जिन डाक्टर्स की एमरजेन्सी में जरूरत पड़ सकती है उन्हीं को ये मकान अलाट किये जाते है? या जिन की नाइट ड्यूटीज होती है केवल उन्हीं को ही अलाट किये जाते हैं?

श्री **दामोदरलाल व्यास**: मैंने अर्ज किया कि कई क्राइटेरिया हैं। डाक्टर की तनख्वाह, उसकी आवश्यकता कि एमरजेन्सी म कभी भी बुलाया जा सकता है, इन सब बातों का ध्यान रखकर अलाटमेंन्ट किया जाता है। तो ऐसे डाक्टर्स के अगर खुद के भी मकान जयपुर में हों तो भी उनको हास्पिटल कम्पाउन्ड में रहने दिया जाता है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: यह जो आपने दो बातें बताई कि आवश्यकता के अनुसार और एमरजेन्सी में बुलाया जा सके, इन बातों को ध्यान में रख कर ये अलाटमेन्ट किये जाते हैं क्या इस प्रकार के कोई आदेश या व्यवस्था लिखित में जारी की हुई है ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**: इस क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए मेडीकल सुपरिन्टेंडेन्ट अलाटमेंट करता है। राइटिंग में यह क्राइटेरिया लिखा हुआ है या नहीं इसके लिये मैं अर्ज नहीं कर सकता, इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

राजस्थानी भाषा की पुस्तकों की खरीद

602. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): क्या शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थानी भाषा में लिखी पुस्तकें कुल खरीद की कितनी प्रतिशत लेने का 1967 में विभाग ने निर्णय लिया था ?

(2) 1965–66 और 1966–67 में कुल कितनी धनराशि की राजस्थानी भाषा की पुस्तकें खरीदी गई थीं ?

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

(3) 1967–68 में कितनी धनराशि की खरीद की गई है या खरीदी जा रही है?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) सत्र 1967 राजस्थानी भाषा में लिखी पुस्तकों के खरीद के लिये कोई प्रतिशत निश्चित नहीं किया गया था।

(2) सत्र 1965–66, में, 37,635 रुपये की एवं सत्र 1966–67 में 46,137.33 रुपये की राजस्थानी भाषा की पुस्तकें खरीदी गई थीं।

(3) सत्र 1967–68 में 1,49,931 रुपये की पुस्तकें खरीदी जा रही हैं जिसमें 56,307 रुपये की पुस्तकें राजस्थानी भाषा में हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: क्या इस साल आपने राशि ज्यादा रखी है?

श्री शिवचरण माथुर: जितनी राशि रखी गई है वह काफी अच्छी है और अच्छी पुस्तकें मिलने पर और भी अधिक बढ़ाई जा सकती है

श्री विजयसिंह रावत: क्या यह सही है कि माननीय सदस्या खुद राजस्थानी भाषा की लेखिका है?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: जी हां।

श्री विजयसिंह रावत: और जो पुस्तकें राजस्थानी भाषा की खरीदीं गई हैं उनमें कम से कम 10 प्रतिशत माननीय सदस्या की लिखी हुई हैं?

श्री शिवचरण माथुर: इसमें तो आपको गौरव होना चाहिये।

श्री विजयसिंह रावत: गौरव के लिये ही तो जानना चाहता हूं।

श्री शिवचरण माथुर: मैंने निवेदन किया अच्छी पुस्तकें थीं इसलिये खरीदी गई हैं।

श्री विजयसिंह रावत: मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्या द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी खरीदी गई हैं?

श्री उपाध्यक्ष: आप एक बात का ध्यान रखें, जो कोई भी प्रश्न पूछना चाहें वह आसन को सम्बोधित करके पूछें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

सवाई माधोपुर में सड़क निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत धनराशि

603. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाईमाधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में सवाई माधोपुर सहायक अभियन्ता के अधिकार क्षेत्र में नई सड़कें बनाने, पुरानी सड़कों की जनरल मरम्मत एवं सड़क सम्बन्धी अन्य मदों में कुल कितना रुपया स्वीकृत किया गया?

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से भिन्न भिन्न मदों में से 31 जनवरी 1968 तक कुल कितना रुपया व्यय किया गया?

(3) शेष राशि अब तक भिन्न भिन्न मदों की क्रमशः कितनी शेष रह जाती है?

(4) यह क्यों नहीं व्यय की गई?

(5) क्या यह सही है कि 15 जनवरी को ही सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, पी.डब्लू.डी. ने इस राशि को व्यय करने से रोक दिया

Page No. 22

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
और यह राशि टौंक जिले के लिये ट्रांसफर कर दी गई ?

उप-मन्त्री सार्वजनिक निर्माण : (श्री माधोसिंह) (1) ओरीजीनल वर्क्स तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत पर क्रमश: 1,45,000 तथा 5,65,337 रुपये व्यय किया गया है।

(2) नई सड़कों पर 22,640 तथा पुरानी सड़कों पर 3,50,981 रुपये व्यय किया गया है।

(3) नवीन सड़कों पर 1,22,360 व पुरानी सड़कों की 2,14,343, रुपये धनराशि में से शेष हैं।

(4) कार्य प्रगति पर है। मास फरवरी तथा मार्च 1968 में खर्च होने की आशा है।

(5) जी नहीं।

श्री **विजयसिंह रावत**: सुनाई नही देता।

श्री **खेतसिंह**: कानों का मैल निकलवालो।

श्री **हरिवल्लभ शर्मा**: 31 दिसम्बर 1967 तक कुल स्वीकृत धनराशि में से कितना व्यय किया गया ?

श्री **माधोसिंह**: मेरे पास जो फीगर्स हैं वे यह हैं:

22,640 रुपये और 3,50,991 रुपये

श्री **हरिवल्लभ शर्मा** : शेष राशि क्यों नहीं खर्च की गई ?

श्री **माधोसिंह**: शेष में से भी काफी खर्च हो चुकी है।

श्री **हरिवल्लभ शर्मा**: आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता।

श्री **माधोसिंह**: शेष राशि के लिए ऐसा है कि जो डामर हिसाब से आता है। हिसाब लगा कर डामर मंगाते हैं। वैसे काफी काम हो गया है। डामर नहीं आने से यह नहीं हुआ है।

श्री **विजयसिंह रावत**: क्या यह सही है कि जितनी धनराशि खर्च की गई है, डामर नहीं आने से दस पर्सेन्ट व्यर्थ गई है ?

श्री **माधोसिंह**: जी नहीं।

श्री **विजयसिंह रावत**: जी नहीं, कैसे कह दिया : जब कान्क्रीट डाल दी गई और डामर नहीं आई इसलिए उसमें गड्ढे पड़ गये हैं तो जो धनराशि खर्च हुई है उसमें से दस पर्सेन्ट का खर्चा व्यर्थ नहीं गया है।

श्री **माधोसिंह**: डामर आ रही है।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री **हरिवल्लभ शर्मा**: एक स्पष्टीकरण और चाहता हूं

श्री **उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज:अगला प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री **हरिवल्लभ शर्मा**: एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष**: एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री **हरिवल्लभ शर्मा**: मेरा प्रश्न यह था कि 31 दिसम्बर तक आप स्वीकृत धनराशि की आधी धनराशि खर्च नहीं कर पाये हैं तो अब डेढ़ महीने में सारी धनराशि को खर्च कर

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
दगे? 31 मार्च तक पूरी धनराशि खर्च की जा सकती है या नहीं?

श्री माधोसिंह: जी हां, खर्च कर दी जायगी।

श्री नत्थीसिंह: ऐसा हमेशा होता है।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री केसरीसिंह: क्या टी पार्टियों में खर्च की जायगी।

श्री माधोसिंह: आप चाय पिला देना। आप पिलायेंगे तो हम भी पी लेंगे।

श्री केसरीसिंह: मुझे नहीं चाहिए। आपको मुबारक हो।

चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान

604. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कुछ वैज्ञानिकों को विशेष वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए विशेष वैतन अदा कर रही है? यदि हां, तो ऐसे वैज्ञानिक कौन कौन हैं? उनको कितना कितना विशेष वेतन मिल रहा है और कब कब से? व क्या अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं? और वे इस समय कहां कहां पर कार्य कर रहे हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विशेष सुविधाओं जैसे विशष प्रकार के औजार और मशीनें, पुस्तकालय अनुसंधान शाला आदि की आवश्यकता होती है? क्या राज्य सरकार ने इन समस्त वैज्ञानिकों को जो विशेष वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए हैं जहां जहां पर भी वे इस समय काम कर रहे हैं वे सुविधायें प्रदान की हैं जिससे वे अपना अनुसंधान कार्य सुविधापूर्वक जारी रख सकें?

(3) क्या यह सही है कि मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी ने अपने एक पत्र दिनांक 4-10-67 द्वारा राज्य सरकार को अनुसन्धान कार्य के महत्व की ओर संकेत करते हुए यह सलाह दी है कि शिक्षण कार्य में लगे हुए लोगों को अनुसंधान कार्य को लगातार जारी रखने की सुविधाओं की गारन्टी की जानी चाहिए?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अभी भी कुछ वैज्ञानिकों को ऐसे स्थानों पर पोस्ट किया हुआ है जहां पर उनके अनुसन्धान कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सुविधाए उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा): (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां।
(3) जी हां।
(4) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह जो आपने सूची दी है, इसमें आपने कहा है कि विशेष वेतन किसी को नही दिया जा रहा है, परन्तु आपने सूची दी है इसमें बताया है कि किसी डाक्टर को सौ रुपये, किसी को पचास रुपये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
अनुसंधान कार्य के लिए विशष वेतन दिया जा रहा है। तो यह विशेष वेतन बताया यह कैसे है ?

श्रीमती सुमित्रा: माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं, मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया है कि विशेष वेतन किसी को नहीं दिया जा रहा है, योग्यता वेतन दिया जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि जो विशेष कार्य अनुसंधान कार्य यह डाक्टर्स कर रहे हैं, इनको अनुसंधान शाला की सुविधायें केवल उदयपुर मेडीकल कॉलेज और जयपुर मेडीकल कॉलेज में ही हैं और राजस्थान के दूसरे मेडीकल कॉलेजेज हैं उनके अन्दर यह सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ?

श्रीमती सुमित्रा: अभी तक जिनको योग्यता वेतन दिया जा रहा है वह या तो जयपुर में पोस्टेड हैं या बीकानेर में पोस्टेड हैं और दोनों जगहों पर अनुसंधान की विशेष सुविधायें प्राप्त हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि यह सुविधायें अनुसंधान शाला की जिसमें कि आपने डाक्टर्स किया है और जिसमें कि हृदय नियंत्रण का, सुधार का कार्य दिया हुआ है उसके लिए जिस प्रकार की अनुसंधान शाला चाहिए उस प्रकार की कोई व्यवस्था बीकानेर मेडीकल कॉलेज में या और किसी मेडीकल कॉलेज में नहीं है सिवाय इन दो के ?

श्रीमती सुमित्रा: उनको अपने अनुसंधान कार्य के लिए जो जो विशेष सुविधायें चाहिए वह सारी की सारी सुविधायें मेडीकल कॉलेज बीकानेर में जुटाई जा रही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जुटाई जा रही है इसका मतलब यह है कि इस समय नहीं है ?

श्रीमती सुमित्रा: हैं लेकिन जो जो कमियां हैं वह उदयपुर से या और कहीं से प्रोवाइड कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि योग्यता वेतन जो दो कॉलेजों में दिया जा रहा है, इनके अलावा दूसरे मेडीकल कॉलेज में उस योग्यता के डॉक्टर नहीं हैं इसलिए वहां नहीं दिया जा रहा है और केवल जयपुर और बीकानेर में दिया जा रहा है ?

श्रीमती सुमित्रा: कॉलेजों को नहीं दिया जा रहा है, यह व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है, जो कोई अनुसंधान कर रहे हैं किसी विषय में उनको दिया जा रहा है।

श्री दौलतराम सारण: मैं पूछ रहा हूं कि क्या उस योग्यता के डॉक्टर वहां नहीं हैं इसलिए वहां नहीं मिल रहा है ?

श्रीमती सुमित्रा: इसका सम्बन्ध योग्यता से नहीं है, इसका सम्बन्ध अनुसंधान से प्रति रुचि और अनुसंधान कार्य से है।

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): यह बात है। समझे आप ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल यह है कि क्या यह सही है कि हृदय नियंत्रण के सुधार कार्य के लिए माडर्न इलेक्ट्रोनिक मशीनों की आवश्यकता पड़ती है जो कि विदेशों से मंगा कर, कई देशों से मंगा कर उदयपुर की अनुसंधान शाला के अन्दर इकट्ठी की गई हैं और उनको एक सिस्टम में जोड़ कर के निकाला गया है ? क्या यह सही है कि यह जो डॉक्टर अनुसंधान कर रहे हैं यह वर्ड

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
रिनाउन्ड डाक्टर हैं और डाक्टर बेनब्रिज ने जो अनुसंधान किया था और बेनब्रिज रिफलेक्शन के नाम से जो प्रसिद्ध है उसको इन्होंने गलत साबित किया है और हार्ट के बारे में नया अनुसंधान करके नई रिसर्च की है। अब उनके पास वहां साधन नहीं होने की वजह से उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। वहां जो भी साधन थे, क्या आप कह रही हैं कि उदयपुर में से वह सारे साधन आप डाइवर्ट कर रही हैं बीकानेर में ? क्या यह सम्भव हो सकेगा ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य जो पूछना चाह रहे हैं वह स्वयं सूचना उन्होंने दे दी है, इसके अलावा मैं उनको सूचना दे दूं, जैसा उन्होंने कहा है वह साफ और सही है। डॉक्टर पाठक बीकानेर मेडीकल कॉलेज में हैं और वहां वह इस सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग देशों से अलग अलग मशीनें मंगा कर उन सबको असेम्बल किया है और अपनी नई थ्योरी निकाली है। इस सम्बन्ध में जो कुछ कमियां बीकानेर मेडीकल कॉलेज में हैं, उदयपुर, जयपुर या जहां कहीं भी हैं, जहां इस तरह की मशीनें हैं वहां से लाकर उनको उपलब्ध कर दी जायंगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इन मशीनों को उपलब्ध करने में और फिक्स अप करने में

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछ लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या उन तमाम मशीनों को, जिनको जोइन्ट करके एक जगह असेम्बल किया गया है और एक लेबोरेट्री में उनको इकट्ठा किया गया है, एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करने में असुविधा नहीं होगी, टेक्निकल गलती नहीं होगी और आर्थिक रूप से इस पर खर्च होने की दृष्टि से अनावश्यक भार स्टेट के ऊपर नहीं पड़ेगा ?

श्री रोशनलाल : डॉक्टर पाठक को उदयपुर क्यों नहीं भेज दिया जाता जब कि उनकी उपयोगिता उदयपुर में है ?

श्री केशरीसिंह हाडा : कैपीटल भी उदयपुर म हो जाय।

श्रीमती सुमित्रा : तब्दीली का प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कहा ?

श्री नत्थीसिंह : असेम्बली इन दिनों उदयपुर में ही रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदया का उत्तर सुनने में नहीं आया।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने माननीय रोशनलाल जी के प्रश्न का उत्तर दिया कि तब्दीली का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जो प्रश्न रखा था उसका उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय रामानन्द जी के प्रश्न का भी उत्तर दे दें।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय रामानन्द जी ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर निवेदन करना चाहती हूं। बीकानेर में जो मशीनें उनको वहां उपलब्ध करा रहे हैं उनको करने के अन्दर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वह सारी की सारी

(श्रीमती सुमित्रा)
मशीनें अलग अलग जगह से मंगा कर उन्होंने स्वयं ने असेम्बल की हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : सिवाय दो कॉलेज के, जयपुर और उदयपुर के, यह अनुसंधान शाला और जगह हैं नहीं, चार डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं, अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं, उनमें से एक हैं उनको इस तरह से डिपार्टमेंटल तरीके से इधर उधर करने से अनुसंधान के कार्य में नुकसान होता है । मैं निवेदन करूंगा कि अभी माननीया मंत्री महोदया ने उत्तर दिया है, उसको मान लें तो भी जब तक मशीनें असेम्बल नहीं हो जायं तब तक तो नुकसान होगा । और मेडीकल एसोसियेशन से ऐसी गाइडेंस है तो फिर ऐसा डिस्प्लेसमेन्ट सरकार क्यों करती है और करे भी तो पहले प्रबन्ध हो जाना चाहिए तब करना चाहिए । यह एक ऐसे आदमी हैं जो सारी वर्ल्ड में रिनाउन्ड हैं, हमारे देश में एक ऐसे आदमी हैं जो वर्ल्ड के अन्दर अनुसंधान करके आपना नाम पैदा करे, उसकी शक्ति का विना उपयोग किये उसको आप एक जगह बैठा दें, अनुसंधान शाला से अलग कर दें तो यह कहां तक उचित है ? यह किया गया है तो आखिर किस कारण से किया गया है, यह बतायें आप ?

श्री नत्थीसिंह : इसका जवाब मंत्री महोदय दे सकते हैं । करते यही हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : रिसर्च का स्कालर हो सकता है कोई मगर एडमिनिस्ट्रेटिवली वह इनएफीसियेंन्ट है, या उसके खिलाफ कोई चार्जेज हैं, और सरकार के द्वारा यदि उसको दोषी समझा जाय तो यह वर्दाश्त नहीं कर सकते । इसलिए उस डॉक्टर को डॉक्टर पाठक को ट्रान्सफर किया गया । उसके खिलाफ कुछ शिकायत थीं, उनकी इन्क्वायरी की गई और एडमिनिस्ट्रेटिवली यह मुनासिब समझा गया, उसको वहां से हटाना, कॉलेज के इन्ट्रेस्ट में था । डॉक्टर पाठक की क्षमता रिसर्च में है उसमें किसी प्रकार का दखल डालने का सरकार का विचार नहीं है । ज्यादा अच्छा होता, माननीय सदस्य यह सीधा सवाल पूछ लेते तो हम ज्यादा इन्फार्मेशन दे देते । लेकिन बजाय इसके उन्होंने एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया । डाक्टर पाठक जितनी रिसर्च करते हैं वह हमारी जानकारी में है और उनके रिसर्च वर्क को डिस्टर्ब न करें यह भी हमारे ध्यान में है । परन्तु तबादला क्यों किया गया, वहां क्यों नहीं रखा गया, तो मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा कि यह मामला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीडियेन्सी का है । उसके अन्दर रिसर्च की बात को लेकर हम इन्स्टीट्यूशन के इन्ट्रेस्ट को ओवर लुक नहीं कर सकते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रान्सफर हो न हो इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं, पर रिसर्ज सफर नहीं हो इसमें हमें दिलचस्पी है । ट्रान्सफर वहां से करना था तो जयपुर कर सकते थे, जहां अनुसन्धान शालाऐं थीं, वहां ट्रान्सफर कर सकते थे । या बीकानेर में अनुसन्धान का इन्तजाम करदें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए । स्थगित प्रश्न ।

श्री विजय सिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न 593 रह गया है, इसे लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं । स्थगित प्रश्न ।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले भी कइयों को मौका दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

स्थगित प्रश्न

(5-3-68)

इण्डियन एलमोनियम केबल्स कम्पनी द्वारा चम्बल प्रोजेक्ट को माल की सप्लाई

444. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इण्डियन एलमोनियम केबल्स कम्पनी को चम्बल प्रोजैक्ट पर माल सप्लाई करने के लिये माल (मैटिरियल) व नकद रुपया एडवान्स किया गया है ?

(2) अगर हां, तो कब कब व कितना कितना रुपया तथा माल (मैटिरियल) एडवान्स किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि मैटिरियल के लिये उक्त कम्पनी को इम्पोर्ट लाइसेन्स भी दिया गया था ? अगर हां, तो कौन से मैटिरियल के लिये कितनी तादाद हेतु लाइसेन्स दिया गया था ?

(4) उक्त माल, एडवान्स तथा इम्पोर्टेड लाइसेन्स किस माल की सप्लाई के लिये दिया गया था ?

(5) उक्त माल की सप्लाई की समय अवधि कितनी थी ?

(6) क्या कम्पनी ने सरकार को माल सप्लाई कर दिया है ?

(7) क्या कम्पनी ने इम्पोर्टेड लाइसेन्स से माल प्राप्त कर लिया है ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय क्यों कि यह मेरे पास इरिगेशन डिपार्टमेन्ट से तात्कालिक आया है और चीफ इन्जीनियर जो इस सम्बन्ध में ज्यादा इन्फोर्मेशन दे सकते हैं वे यहां नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आज से 7 दिन पहले इस प्रश्न के सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्रीजी ने कहा था कि इस प्रश्न से मेरा सम्बन्ध नहीं है। इतने दिन का अवसर मिलने पर भी आज इस प्रश्न को फिर टाल दिया गया है। इस प्रकार से सरकार की तरफ से प्रश्नों को टालने की पद्धति सी हो गई है जो ठीक नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पद्धति इस लिये बिल्कुल सही है कि इन्कम्प्लीट रिप्लाई सदन को देना उचित नहीं होगा यह सदन अभी काफी समय तक चलेगा इस लिये मैं नें यह ठीक समझा कि इसके सम्बन्ध में कम्प्लीट सूचना ले कर सदन के सामने आऊं यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न श्री कृष्ण-कुमार गोयल।

स्थगित प्रश्न

(1-3-68)

काटन जिनिंग फैक्ट्री, मंडावर की बकाया रकम

398. **कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर के मंडावर कस्बे में स्थित सरकारी काटन जिनिंग फैक्ट्री लगभग 10 वर्ष से बन्द पड़ी हैं अगर हां, तो क्यों?

(2) उक्त फैक्ट्री का रुपया किन किन व्यक्तियों में कितना कितना कब से बाकी है? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि फैक्ट्री से संलग्न मकानों में कई व्यक्ति किराये से रह रहे हैं? अगर हां, तो कौन कौन, कब कब से रह रहे हैं?

(4) उक्त व्यक्तियों में किराये का कितना कितना रुपया बकाया है, व कितना वसूल किया है?

उप मन्त्री (श्री भीमसेन) : (1) जी हां, जिस पार्टी को यह फैक्ट्री लीज पर दी हुई थी उसने कुछ समय चला कर बन्द कर दिया और मार्च, 1956 से यह फैक्ट्री राज्य सरकार ने फिर अपने अधिकार में ले ली। उसके बाद कई बार इसको बेचने के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये गये मगर पहिले तो टेन्डर प्राप्त नहीं हुए फिर सन् 58 में इस फैक्ट्री को मकान व जमीन सहित 1,40,000) रु. में बेचने का निर्णय किया गया मगर जिस पार्टी को बेचा गया उसने लेने से इन्कार कर दिया और अन्त में जनवरी 67 में फैक्ट्री की मशीनरी और पुर्जों को 45,151 रु. में बेच दिया गया। इस प्रकार यह फैक्ट्री बन्द पड़ी रही।

(2) मैसर्स दादू ब्रादर्स में 21,865.06 न. पै. सन् 1956 से बकाया हैं। इसकी वसूली की कार्यवाही पी. डी. आर. के अन्तर्गत जिलाधीश, जयपुर के द्वारा जिलाधीश मेरठ के यहां चल रही है।

(3) जी हां।

सूची संलग्न है।

(4) बकाया रकम की जानकारी प्रश्न तीन के उत्तर में दी गई सूची में अंकित है।

(दिनांक 1-3-68 के कार्य-विवरण में सूची लगादी गई है)

प्रश्न के खण्ड (2) के उत्तर में आपने बताया है कि 21,865 रुपया बकाया है, इसकी वसूली के लिये पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही चलरही है, मैं जानना चाहूंगा कि 58 से कार्यवाही पी. डी. आर. के तहत चल रही है, यह रुपया काहे का बकाया है?

श्री भीमसेन : किराये का!

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस व्यक्ति के पास लीज पर कोटन मिल थी, लीज का पूरा पैसा बकाया है?

श्री भीमसेन : जो 21,865 रु. 6 नया पैसा बकाया है, वह मैंने बता दिया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या लीज देने से पहले कोई एग्रीमेन्ट या बन्धक-नहीं कराया था?

श्री हरिदेव जोशी : सब कुछ था, पर पार्टी का एक डिपो मेरठ में है, यू. पी. गवर्नमेन्ट की मार्फत पी. डी. आर. में वसूली की कार्यवाही चल रही है।

Page No. 29

श्री कृष्णकुमार गोयल : एग्रीमेन्ट हुआ और बन्धक हुआ तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कौनसी प्रोपर्टी का बन्धक हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : ला के अनुसार जितनी जरूरियात होती है, वह किया गया है पर प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चलती है, स्टे हो जाता है, यह दिक्कत है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लीज पर कोटन मिल को दिया, उसने चलाया नहीं, छोड कर चला गया और सरकार पी. डी. आर. के तहत वसूली की कार्यवाही कर रही है पर अभी तक गवर्नमेन्ट वसूली नहीं कर पा रही है। तो क्या सरकार लीज देने से पहले जिस प्रकार की उसकी प्रोपर्टी राजस्थान में मोर्टगेज की है, उस की है तो वह क्या क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : 13 क्वार्टर 10 दुकानें वगैरह वगैरह।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कहां की ?

श्री हरिदेव जोशी : वहीं की, मंडावर की।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या मंडावर की प्रापर्टी को सेल करने की कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां, मैंने कहा न कि लिटिगेशन के कारण यह दिक्कत आती है, अब हम जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो किरायेदार इसमें रहते हैं वे यह लीज दिया उसके पहले के हैं, या बाद के हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : हर किरयेदार के बारे में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जिसमें जितनी रकम बकाया है, वह सब वसूल करली जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जितने किरायेदार हैं, उनसे कोई किरायानामा नहीं लिखवाया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह डिटेल्स में इस समय नहीं कह सकता, स्पेसिफिक पूछें तो कह सकता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं यह जानना चाहता हूं कि किराये पर देने से पहले किस प्रक्रिया को अपनाया गया, कौनसी औथारिटी थी जितने किराये पर रखा ?

श्री हरिदेव जोशी: जो ओथोरिटी होगी उसी ने दिया होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि किसने दिया पर जिसमें जितनी रकम बकाया है वह सब वसूल की जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि उद्योग विभाग के किसी अधिकारी ने किसी भी किरायेदार को इस बिल्डिंग में नहीं रखा ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा न कि जिस किसी औथोरिटी ने रखा हो, पर किसी में बकाया नहीं रखा जायगा, पूरी वसूली की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने यह पोइन्टेडली पूछा है कि किसने कब किराये पर दिया है। आप देखेंगे कि इस लिस्ट के अनुसार पता नहीं चलता कि कब-से

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
ये लोग काबिज हुए थे, मेरा प्रश्न स्पष्ट था कि किसने किराये पर दिया, किसने किराया तय किया, आप स्वयं लिख रहे हैं कि स्वयं विभाग को मालूम नहीं है कि कौन कब से काबिज है, तो रिकवरी किस आधार पर करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : जो लोग रह रहे हैं, उनके अगेन्स्ट में किराया बाकी है वह सूची दे दी है, वह सूची लम्बी है, अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूं कि किसके अगेन्स्ट में कितना किराया बाकी है। यह मैं कह चुका हूं कि वह जिस तरह वसूल किया जा सकता है वसूल किया जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि सूची दे दी है, मैं भी उसी आधार पर कहता हूं, नं. 8 आइटम पर देखिये रामकिशोर के अगेन्स्ट में एन. ए., नोट अवेलेबल लिखा है। इसका मतलब क्या है, उद्योग विभाग के पास कोई रेकार्ड नहीं है, कि कौनसी तारीख से किसने कब्जा किया है। उद्योग विभाग के पास यह प्रोपर्टी है। उद्योग विभाग इस सम्बन्ध में उदासीन क्यों रहा ? इसके लिये जो जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : सारी प्रापर्टी को बेचने के आर्डर दे दिये गये हैं। जहां तक लोगों से वसूली का प्रश्न है, किसी में 300 रह रहे थे, मुझे इस लिस्ट में हाइयेस्ट 360 रुपया दिखाई देता है, इस लिये यह कोई ऐसी चीज नहीं है। जिनमें बकाया है पूरी तरह वसूल किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी तरह वसूल किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विजय सिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 593 रह गया है, इसे लिया जाय····

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं है।

श्री विजय सिंह : आपने पहले भी कइयों को मौका दिया है, मैं इस पर सप्लीमेन्टरी नहीं पूछूंगा, यह मकराना के लिये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, यह ज्यादा समय नहीं लेगा।

उपाध्यक्ष : एक को इजाजत दूंगे तो सभी कहेंगे।

श्री प्रेमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर): : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, मैं एक साल से देखता हूं कि किसी को 10 दफा प्रश्न पूछने देते हैं, किसी को सप्लीमेन्टरी के लिये इजाजत नहीं देते, किसी को एक सवाल भी पूछने नहीं देते, किसी को स्थगन प्रस्ताव पर बोलने दिया जाता है, किसी को बोलने ही नहीं दिया जाता है, तो यह कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं होता।

श्री प्रेमदत्त भाटी : ऐसा होता है, मैंने देखा है।

श्री **विजय** सिंह (मकराना) : गिरधारीलालजी को भी आपने समय दिया था।

श्री ओमदत्त भाटी : व्यवस्था ठीक की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी व्यवस्था ठीक है।

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था··

श्री विजयसिंह (मकराना) : एक प्रश्न है....

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बी. एड. की ट्रेनिंग में शिक्षकों का कोटा

584. **श्री रतनलाल रोत** (चौरासी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर, चित्तौडगढ और भीलवाडा में कितने शिक्षकों को बी. एड. की ट्रेनिंग में पिछले वर्ष लिया गया ?

(2) उदयपुर के लिये बी. एड. की ट्रेनिंग के लिये कितने शिक्षकों का कोटा निर्धारित है ?

उत्तर

1. इन जिलों में 82 अध्यापक व अध्यापिकाओं को लिया गया।

2. उदयपुर-कोटा रेन्ज के लिये 111 अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का कोटा निर्धारित है।

जोधपुर मेडीकल कालेज पुस्तकालय

585. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदार-पुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर मैडिकल कॉलेज की पुस्तकालय की स्थापना से अब तक वहां कितनी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं ? अजमेर मैडिकल कालेज के पुस्तकालय में उक्त अवधि में कितनी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं ?

(2) उक्त दोनों स्थानों के पुस्तकालयों का वार्षिक बजट क्या है ?

(3) जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर व जोधपुर मैडिकल कॉलेज के पुस्तकालयों में स्टॉफ की स्ट्रेन्थ क्या क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि जोधपुर के पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धि पर्याप्त न होने के कारण पठन पाठन में बहुत कठिनाई रहती है ?

(5) क्या सरकार ऐसे पुस्तकालयों से जहां पुस्तकें अत्यधिक संख्या में उपलब्ध हैं, जोधपुर मैडिकल कॉलेज के पुस्तकालय में भेजने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर मैडिकल कॉलेज की स्थापना से अब तक वहां 1800 पुस्तकें खरीदी (उपलब्ध) की जा चुकी है। इसही अवधि में मैडिकल कॉलेज अजमेर में 2183 पुस्तकें खरीदी जा चुकी है।

(2) दोनों कॉलेजों के वार्षिक बजट की स्थिति निम्न प्रकार है :—

	वर्ष 66-67	वर्ष 67-68
क. अजमेर	49,000)	40,000)
ख. जोधपुर	30,000)	40,000)

3. राज्यों के पाचों मैडिकल कॉलेजों के पुस्तकालयों में स्टॉफ की स्ट्रेन्थ निम्न-

Page No. 32

(स्वास्थ्यमन्त्री)

प्रकार है :—

नाम पद	जयपुर	बीकानेर	उदयपुर	अजमेर	जोधपुर
1. लाईब्रेरियन	2	1	1	1	1
2. सहायक लाईब्रेरियन	–	1	1	–	–
3. वरिष्ठ लेखक	1	–	–	–	1 (लिटरेट स्टुडेन्ट)
4. क0 लिपिक	–	1	–	–	–
5. लाईब्रेरि बांय	6	4	4	2	2
6. बुक बाईन्डर	2	1	1	–	–
7. मेकेनिक	1	–	–	–	–
8. ब0 जै0 म0	4	4	2	–	–

(4) यह सही नहीं है। गत वर्ष केवल क्लिनिकल विषयों की पुस्तकों के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई का अनुभव हुआ था। इस पर मैडिकल कॉलेज, जयपुर से 175 पुस्तकें प्राप्त की गई।

(5) ऐसा किया जाना सम्भव नहीं होगा–कारण कि कॉलेजों में प्रायः एक पुस्तक की एक ही प्रति उपलब्ध होती है, इसके अलावा पुस्तकों की आवश्यकता उस कॉलेज के छात्रों को भी रहती है तथा वहां के अध्यापकों के भी ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता रहती है।

प्रशासक नगरपालिका मेडता द्वारा बेची गई जमीन

586. श्री **गोरधन सोनी** (मेडता) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवनिर्मित मेडता शहर के बस स्टैण्ड (राजपूत बोर्डिंग के सामने) के पास 225 गज जमीन प्रशासक नगरपालिका ने उर्मीलादेवी पत्नी श्री रामलाल, प्रधान पंचायत समिति रीयां को नीलाम करके करीब 12 हजार एक सौ में बेची ?

(2) क्या यह सही है कि प्रशासक नगर पालिका ने उसके पास की जमीन पांच रु. प्रति गज के बिना नीलाम किये देदी जिसका रकबा 340 गज है ?

(3) क्या यह सही है कि बिना राज्य सरकार से स्वीकृति लिये प्रशासक ने इस जमीन की रजिस्ट्रियें करवादी ?

(4) क्या यह सही है कि इस जमीन के बेचने से आम रास्ता संकड़ा हो जाने से मेड़ता के नागरिकों ने मुन्सिफ कोर्ट मेडता व रेवन्यू बोर्ड अजमेर से स्टे प्राप्त किया है ?

(5) क्या यह सही है कि इस सब जानकारी के बावजूद जिलाधीश नागौर ने मेडता शहर में हो ता. 11 जनवरी को अपने अधिकार से बाहर जाकर उक्त बेचान की मन्जूरी दे दी है ?

उत्तर

1. भूमि विक्रय की नीलामी श्री जबर खां के नाम समाप्त हुई थी। श्री जबर खां द्वारा नीलामी समाप्त होने पर यह लिखित में दिया कि उन्होंने नीलामी की बोली श्रीमती उर्मिला देवी की तरफ से लगाई थी। इस लिये विक्रय श्रीमती उर्मिला देवी के नाम हुआ था।

2. 165 गज व 175 गज के दो भू-खण्ड दिये गये हैं। गज 2"—2" का है।

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

3. जी हां।

4. सड़क का जहां तक संकडी हो जाने का प्रश्न है, यह इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है। सडक निर्माण विभाग की है।

स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये हैं।

5. 2 विक्रयों की स्वीकृति जिलाधीश द्वारा दिनांक 11-1-68 को दी गई है। तीसरे मामले में आदेश स्पष्ट नहीं होने से तत्कालीन जिलाधीश से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

सडक निर्माण कार्य

590. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नीमराना के मुख्यावास से नेशनल हाईवे तक की एप्रोच रोड राज्य सरकार द्वारा बनाने की स्वीकृति (Sanction) दी जा कर उस पर कार्य भी आरम्भ कर दिया गया था? यदि हां, तो कितने दिन तक सड़क बनाने का कार्य चालू रहा?

(2) क्या ग्राम मोदन से काठूवास तहसील बहरोड जिला अलवर तक की एप्रोच रोड स्वीकृत है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या उक्त दोनों एप्रोच रोड्स को इसी वित्तीय वर्ष में बनाने की योजना है? यदि नहीं, तो कब तक इन सडकों को बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 7-1-67 से 31-3-67 तक कार्य हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) मोदन काठूवास रोड योजना में स्वीकृत नहीं है तथा नीमराना रोड कार्य पुनः कब आरम्भ होगा अर्थाभाव के कारण कहा जाना सम्भव नहीं है।

स्कूल के अधूरे भवन को पूर्ण कराने हेतु दी गई धनराशि

592. **श्री विद्यासागर** (खैरवाडा-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला उदयपुर की खैरवाड़ा तहसील में गोगरी देवी नामक ट्रस्ट से राज्य सरकार को कोई रकम खैरवाडा हायर सेकेन्ड्री स्कूल के अधूरे भवन को पूर्ण करने हेतु भेंट की गई है?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार को कब भेंट की गई थी और राज्य सरकार कब तक उस राशि से अधूरे भवन को पूर्ण कराने का इरादा रखती है?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. उपरोक्त भाग (1) में दिये गये उत्तर से प्रश्न नहीं उठता?

लाउड स्पीकर्स का उपयोग करने के लिये समय का निर्धारण

593. **श्री विजय सिंह** (मकराना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना में करीब सारी सारी रात लाउड स्पीकर्स बजते हैं?

(श्री विजयसिंह)

(2) लाउड स्पीकर्स का उपयोग करने के समय का निर्धारण क्यों नहीं किया जाता ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका क्षेत्र जोधपुर में नल व बिजली की व्यवस्था

241. **श्री श्रोमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

जोधपुर शहर के नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित मन्डोर, पून्जला, जैनपुरा बासणी, भदासिया वार्ड नं. 3 व 4 व हाईकोर्ट कालोनी, पी. डब्ल्यू. डी. कालोनी, खेमे का कुआ, सोडी की गोयला की डिगोडी दार्णा में स्ट्रीट-लाइट की व्यवस्था व सार्वजनिक नलों की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा अब तक नहीं करने का क्या कारण है और क्या सरकार नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नगरपालिका को उक्त नल व बिजली की व्यवस्था तुरन्त करने का निर्देश देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

1. प्रश्न में वर्णित स्थानों में से क स्थानों पर बिजली और पानी की सुविधा विद्यमान है। नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से फिलहाल सभी जगह बिजली और पानी की सुविधा प्रदान करने में नगरपालिका असमर्थ है।

स्कूलों की खेल-कूद प्रतियोगिता में झगड़ा

242. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या तहसील निवाई के कस्बा झिलाय में दिनांक 27-10-67 से 29-10-67 तक मिडिल स्कूलों के खेल-कूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया था ? जिसका उद्घाटन उप शिक्षा मन्त्री ने किया था ?

(2) क्या यह भी सच है कि दिनांक 29-10-67 को समापन समारोह में टीमों में आपस में झगड़ा हो जाने से फाइनल निर्णय नहीं हो सका व इनामें नहीं बांटी जा सकीं ? यदि हां, तो झगड़ा किस कारण किसकी गलती से हुआ व इसकी जांच कराई या नहीं ? यदि कराई गई तो किसके द्वारा व जांच का क्या परिणाम निकला ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. जी हां।

2. सत्य यह है कि दि. 29-10-57 को टीमों में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ और इनामें वितरित की गई।

नये खोले गये स्कूल व कॉलेज

243. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सन् 66-67 व 67-68 के बजट में कितने नये कॉलिज व स्कूल खोलने के लिए

(श्री जयनारायण सालोदिया)
कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था और उससे कहां कहां कॉलेज व स्कूलें खोली गई ?

(2) नये कॉलेज या स्कूलें खोलने में सरकार की नीति क्या है ?

उत्तर

(1) सन् 1966-67 व 67-68 जहां जहां स्कूल्स व कॉलेज खोले गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

प्राइमरी पाठशालाओं के लिए		25,000 रु.
मिडिल स्कूलों के लिये	..	2,50,000 रु.
उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिये	.. ..	3,67,000 रु.
कॉलेजों के लिये	..	7,57,500 रु.

का 66-67 में प्रावधान था। कमी को पूरक मांग द्वारा पूर्ण किया गया।

सन् 66-67 में 14 प्राथमिक शालाओं को कन्या माध्यमिक शाला एवं 21 कन्या माध्यमिक शालाओं को कन्या उच्च विद्यालयों में परिवर्तित किया गया।

सन् 67-68 में राजगढ़ में कॉलेज खोला गया।

(2) नये कॉलेज खोलते समय स्थानीय जनता की मांग, छात्रों की संख्या भवन की उपलब्धता तथा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर खोला जाता है। स्कूल्स खोलने के आधारों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

किशनगढ़ में छात्रों के लिए सरकारी भवन

244. **श्री सुमेर सिंह** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक शिक्षा के लिये छात्र छात्राओं के लिये किशनगढ़ में कोई सरकारी इमारत नहीं है ?

(2) यदि हां, तो उनके लिये कब तक नया भवन बनाने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां, प्राथमिक शिक्षा के लिये किशनगढ़ में कोई सरकारी इमारत नहीं है।

(2) धनाभाव के कारण फिलहाल संभव नहीं है।

नगर–पहाड़ी रोड की मरम्मत

245. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर-पहाड़ी रोड बाढ़ के कारण खराब हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर खेडला, नौआबाद-गोपालगढ़ और पहाड़ी के बीच 4 खुरे पड़ते हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर यातायात केवल उक्त खुरों पर पानी गहरा भर जाने के कारण रुक जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खुरों पर पुलियों का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या इसी वर्ष यह कार्य करा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, कार्य आरम्भ करा दिया है।

Page No. 36

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) पुल निर्माण कार्य योजना से स्वीकृत नहीं है केवल यातायात की सुविधा हेतु खुरों को पक्का कराये जाने का कार्य चल रहा है।

नागौर से पुष्कर तक डामर रोड का निर्माण

246. श्री **गोरधन सैनी** (मेडता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या यह सही है कि नागौर से पुष्कर वाया मेडता बजट में प्रावधान होते हुए भी डामर रोड नहीं बना ?

(2) क्या यह सही है कि मेडता-अजमेर, मेडता-नागौर, मेडता, जैतारन, मेडता-डेगाना, मेडता-पीपाड एक भी डामर रोड नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां किन्तु नवीन ठेकों पर प्रतिबन्ध होने के कारण कार्य नहीं कराया गया है।

(2) मेडता से पादू के भाग को छोड कर शेष डामर रोड्स नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)।

सांचोर–भीनमाल–झाब सडकों की मरम्मत

247. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर-भीनमाल व भीनमाल-झाब फेयर-वेदर सडकें हैं और इन पर बस चलती है ? अगर हां, तो ये रास्ते कितने कितने लम्बे हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ये रास्ते राजस्थान की बीस साला सडक-निर्माण योजना में लिये गये हैं ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इन रास्तों में ज्यादा रेती आने से एवं नदियां आने से साल के काफी महीनों तक ये रास्ते बन्द रहते हैं और सारा आवागमन रुक जाता है ? अगर हां, तो इस समस्या के समाधान के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

(4) क्या सरकार जनता के हित में साल में कम से कम एक या दो बार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन सडकों को ठीक कराना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं बसों के आवागमन के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) राजस्थान में स्वीकृत बीस साला सडक निर्माण योजना कोई नहीं है।

(3) यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

1966-67 में सडक निर्माण कार्य

248. श्री **हरजी राम बुरडक** (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह

(श्री हरजीराम बुरडक)
बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार ने माह जनवरी, 67 व फरवरी, 67 में सड़कों पर कितना रुपया खर्च किया और वित्तीय वर्ष 66-67 के अन्य महीनों से इन दो महीनों में क्या ज्यादा खर्च हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) वर्ष 66-67 में बनाई गई सड़कों का विवरण जिले वाइज देने की कृपा करें और उसमें यह भी बतायें कि कार्य की कब मंजूरी हुई, कब कार्य शुरू हुआ तथा कार्य कब बन्द हुआ तथा उस पर कितना खर्चा हुआ ? बन्द करने के कारण भी बताने की कृपा करें।

(दिनांक 21-3-68 व 28-3-68 को पुनः पूछा गया)।

उद्योग हेतु दिया गया ऋण एवं उनकी वसूली

249. श्री **हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान सरकार ने पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल कितना ऋण उद्योग चलाने के लिए उद्योग चलाने वालों को योजनावार दिया था ?

(2) इस ऋण को कितने वर्षों में वापिस वसूल करने का प्रावधान था ?

(3) इस लोन पर सूद की दरें क्या क्या रखी गई हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) लघु उद्योगों के ऋण को 8 वर्षों में वसूल करने का प्रावधान है। बडे उद्योगों के ऋण की वसूली के संबंध में सूचना संलग्न है।

(3) लघु उद्योगों के लोन पर सूद की सामान्य दर 3 प्रतिशत व सहकारी समितियों से 2.1/2 प्रतिशत रखी गई है।

बडे उद्योगों के लोन पर सूद के संबंध में सूचना प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में सूचना में सम्मिलित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सुमेर को औद्योगिक बस्ती का कार्य

250. श्री **फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सुमेरपुर (जिला पाली) की औद्योगिक बस्ती का कार्य अब किस परिस्थिति में है ?

(2) क्या वहां बिजली व पानी का प्रबंध हो गया है ?

(3) क्या वहां उद्योग लगाने वालों के लिये कच्चे माल आवश्यक ऋण व अन्य जरूरी मांगों की पूर्ति का प्रबंध कर दिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं होने से जिनके नाम

(श्री फूलचन्द बाफना)

पर शेड आवंटित हुए हैं वे अपने शेड्स में उद्योग प्रारंभ नहीं कर पाये हैं फिर भी उनसे उन शेड्स का किराया वसूल किया जाता है ?

(5) क्या उद्योग करने वालों को उद्योग करने की स्थिति में नहीं लाने के पहले ही शेड्स का किराया वसूल किया जाना उचित है ?

(6) क्या इस किराये को माफ किये जाने और किराया तभी से लिये जाने के आदेश नहीं दिये जाने चाहिये जब से कि वे उद्योग प्रारंभ करें ?

(7) क्या यह सही है कि मद्रास, बंबई, बंगाल, आसाम आदि से बहुत से राजस्थानी राजस्थान में और सुमेरपुर में भी आकर उद्योग चलाना चाहते है ? यदि हां, तो ऐसे उद्योग चलाने वालों को सरकार की ओर से क्या क्या सुविधायें देने की घोषणा अथवा व्यवस्था की हुई है ?

(8) टोंक में चमड़े का जैसा बड़ा कारखाना बनाया जा रहा है उसी प्रकार का एक कारखाना क्या जवाई बांध पर नहीं बनाया जा सकता जब कि जवाई बांध से पानी उपलब्ध किया जा सकने का प्रबंध किया जा सकता है ? यदि ऐसा किया जाय तो क्या यह सही नहीं है कि जवाई बांध के आसपास बहुत अधिक तादाद में प्राप्य कच्चे चमड़े को वहीं पर तैयार किया जाकर बाहर भेजा जा सकता है ?

उत्तर

(1) 32 शेड्स, सड़कें व केन्टीन के भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है।

(2) जी हां।

(3) ऋण राजस्थान वित्त निगम तथा बैंक देता है। कच्चा माल इन उद्योगों को उपलब्धी के अनुसार देने का प्रबन्ध है।

(4) शेड्स का किराया बिजली व पानी की सुविधायें उपलब्ध होने के बाद से ही लिया गया है।

(5) प्रश्न चार के उत्तर में यह बताया जा चुका है।

(6) जी नहीं।

(7) जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनको दी जाने वाली सुविधाओं का प्रकाशन किया जा चुका है।

(8) जब कभी इस प्रकार के दूसरे यूनिट लगाने की योजना बनाई जावेगी जवाई को ध्यान में रखा जावेगा।

उद्योग के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों की पूर्ति

251. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के काल में उद्योग के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वह पूरे हुवे ?

(2) अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

(3) उद्योगीकरण हेतु जो धन राशि इन योजनाओं में निर्धारित की थी क्या वह पूरी काम में ली जा सकी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री उद्योग मंत्री)

उत्तर

(1) उद्योग के लिये निर्धारित वित्तीय लक्ष्य प्रथम पंच वर्षीय योजना में 84 प्रतिशत, द्वितीय योजना में 88 प्रतिशत और तृतीय योजना में 76 प्रतिशत पूरे हुवे।

(2) जैसा प्रश्न एक उत्तर में बताया गया हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य 76 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक पूरे हुए जो कमी रही उसके कारण यह हैं कि कुछ योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण चालू नहीं की जा सकीं और कुछ योजनाओं को आर्थिक कटौती के कारण बन्द करना पड़ा।

(3) इसका उत्तर प्रश्न एक व दो में दिया जा चुका है।

ग्रामीण विद्युतिकरण के तहत पर केपिटा खर्चा

252. **श्रीमती लक्ष्मी कुमरी चूण्डावत** (भीम): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में ग्रामीण विद्युतिकरण के तहत हर जिले में पर केपिटा कितना खर्चा किया गया हैं?

उत्तर

समस्त राजस्थान के आधार पर ग्रामीण जन संख्या पर 4.76 केपिटा खर्चा आता है वैसे राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में हिसाब जिलेवार नहीं रखा जाता है इसलिये जिलेवार पर केपिटा खर्चे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कोटा से जयपुर तक ट्रांसमीशन लाइन

253. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत् मण्डल ने कोटा से जयपुर तक ट्रांसमीशन लाइन के निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम से 2 करोड रुपये के ऋण की मांग की थी और निगम ने एक करोड रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी थी? यदि हां, तो उक्त धन-राशि अभी तक भी प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हैं?

(2) कोटा के आणविक विद्युत् स्टेशन से जयपुर तक ट्रांसमीशन लाइन डालने के निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिए था और अब कब पूरा हो जावेगा?

(3) उक्त निर्माण कार्य पर कुल कितना खर्चा होने का अनुमान है?

उत्तर

1. (अ) जी हां।

(ब) जी हां।

(स) औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होने से।

(2) लक्ष्य के अनुसार अप्रैल-मई 1970 तक पूरी हो जानी चाहिये।

(3) 666.50 लाख रुपये का।

औद्योगिक कारखाने खोले जाने की योजना

254. श्री रतनलाल रोत (चौरासी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रतनलाल रोत)

(1) पिछले वर्षों में राजस्थान के समस्त जिलों में एक एक औद्योगिक कारखाना या मिल स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था ?

(2) क्या जिला मुख्यालयों पर कारखाना खोलने के बारे में अगली पंच-वर्षीय योजना में कोई प्रावधान रखा जाने वाला है ? यदि हां, तो ऐसे कारखाने खोलने की विस्तृत योजना क्या है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

अलवर के प्राइवेट प्रेसों को ऋण

255. श्री **गंगासहाय** (कठूमर सु.): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर में जो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस चल रहे हैं, उनमें से कितनी प्रेसों के मालिकों को ऋण दिया गया है और कितना ऋण दिया गया है और कब दिया गया है ?

(2) दिये गये ऋण में से कितनी धनराशि किश्तों के रूप में वसूल हो चुकी है ?

(3) क्या जिन प्रेसों को ऋण दिया गया है वे सब चल रही हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) 16790 रुपये की धन राशि वसूल हो चुकी है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन

256. श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ जिले में कितने दैनिक व साप्ताहिक पत्र कितने कितने समय से निकल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन पत्रों में से किस-किस समाचार पत्र को कितने कितने समय से सरकार ने सरकारी विज्ञापन देने हेतु मान्यता प्रदान कर रखी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) जिन समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन नहीं दिये जा रहे हैं उसका क्या कारण है और अब कब तक सरकारी विज्ञापन दिया जाना प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है
(परिशिष्ट "क")

(2) सूची संलग्न है।
(परिशिष्ट "ख")।

(3) समाचारपत्रों को इसके लिये बनाये गये नियमों के अन्तर्गत विज्ञापन दिये जाते हैं। अस्वीकृत पत्रों को सरकारी विज्ञापन नहीं दिये जाते। अतः यह बताना कठिन है कि किस पत्र को कब विज्ञापन दिया जाना प्रारम्भ किया जावेगा। पत्र को, इसके लिये आवेदन पर आवश्यक जांच पड़ताल के पश्चात्, यदि वह पत्र निर्धारित आवश्यकताएं पूरी करता है, तो सरकार उसे सरकारी

(श्री जनसम्पर्क मंत्री)
विज्ञापनों के लिये मान्यता प्रदान करती है। मान्यता होने पर ही विज्ञापन दिए जा सकते हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

स्नातक सिपाहियों को पदोन्नति

257. **श्री गंगासहाय** (कठूमर–सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में 6 वर्ष से अधिक सेवाकाल वाले स्नातक सिपाही (Graduate constables) कितने हैं ?

(2) गत 6 वर्षों में कितने स्नातक सिपाहियों को किन किन पदों पर विभागीय तरक्की दी गई है ?

(3) यदि किसी को तरक्की नहीं दी गई है तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 6 वर्ष से अधिक सेवाकाल के 7 स्नातक कानिस्टेबल हैं।

(2) उक्त अवधि में 6 स्नातक कानिस्टेबल मुख्य आरक्षी के पदों पर पदोन्नत किये गये हैं।

(3) क्योंकि उसने नियमानुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं की। शैक्षणिक योग्यता के अलावा विभागीय परीक्षा पास करना पदोन्नति के लिये अनिवार्य है।

खैरवाडा में जवानों की संख्या

258. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा-सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि छावनी खैरवाडा जिला उदयपुर में जवानों की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार था ? यदि हां, तो कब तक बढ़ाई जावेगी ?

(2) 1942 में एम. बी. सी. खैरवाडा में कितने जवान रहते थे ? और अब कितने रहते हैं ?

(3) क्या सरकार इस छावनी में जवानों के लिये ट्रेनिंग सैन्टर खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, एम. बी. सी. खैरवाडा का स्तर बढ़ाकर बटालियन स्तर करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा उदयपुर रेंज के जिलों को इमरजेंसी रिजर्व में कमी कर निम्नलिखित नफरी को एम. बी. सी. खैरवाडा में वृद्धि दिनांक 29-9-67 से कर दी गई है।

1.	थानेदार ..	1
2.	मुख्य आरक्षक	44
3.	आरक्षक ..	353

(2) 1942 में एम. बी. सी. खैरवाडा में 1 कमाण्डेट (मेजर), 1 सूबेदार मेजर, 3 सूबेदार, 6 जमादार, 17 हवलदार, 16 नायक, 7 बिगुलर एवं 313 सिपाही की नफरी तैनात मालूम होती है। अब खैरवाडा एम. बी. सी. में निम्न अधिकृत नफरी तैनात है :–

1 पुलिस उप अधीक्षक, 2 निरीक्षक, 9 उप-निरीक्षक, 61 मुख्य आरक्षी एवं

(श्री गृह मंत्री)
300 आरक्षक हैं। बाकी स्ट्रेन्थ जिलों में कार्य करती है।

(3) इस छावनी के लिये अलग से ट्रेनिंग सैन्टर खोलने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

परिवार नियोजन का प्रचार करने वाले कर्मचारियों को ऑनोरेरियम यात्रा भत्ता आदि

259. श्री **रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) किस किस जिले में कौन कौन व्यक्ति परिवार नियोजन कार्यक्रम में गैर सरकारी व्यक्ति प्रचार आदि के लिये सरकार से यात्रा भत्ता आदि के लिये सरकार से ऑनोरेरियम एवं टी. ए. प्राप्त कर चुके हैं या अब भी कर रहे हैं?

(2) पिछले तीन वर्षों म किस, किस व्यक्ति को कितना कितना ऑनोरेरियम तथा यात्रा भत्ता चुका दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों के नाम एवं उनके पिता या पति के नाम व सकूनतें बताई जावें? कृपया सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) इन नियुक्तियों के लिये क्या नियम है एवं चयन के क्या आधार थे एवं अब क्या वही परम्परा है या कोई परिवर्तन हुआ है? कृपया प्रत्येक चयन का आधार बतायें?

(4) क्या ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति से पहले पंचायत समितियों से ऐसे व्यक्तियों के लिये सिफारिशें मंगाई गई थीं? यदि हां, तो किस किस जिले में किस किस पंचायत समिति ने किस किस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की थीं? समस्त व्यक्तियों की जिलेवार सूची सदन की मज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) परिवार नियोजन कार्यक्रम में काम करने वाले गैर सरकारी व्यक्तियों की जिन्हें सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है जिलेवार सूची संलग्न है। ये समस्त व्यक्ति 31-3-67 तक ही कार्य करते थे। इस वर्ष के लिये अभी तक कोई नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

(2) जिलेवार तथा नाम वार सूची संलग्न है। भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक जिला स्तर अवैतनिक कार्यकर्त्ता को 2 हजार रु0 वार्षिक अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस राशि में ही उनके यात्रा भत्ता आदि के व्यय सम्मिलित होते हैं। भारत सरकार ने ऐसे लीडरों के जो विवरण मांगे थे उनमें पिता या पति का नाम अंकित नहीं था। अत: संलग्न सूची में वह सूचना अंकित नहीं है।

(3) वर्ष 66-67 तक इस संबंध में नियुक्तियां राज्य के चिकित्सा निदेशालय की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा की जाया करती थीं। फरवरी 67 में भारत सरकार ने विस्तृत निर्देश भेजे हैं इसके अनुसार राज्य स्तरीय लीडर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा ही की जावेगी। जिला स्तरीय एजूकेशन लीडर्स की नियुक्तियां भी भारत सरकार द्वारा ही की जावेंगी। किन्तु उनके लिए सिफारिश राज्य परिवार नियोजन अधिकारी क्षेत्रीय

(श्री चिकित्सा मंत्री)
संचालक (परिवार नियोजन) भारत सरकार, चंडीगढ़ के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जावेगी। ब्लाक स्तर तथा ग्रुप लीडर्स की नियुक्तियां जिले के कलेक्टरों द्वारा की जावेंगी। कलेक्टर्स नियुक्तियां करने से पूर्व संबंधित जिला परिवार नियोजन अधिकारी तथा जिला स्तर एजूकेशन लीडर से सिफारिशें प्राप्त करेंगे।

(5) नये निदेशों के अनुसार सिर्फ ब्लाक स्तर तथा ग्रुप एजूकेशन लीडर्स के चयन के संबंध में जिला परिवार नियोजन अधिकारी तथा जिला स्तरीय एजूकेशन लीडर अपनी सिफारिश जिला कलेक्टर को करेंगे। वे अपनी सिफारिश करने से पूर्व पंचायत समितियों से सिफारिश मांगते हैं। कलेक्टरों द्वारा अभी तक ऐसे लीडर्स की नियुक्तियां नहीं की गई हैं उन्होंने राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो में जो अब तक नाम भेजे उनकी सूची संलग्न है। इन व्यक्तियों की नियुक्ति का मामला सरकार के विचाराधीन है। यद्यपि भारत सरकार के निदेशानुसार इन व्यक्तियों की नियुक्तियां जिला कलेक्टर ही करेंगें किन्तु अभी तक सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है और उनसे ऐसे व्यक्तियों के नाम ही मांगे हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सुमेर गंज मंडी में हरिजनों की पिटाई

260. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन सु.): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 8-8-67 को सुमेरगंज मंडी रेलवे स्टेशन इन्द्रगढ़ में श्री नेनूराम हरिजन के साथ किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई?

(2) क्या यह सही है कि नेनूराम को मकान में बन्द करके हाथ पैर बांध कर पूरी पार्टी ने पीटा और इन्द्रगढ़ पुलिस के थानेदार ने उसे छुडाया।

(3) श्री नेनूराम को किन किन व्यक्तियों द्वारा पीटा गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री नेनूराम को देवीसिंह और भंवरसिंह एवं लड्डूलाल ने, लड्डू के घर पर लेजाकर मार पीट की और स्टेशन पर एक कटहरे के बीच एक खम्बे से बांध दिया था। यह सही नहीं है कि थानेदार ने श्री नेनूराम को छुडाया परन्तु गैर सायलान ने यह सुन लिया था, कि एस. एच. ओ. इन्द्रगढ़ रेलगाड़ी द्वारा कोटा से आ रहे हैं उन्होंने स्वयं ही उसे छोड़ दिया। जब कि एस. एच. ओ. के कोटा से आने की बात गलत थी एस. एच. ओ. तो थाने पर ही थे।

(3) श्री नेनूराम को देवीसिंह पुत्र धूलसिंह राजपूत तथा भंवरसिंह राजपूत ने पीटा और लड्डू पुत्र देवीसिंह मीना निवासी सुमेर गंज मंडी तथा काना उर्फ कन्हैयालाल पुत्र केशा मीना निं. सुमेर गंज मंडी की इसमें अयानत थी।

(श्री गृह मंत्री)

(4) दिनांक 8-8-67 को 5 बजे शाम रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर मु. नं. 12 दिनांक 8-8-67 धारा 342।330 ता. हि. दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई । और तफतीश मुलजिमान के विरुद्ध जुर्म साबित होने पर दिनांक 3-9-67 को मुल. काना (कन्हैयालाल) देवीसिंह तथा लड्डू को गिरफ्तार किया जाकर जुर्म काबिल जमानत होने से उन्हें 1000) रु. जमानत मुचलकों पर छोडा गया तथा मु. भंवरसिंह अभी भी फरार है । उसकी गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की जा रही है । उपरोक्त तीनों मुल. का चालान दि. 10-11-67 को अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है। जहां विचाराधीन है ।

ओवरसियर के विरुद्ध सीमेंट की चोरी की शिकायत

261. श्री **महेन्द्रसिंह** (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील दीगोद में तैनात एक सिचाई विभाग के ओवरसियर श्री रोशन लाल के खिलाफ सरकारी सीमेंट की चोरी का मुकदमा पुलिस स्टेशन, बड़ादीत में दर्ज हुआ है । यदि हां, तो पुलिस ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

जनरल अस्पताल, अलवर में पानी आदि की व्यवस्था

262. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर के जनरल अस्पताल में ड्यूटी डाक्टर के लिये कोई टट्टीघर, पेशाबघर अथवा पानी पीने का प्रबन्ध नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि इस अस्पताल में आउटडोर मरीजों के लिये भी टट्टीघर, पेशाबघर अथवा पानी पीने का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

(3) क्या सरकार अस्पताल के आउटडोर के हिस्से में इन आवश्यक सुविधाओं के प्रबन्ध के लिये टट्टीघर, पेशाबघर, गुसलखाने और पानी पीने के नल लगवाने की व्यवस्था करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि इस अस्पताल में आउटडोर ब्लाक का इनडोर वार्डों की बिल्डिंग का कोई बरामदे आदि से सम्बन्ध नहीं है इसलिये आउटडोर से मरीजों को स्ट्रेचर में उठाकर डोर तक ले जाना पडता है और इसी प्रकार इनवार्ड वार्डों से एक्सरे आदि के लिये स्ट्रेचर पर ही मरीजों को आउटडोर में लाना पड़ता है जिसके कारण मरीजों को स्ट्रेचर की तकलीफ के अलावा, वर्षा, धूप और सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है ?

(5) क्या सरकार आउटडोर ब्लाक को इनडोर वार्डों से सम्बन्धित करने के लिये एक इतने ही ऊंचे प्लिथ का बरामदा बनाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) इस अस्पताल के आउटडोर मरीजों के लिये टट्टीघर नहीं है । पेशाबघर

(श्री चिकित्सा मंत्री)
(खुड्डीदार) आहाते क अन्दर हैं व पानी पीने का प्रबन्ध है।

(3) जी हां। आवश्यकतानुसार आवर्तन परिवर्तन करवाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(4) जी हां।

(5) धन की उपलब्धि पर विचार किया जा सकेगा।

कान्स्टेबलों के विरुद्ध शिकायतें

263. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दुर्गाप्रसाद पुत्र छोटेलाल ब्राह्मण, निवासी जती की बगीची, अलवर ने सितम्बर, 1966 में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, अलवर के पास हैड कान्सटेबल अर्जुनसिंह, कान्स्टेबल चन्द्रप्रकाश सक्सेना, घनीराम, नत्थूसिंह और मक्खन के विरुद्ध अनुचित रूप से मारपीट करने और सामान छीनने की लिखित शिकायत की थी?

(2) क्या यह सही है कि श्री दुर्गाप्रसाद ने अपनी इस शिकायत के साथ एक डाक्टरी सर्टिफिकेट भी पेश किया था जिसमें उसके दस चोटें आना जाहिर किया हुआ था?

(3) क्या इस शिकायत की कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

उत्तर

(1) जी -, पेश की थी।

(2 जी हां। डाक्टरी सर्टिफिकेट की नकल पेश की थी उसे प्राईवेट डाक्टर एस. जी. माथुर ने दिया था।

(3) जी हां, जांच से श्री दुर्गाप्रसाद की ट्रेफिक पुलिस के मुलाजमान द्वारा मारपीट करना पाया गया, परन्तु श्री दुर्गाप्रसाद ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट राजगढ़, अलवर की अदालत में उन ट्रेफिक के मुलाजमान के खिलाफ इस्तगासा दायर कर रखा है जहां पर वह जेर तजवीज है। ऐसी सूरत में कोई विभागीय कार्यवाही संभव नहीं है। उक्त अदालत से उसके इस्तगासे के फसले के बाद ही कुछ कार्यवाही की जा सकती है।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में हाउस सर्जन के पद पर कार्य

264. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एम. बी., बी. एस. पास करने के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में केवल जयपुर मेडिकल कालिज से पास शुदा छात्रों को ही हाउस सर्जन का काम दिया जाता है और बीकानेर अथवा उदयपुर से पास छात्रों को इस अस्पताल में हाउस सर्जन नहीं रखा जाता?

(2) क्या यह सही है कि पोस्ट-ग्रेज्युएट मेडिकल कक्षाएं केवल जयपुर मेडिकल कॉलेज में ही हैं, राजस्थान के दूसरे मेडिकल कॉलिजों में यह सुविधा नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि पोस्ट-ग्रेज्युएट कक्षाओं में रजिस्ट्रेशन के लिये जयपुर के अस्पताल के हाउस सर्जनों को प्राथमिकता दी जाती है?

(4) क्या सरकार जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल मे हाउस सर्जनों की

(श्री रामानन्द्र अग्रवाल)

नियुक्तियां एम. बी., बी. एस. की परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर करने के लिये विचार करेगी चाहे वह छात्र राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलिज से सम्बन्धित रहा हो ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राथमिकता एस. एम. एस. कॉलेज के छात्रों को दी जाती है। यदि स्थान रिक्त होता है, तब अन्य छात्रों को लिया जाता है। जयपुर, बीकानेर और उदयपुर मेडिकल कालेजों में भी हाउस सर्जन के पद हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। प्राथमिकता उसी कॉलेज के छात्रों को दी जाती है अन्य कॉलिजों के छात्रों का दूसरे मेडिकल कॉलेजों में गाइड्स व को-गाइड्स योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाता है।

(4) इसकी सूचना खण्ड (1) में दी जा चुकी है। पुनः विचार का प्रश्न ही नहीं उठता।

चोरी आदि के मामले

265. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) थाना सवाईमाधोपुर में सन् 65, 66 एवं 67 में क्रमशः कितने चोरी एवं नकबजनी के मामले दर्ज रजिस्टर हुए एवं इनमें क्रमशः कितनी मालियत की चोरी होना बतलाया गया है ?

(2) इनमें से कितने मामलों में चोरी बरामद की जा सकी एवं कितनी मालियत की और कितने मामलों के चालान अदालत में पेश हुए ? कृपया सालवार क्रमशः बताइये।

उत्तर

1. सन् 1965-66 एवं 67 में निम्न तालिकानुसार चोरी, नकबजनी के मुकदमें दर्ज हैं तथा उनमें निम्न रुपयों का माल चोरी गया है:—

सन्	चोरी की रिपोर्ट	नकबजनी की रिपोर्ट	कितना माल चोरी गया	कितना माल नकबजनी में चोरी गया
1	2	3	4	5
1965	26	46	127553/59	13478/8
1966	29	52	5997/50	14261/8
1967	38	30	5907/50	24372/22

2. 69 मुकदमों में 39241)92 का माल बरामद किया गया है तथा 69 ही मुकदमों का अदालत में चालान पेश किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

नगरपालिका का निर्माण

266. **श्री कल्याणमल मीणा** (जहाजपुर सु.) : क्या स्वायत्त शासन-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिस कस्बे की जन संख्या 8000 के लगभग हो वहां नगरपालिका बनाई जा सकती है ? यदि हां, तो क्या जहाजपुर की नगरपालिका बनाने की घोषणा की जायगी ?

उत्तर

जी हां। मामला विचाराधीन है।

अजमेर में पानी की व्यवस्था

267. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या पेय जल योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बनास की जल योजना का पानी अजमेर नगर को कब तक प्राप्त होगा ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में जो पाइप लाइन पुरानी बिछाई हुई है वह गलत तरीके से बिछाई हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे ठीक करवाने की व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) बनास की जल योजना का पानी अजमेर में मार्च के महीने के बाद पहुंचने की आशा है।

(2) जहां तक अजमेर नगर की पुरानी पाइप लाइन का सम्बन्ध है उसमें सुधार अजमेर नगर में पानी लाने के पश्चात् ही होना सम्भव है। बगैर पानी के नई लाइनें डालने में वर्तमान स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है।

खैरवा जल वितरण योजना का सर्वे

268. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खैरवा जल वितरण योजना, तहसील पाली का सर्वेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? तथा इस योजना को पूरी करने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत खैरवा की ओर से एक ग्रामीण सेठ आवश्यक धनराशि का एक हिस्सा देने को तैयार है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को अपने हाथ में लेगी और पूरी करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, फरवरी 68 के आखिरी सप्ताह में लगभग 2.53 लाख रुपयों की।

(2) ऐसी कोई सूचना नहीं है। योजना बनाई जाने के बाद योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर हाथ में ली जावेगी।

नगर सुधार न्यास

269. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में इस समय किन किन नगरों में नगर सुधार न्यास हैं ? उनके कौन कौन पदाधिकारी एवं सदस्य हैं ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त नगर सुधार न्यासों के वर्तमान अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति का क्या आधार है ? इस दृष्टि से क्या कोई नियम बनाया हुआ है ?

(3) क्या इन अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित जिलाधीशों से इनकी बाबत राय मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या इन सब लोगों के विषय में जिलाधीशों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
ने अपनी सहमति प्रकट की थी ? यदि नहीं, तो किस किस के विषय में जिलाधीशों ने अपनी असहमति प्रकट की थी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, हिन्डौन, भीलवाडा तथा चित्तौडगढ़ नगरां में नगर सुधार न्यास कार्य कर रहे हैं। पदाधिकारी एवं सदस्यों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नगर सुधार न्यासों में अध्यक्ष एवं सदस्य जनता के प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं कुछ सरकारी अधिकारियों को ही मनोनीत राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर किया जाता है।

(3) जी हां, जिलाधीशों से सूची मांगली जाती है तथा उसी सूची में से अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत किये जाते हैं जिन जिन को मनोनीत किया गया है, उनके नाम सूची में उपलब्ध हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)।

स्थगित प्रश्न

(6–3–68)

स्कूलों में कृषि एवं पशुपालन के ऐच्छिक विषय तथा उन पर व्यय

178. श्री **रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में किस किस स्कूल म कृषि एवं पशुपालन विषय के ऐच्छिक विषय पढ़ाये जाते हैं एवं उन स्कूलों में प्रत्येक में वर्ष 66–67 में कितने छात्र इन विषयों का अध्ययन करते थे ? प्रत्येक पाठशाला में इन ऐच्छिक विषयों के रखने से कितना कितना रुपया किस किस मद में व्यय हुआ ?

उत्तर

1. राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर स्थित 14 राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कृषि एवं पशुपालन विषय पढ़ाये जाते हैं। वर्ष 66-67 में जितने छात्र विषयों का अध्ययन करते थे उनकी संख्या स्कूलों के आगे अंकित है :—

क्रम सं. राज.बहु. उच्च माध्यमिक विद्या.	छात्रों की संख्या 9	10	11	कुल
1. केकड़ी (अजमेर)	16	12	6	34
2. सराधना (अजमेर)	21	25	7	53
3. मसूदा (अजमेर)	50	30	8	88
4. पीसांगन (अजमेर)	90	49	13	152
5. माणकचौक (जयपुर)	21	38	13	72
6. जोबनेर (जयपुर)	34	40	24	98
7. बस्सी (जयपुर)	42	18	–	60
8. बारां (कोटा)	214	144	253	83
9. देवली (टौंक)	54	47	171	18
10. डूंगरपुर	50	35	151	00
11. भरतपुर	91	100	232	14
12. शाहपुरा (भीलवाड़ा)	87	92	101	89
13. रींगस (सीकर)	28	–	–	28
14. श्रीगंगानगर	36	32	9	77

उपरोक्त स्कूलों में मदवार व्यय बतलाना संभव नहीं है। इस मद में 2,10,000 रुपये की स्वीकृत राशि सत्र 1966-67 में थी

(9.10.म. पू.)

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष: ग्राम पंचायत काल्योखड़ी, लाडपुरा जिला कोटा के ग्राम पदमपुरा, कोथला के वन में शेर के उत्पात से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री बृजवल्लभ बोहरा व श्री नन्दलाल, सदस्य विधान सभा ने दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। इस विषय को 20 मार्च, 1968, को वन विभाग की मांग पर होने वाली बहस के दौरान कटौती प्रस्ताव के जरिए भी उठाया जा सकता ह। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष: श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रामकिशन (वैर): मेरा भी एक था।

श्री उपाध्यक्ष: सूचना अभी प्राप्त उसमें नहीं हुई है, सूचना प्राप्त होने पर व्यवस्था दी जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर): मैंने एक तारीख को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, उसकी आज तक कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक दिन में एक आ सकता है और उसके लिए यह व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है। जब तीन माननीय सदस्य मिलकर किसी ऐसे प्रस्ताव पर दस्तखत करते हैं तो वह सदन में रखा जाता है और एक दिन में एक रखा जाता है और जो पहले आता है उसको पहले रखा जाता है, उस हिसाब से आप इंतजार करें, आपका प्रस्ताव भी आ जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): व्यवस्था का प्रश्न है। अपने सदन में दर्शक दीर्घा के नियम तो बने हुए हैं परन्तु जो लोग माननीय सदस्यों से हम लोगों से मिलने के लिए यहां प्रवेश पाना चाहते हैं उनको पास नहीं दे सकते हैं। स्वागत कक्ष में आने का पास भी नहीं दे सकते। वे लोग जो आना चाहते हैं, उनको आने की सुविधा नहीं है। परसों उदयपुर के एक एडवोकेट हैं श्री मेहता वह मुझसे मिलना चाहते थे। मेरे सदन में आने के बाद वह उदयपुर से आए। फोन पर उन्होंने मुझसे कान्टेक्ट किया, मैंने उनको बुलाया, नोटिस आफिस में मैंने कह दिया कि फलाने वकील आ रहे हैं, उनको नीचे पूछताछ कार्यालय से पास दिया जाय, नोटिस कार्यालय ने नीचे सूचना दे दी फोन पर। इसक बावजूद दो बजे जब वह वहां पर आए तो शाम को 5 बजे तक वह इंतजार करते रहे लेकिन उनको यहां पर आने नहीं दिया गया। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक इस प्रश्न का सवाल है····

श्री **उपाध्यक्ष:** मैं आपकी बात को समझ गया। पहले भी यह प्रश्न आया था। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, कृपया स्थान ग्रहण करें। कोई व्यवस्था का प्रश्न सदन के प्रशासन के विरुद्ध नहीं आता है। अगर किन्हीं माननीय सदस्यों को असुविधा होती है या नियमों में सुधार करने की आवश्यकता हो, तो विधान सभा सचिवालय को उसकी सूचना दे दें और ऐसे सभी जो मसले हैं। सामूहिक रूप से विचार करके और नियमों के अन्दर आवश्यक प्रावधान या हेरफेर किया जा सकता है। यह बात स्पष्ट है कि सदन का जो प्रशासन है उसके विरुद्ध सदन में यह मामला नहीं उठाना चाहिए न ही उसके

(श्री उपाध्यक्ष)
विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव या प्रश्न उठता है और न कोई व्यवस्था का प्रश्न है। आपको तकलीफ होती है तो वह सचिवालय के ध्यान में लाएँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने तो व्यवस्था दे दी कि यहां की व्यवस्था के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठ सकता। मैंने तो उठाया नहीं था लेकिन आप यह व्यवस्था देकर कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता····

श्री उपाध्यक्ष: मैंने दोनों बातें कही हैं न विशेषाधिकार का प्रश्न है न ही इसमें व्यवस्था या औचित्य का प्रश्न उठता है। सुविधा न देने की बात है, मामला किसी अन्य तरीके से·····

श्री रामानन्द अग्रवाल: आखिर हम क्या करें? पहले विशेषाधिकार के रूप में उठाया गया था बाकायदा जब सूचना मंगाई गई उसको सदन तक पहुंचने से रोका गया। हमने एक सदस्य के नाते····

श्री उपाध्यक्ष: मेरा निवेदन इतना ही है, यह प्रश्न यहां पर नियमानुसार नहीं उठाया जाना चाहिए। माननीय सदस्य और कोई सुविधा चाहते हैं तो व्यवस्था की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अगर बावजूद कहने के व्यवस्था नहीं होती है····

श्री उपाध्यक्ष: आप चेम्बर में आकर मिलें, इसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पहले जब इस प्रकार की बात हो चुकी है, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा चुका है और इसी आसन से आदेश दिए जा चुके हैं कि इस प्रकार की असुविधा नहीं होगी लेकिन जब एक विशेष व्यक्ति के बारे में कह दिया गया कि आ रहे हैं, जांच कार्यालय पर कह दिया गया, पूछताछ कार्यालय पर कह दिया गया, फिर भी नहीं आने दिया जाय····

श्री उपाध्यक्ष: यह सदन में उठाने का प्रश्न नहीं है, इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह तो सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों का सवाल है। आज मेरे साथ प्रश्न उत्पन्न होता है कल दूसरों के साथ उत्पन्न होगा। आखिर माननीय सदस्यों के कान्स्टीट्यूएन्सीज के लोग मिलने के लिए आते हैं······

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रश्न पर अधिक चर्चा नहीं होगी। आप मुझसे मिलें या अध्यक्ष महोदय से मिलें कुछ न कुछ व्यवस्था की जायगी, इससे ज्यादा आश्वासन....

श्री रामानन्द अग्रवाल: अभी भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मैंने कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अन्तर्गत तहसील सांचोर, ग्राम पावटा में भूमिहीन काश्तकारों को भूमि जो एलाट की गई थी, उसकी बेदखली के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। मैं राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षण करके तथ्य रखना चाहता हूं। 1962 से लेकर 1967 तक तहसील एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी थी उसके द्वारा ग्राम पावटा में पड़त भूमि काश्तकारों को 4 साल में समय समय पर एलाट की गई। उसके बाद उन लोगों से सनद फीज ली गई और सनदें जारी की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गई तहसील द्वारा, उसके बाद बराबर उनसे बिगोड़ी भी वसूल की गई। उसके बाद पड़त भूमि का नक्शा तहसील द्वारा बना और जिन लोगों को आवंटन किया गया उनको कब्जा दिया गया उसके बाद। पिछले उन वर्षों में काश्तकारों ने वहां कब्जा किया। उस इलाके में पिछले 4–5 सालों में वर्षा न होने के कारण इधर उधर-खेड़ें जरूर दीं लेकिन जमीन काश्त नहीं हो सकी। क्योंकि वहां किसी ने काश्त नही की थी, अकाल की स्थिति थी, वर्षा कम हुई थी तो इस साल लूनी नदी में जब इनन्डेशन हुआ उसके बाद काश्तकारों ने खेड़ें दीं। उसके बाद गुजरात राज्य के भूतपूर्व जागीरदार ने आकर तहसील में दरख्वास्त की कि यह जमीन मुझे दी जाय और उसने कहा कि डिप्टी कलेक्टर जागीर के द्वारा एलाटमेंट खुदकाश्त के हिसाब से कर दी गई है। तो इस बारे में तहसील में जो कार्यवाही की गई है, 4–5 सालों में सनदें जारी की गईं, बिगोड़ी दी गई, कब्जा मौजूद है, 5–6 साल बाद जब खेड़ें देकर जमीन तैयार कर ली तो भूतपूर्व जागीरदार ने सोचा कि लोगों ने जमीन तैयार कर ली है अच्छा मौका है और एलाटमेंट की आड़ लेकर तो पहले की एलाटमेंट का नंबर जागीरदार देते हैं तो उसके अनुसार जागीर विभाग द्वारा एलाटमेंट हो जाता है। गांवों के अन्दर विशेष जमीन बताते हैं उसका एलाटमेंट स्वतः होता है और उस आर्डर के बारे में तहसीलदार के यहां से जानकारी आती है तो फिर आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार करती है। लेकिन इस बारे में हाल ही में वहां के सांचोर के एक पुखराज व्यक्ति हैं उसका भूतपूर्व जागीरदार ने कब्जा नहीं किया परन्तु तहसील के एक आदमी ने उसके साथ आधा-आधा रजिस्ट्री करके आधा हिस्सा लेकर ट्रांसफर करके काश्तकारों को बेदखल करने की कोशिश की। उसमें उन नम्बरों में उन सब लोगों को भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित की गई है उन लोगों ने मिलकर दरख्वास्त दी है। मैंने भी राजस्व मंत्रीजी को दरख्वास्त दी है नवम्बर में। उन्होंने आदेश देकर भेजी भी है किन्तु उसकी जानकारी नहीं आई। राजस्व मंत्रीजी को दरख्वास्त दी थी अलाटमेंट हुआ तब किसी भी हालत में तहसीलदार बेदखल नहीं कर सकता है। उन लोगों ने ट्रेक्टर से सारा काम करवा भी लिया है। अब उनको जबर्दस्ती बेदखल किया जा रहा है। थाने में भी दरख्वास्त दी हुई है। उपाध्यक्ष जी राजस्व मंत्रीजी को यह अर्ज है कि वहां के तहसीलदार महोदय ने विरोधी पार्टी के साथ मिलकर काश्तकारों को बलाया और बुलाकर उन्हें धमकाया कि भूमि सरन्डर कर दो तुम्हें दूसरी जगह भूमि दे दी जायगी। अब वे उस भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से वहां काश्त कर ली है। इसके बावजूद भी वहां के जो काश्तकार हैं उनसे जबरदस्ती सरन्डर का लिखवा कर उनसे जमीन ले रहे हैं। मैंने दरख्वास्त राजस्व मंत्रीजी को दी थी कि वे जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई तो मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं कि 4 साल में उन्होंने जमीन को आबाद की है। अलाटमेंट कमेटी ने वहां मौका देखा है, आर. आई. ने देखा, पटवारी ने देखा है और सबकी सलाह से उनको जमीन का कब्जा दिया गया है। अब 6–7 वर्ष गुजर जाने के बाद दूसरे आदमी को वह जमीन दें, यह किसी भी हद तक उचित

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं है। जागीरदार को 61 में अलाटमेंट हुआ था, किस समय अलाटमेंट हुआ था उसकी जानकारी अलाटमेंट कमेटी को हो जानी चाहिये थी और तहसील के रेकार्ड में भी दर्ज हो जाती है तो यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता। जिनको जमीन दी गई है उनके काफी रुपये उस पर खर्च हो गये हैं। म्यूटेशन भरे हुये थे

श्री **उपाध्यक्ष**: संक्षेप में कहें।

श्री **रघुनाथ बिश्नोई**: माननीय उपाध्यक्ष जी! तहसीलदार को कोई अख्तियारात नहीं हैं कि वह विरोधी पार्टी से मिलकर नाजायज फायदा लें, उनको फेवर करने की कोशिश करे और भूमिहीन काश्तकारों को इस तरह धमकायें कि तुम जमीन छोड़ दो लेकिन अब वे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनके खेतों में गहूं खड़े हुये हैं उनकी पकी हुई फसल खड़ी है। अब ऐसे वक्त पर खून खच्चर हो सकता है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। इसलिये मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मंत्रीजी को यही निवेदन करूंगा कि जो तहसीलदार है, उसको बदला जाय। वहां की स्थिति बड़ी खराब चल रही है। दूसरी पार्टी ने म्यूटेशन भर दिये हैं। स्थिति बहुत बिगड़ गई है उस गांव में। ऐसी स्थिति में राजस्व मंत्रीजी मेरी आपसे विनय है कि ऐसे भूमिहीन काश्तकारों को बेदखली से बचाया जाय। उसका कोई इन्तजाम करके वहां की स्थिति को शांतिपूर्ण वातावरण में बदलें। मेरा मानना है कि वहां पर वही तहसीलदार जाये और अपनी गलत कार्यवाही ठीक करे। तभी स्थिति पर कुछ काबू पाया जा सकता है और शान्त वातावरण हो सकता है। वरना बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैंने यह स्थिति आपके सामने रख दी है माननीय उपाध्यक्षजी।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी जब माननीय सदस्य ने मुझे इस बारे की इत्तिला दी थी उसी समय कलक्टर से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी। जो कलक्टर से सूचना आई है उसके अनुसार यह तो सही है कि यह जमीन भूमिहीन को आवंटित कर दी गई थी। कलक्टर का यह कहना है कि सनद जारी नहीं हुई है। उसके बाद जो जमीन खाली पड़ी थी, काश्त नहीं हो रही थी कलक्टर ने यह भी सूचना दी है कि खुद काश्त में जागीरदारों को आवंटित की गई थी। यह प्रश्न खुद काश्त के अलाटमेंट का है। यह कब हुआ, कैसे हुआ इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है। मैंने इस सम्बन्ध में परसों से लेकर आज तक कलक्टर जालौर से कान्टेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन ट्रंक काल पर उनसे बात नहीं कर पाया हूं। आप इस सम्बन्ध में पूरी तरह से जानकारी करके और जो प्रश्न है उस पर गंभीरता से विचार करके माननीय सदस्य के पास जो कुछ इन्फामेशन है, हम उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करके जो कुछ कानूनी रूप से निर्देशन दिया जा सकेगा वह दिया जायगा। खुद काश्त में अलाटमेंट कब हुई। यह आवंटित पहले की गई है तो खुदकाश्त का कोई हक नहीं ह कि आवंटित की हुई भूमि को खुदकाश्त में देते। जो कुछ भी स्थिति है लेकिन यह जरूर है कि आवंटित की हुई भूमि को दुबारा खुदकाश्त में नहीं की जा सकती है। फिर भी जो स्थिति होगी, उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री **रघुनाथ बिश्नोई**: मैं तो माननीय उपाध्यक्ष जी इमीजियेटली यह चाहूंगा कि वहां के तहसीलदार ने गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी है, उस बारे में कहूंगा कि कोई न कोई

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
इन्तजाम जल्दी से जल्दी हो ताकि वहां पूर्ण शांति की व्यवस्था कायम हो जाय वरना मुझे तो खूनखच्चर होने का अंदेशा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: कलक्टर की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार नोटिसेज जारी किये गये हैं 101 के तहत। एक व्यक्ति द्वारा उजरदारी का मामला है, उसको बुलाया गया है। वहां कोई अशान्ति नहीं है, ऐसी सूचना भी नहीं मिली है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: अब आप फसल काटने का मौका आये तब देखें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: पहले भी नहीं कर रहे हैं तो बाद में क्यों करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। काश्तकारों के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। आप मंत्री महोदय से बात करलें।

आयव्ययक 1968—69 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष: आज सरकार की तरफ से 11-00 बजे उत्तर देना शुरू किया जायगा। उसमें माननीय सदस्य हिस्सा ले सकेंगे क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये समय 20 से 30 मिनट का होगा, इससे अधिक का नहीं होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से जानकारी मिली है कि उत्तर 18 तारीख को देना मंजूर हो गया है। जैसी सरकार से बात हुई है। सरकार ने अपना उत्तर 18 तारीख को देना मंजूर कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन को ऐसी सूचना नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया: माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ नेता मिले थे और उन्होंने 18 तारीख को उत्तर देने के लिये कहा था मुझे जहां तक जानकारी है, वे 18 तारीख को अपना उत्तर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवनाथ सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा (पाली): मुझे उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दौलतराम सारण।

श्री रामकिशन (वैर): ये डागा साहब क्या बोलेंगे, ये तो सदन का समय खराब करेंगे।

श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली): आपको तो बोलना ही नहीं चाहिये, बोलने वाले तो हम ही काफी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मूल चन्द डागा।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मंत्रीजी से बात की है। वे शायद इसकी सूचना दे रहे होंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला मीटिंग के समय डिसकस हुआ था। यह डिसाइड किया था कि 18 तारीख को रिप्लाई हो। इसलिये इसका रिप्लाई 18 तारीख को होगा और उसी अनुपात से थोड़ा समय सदन की कार्यवाही का बढा दिया जाय जिससे डिमाण्ड भी हो जायगी और रिप्लाई भी हो जायगा।

(9.30 म.पू.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

श्री मूलचंद डागा (पाली): सभापति महोदया सन् 1968–69 का राजस्थान सरकार का बजट हमारे सामने प्रस्तुत है। इसके द्वारा हम कैसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं यह जाहिर होना चाहिये। हमें कैसी व्यवस्था चाहिये यह हमारे संविधान ने बताया है। हम समाजवादी समाज व्यवस्था देश में कायम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसे समाज की रचना हो जिसमें शोषण न हो जिसमें आदमी आदमी का शोषण न करे। हम हमारे संविधान के आर्टिकल 39 में बताई गई व्यवस्था चाहते हैं जो लोक हित में है वह इस आधार पर है:

The State shall in particular, direct its policy towards securing—

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood,

(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good,

इस दृष्टि से इस बजट को हमें देखना है कि इसके द्वारा हम शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं वह हो सकेगी या नहीं। ऐसा मालूम होता है कि इस बजट में वह शक्ति नहीं है जो शोषण विहीन समाज रचना की दिशा की तरफ हमें ले जाय।

इसीलिये हमने राजाओं को जागीरदारों को हटाया था और सोचा था कि देश की सारी सम्पत्ति का मालिक गांव में रहने वाला कामन मैन हो।

डेमोक्रेसी में शोषण विहीन समाज की रचना में बजट बनाने वाले कोई आज की तरह के एक्सपर्ट हों यह जरूरी नहीं है। केवल कुछ ठंडे गरम कमरों में बैठ कर ऐश की जिन्दगी बिताने वाले कामनमैन से दूर, उनसे डरकर दूर भागने वाले, इन आई.ए.एस. अफसरों का बनाया हुआ बजट शोषण विहीन समाज की रचना में सहायक नहीं हो सकता। बजट बनाने वाले आम जनता के बीच उठने बैठने वाले उनके दुःख दर्दों को समझने और उनको दूर करने की सूझ बूझ वाले लोग होने चाहिये। हम नहीं चाहते कि कुछ लोग जो ऊपर हैं, वे ऊपर उठे रहें और लगातार और ऊपर उठते चले जाएं और इसके विपरीत जो नीचे दबे हुए हैं वे और दबते ही चले जावें। हम अब यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जीवन के इन पुराने दकियानूसी उसूलों को खतम करना चाहते हैं। जो मूल्य पुराने सामन्ती युग से प्रतिष्ठित चले आ रहे हैं उनको हम आम जनता के हित में बदलना चाहते हैं। बिलकुल एक नई शोषण विहीन दुनियां कायम करना चाहते हैं। एक आदमी के शरीर पर इतनी अधिक चरबी नहीं बढनी चाहिये कि जिससे वह स्वयं परेशान रहे और दूसरों को परेशान करे और दूसरी ओर इतने दौर्बल्य भी नहीं रहने देना चाहते कि जिससे वह कंकाल दिखाई देने लगे। इस वैषम्य को मिटाने वाला बजट हमें चाहिये। यह बजट ये आई.ए.एस. अफसर नहीं बना सकते। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी वाले भी नहीं बना सकते। इनकी भूमिका अलग है। ये पूंजीवादी शोषणयुक्त समाज रचना में विश्वास करने वाले हैं।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : हम जब बनावेंगे तब पता लगेगा। पर आप कब हटेंगे और कब हमें बनाने देंगे ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा**: मुश्किल है।

श्री **मूलचन्द डागा**: कांग्रेस अपनी एक रीति नीति को लेकर चलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वतन्त्र पार्टी चित्तौड़ में यह प्रतिज्ञा नहीं करती कि हम प्रिवीपर्स की रक्षा करेंगे। निहित स्वार्थों को, शोषण समाज को बनाये रखेंगे। ऐसे इन स्वतन्त्र विधायकों को इस प्रकार के बजट पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। चित्तौड़ जैसी पवित्र भूमि पर इस तरह का प्रस्ताव पास करें। राजा महाराजाओं को अपनी नई जिन्दगी में ढलने का बीस साल तक अवसर दिया। उन्हें हमेशा ही प्रिवीपर्स देते जावें यह समाजवादी समाज रचना के बजट के सिद्धान्त के उसूल के खिलाफ है। इसलिये मैं कहता हूं कि वित्त मन्त्री ने जो कदम उठाया है वह मजबूत ठोस क्रान्तिकारी कदम नहीं है। हम नहीं चाहते कि धीरे-धीरे हम अब चलें। धीरे चलने वाले कोई निश्चित स्थान पर निश्चित समय में नहीं पहुंच सकते। बीस साल बाद भी हम क्या इसी तरह चलते रहेंगे हजारों सैकडों वर्षों गुलामी से उठे हैं। अब भी क्या हम गुलाम ही समझते रहेंगे अपने को ?

बीस साल बाद भी किसान आज दबा हुआ है। फिर भी शोषण खत्म करने वाली एक मात्र संस्था कांग्रेस ही है। इसका बजट समाजवादी तरीके का होना चाहिये। हमें बजट में ऐसी कुछ चीजें लानी होंगी। प्रिवीपर्स को खत्म करने का पहला कदम उठायें। राजाओं का पानी बिजली मुफ्त में देना बन्द करना होगा, जो जयपुर, जोधपुर में बड़े आलीशान महलों में आराम से रहते हैं उनके हजारों सैंकडों बीघा के फार्म गांवों में बने हैं और उन महलों में बैठे दूसरों से उनको चलाते हैं, यह शोषण है। यह नये तरीके का शोषण है, इसे भी समाप्त करना होगा, जो जमीन पर महनत करता है वह जमीन, वह फार्म उसी का होना चाहिये।

श्री **जयनारायण सालोदिया** : आप म हिम्मत हो तो बन्द कर दीजिये। आज तो उधर वाले बहुत हैं। आप उनको बन्द कर देंगे तो फिर उधर नहीं बैठे रह सकेंगे। आपको इधर ही आना पड़ेगा।

श्री **मूलचन्द डागा**: आप भूखों मर जावेंगे।

श्री **जयनारायण सालोदिया** : प्रिवीपर्स वाले भी कांग्रेस के सत्ताधारियों में ही ज्यादा होंगे। राजे, महाराजे, नवाब, सत्ताधारी, मठाधीश कांग्रेस में ही हैं आज। ये सब कांग्रेस में अपनी असली खाल छिपाकर घुसे बैठे हैं।

श्री **मूलचंद डागा** : हमने तो उनको त्याग करना सिखाया है। आप जागीरदारों के हिमायती हैं। सैंकडों वर्षों तक जागीरें कायम रहीं। आप में कुछ माद्दा होता तो मुआवजा न लेते। करोड़ों रुपये मुआवजा का ले लिया। और आज सरकार इस कारण से दिवालिया हो गई। नेहरू अवार्ड आपके ही लिये था।

श्री **श्रवणलाल**: यह दिया किसने ? आपने अपने स्वार्थ साधन के लिये राजाओं जागीरदारों को देकर अपने में मिलाया।

श्री **मूलचन्द डागा** : यह जनसंघ है जो उनकी हिमायत करता है।

Page No. 56

श्री श्रवणलाल: जनसंघ नहीं, आपके गद्दीधारी मन्त्री और मुख्यमन्त्रीजी करते हैं।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : फायदा तो आपको उठाना था। नेहरू अवार्ड में चार जागीरदारों को आपने बगैर उनकी दरख्वास्तों के ही यों ही पैसा दे दिया। याद है आप को? जांच समिति में पेश नहीं हुए।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मूलचन्द डागा: लाखों करोड़ों लेने के बाद में बर्दाश्त नहीं कर सकता। समाजवादी समाज कायम करना है तो हमें ऐसे ढीले बजट नहीं चाहिये। हम चाहते हैं मजबूत कदम। हम ऐसे आई.ए.एस. अफसर नहीं चाहते। यह कामन मैन बजट बनना चाहिये। आज हम हेलिकोप्टर से जाना चाहते हैं। अब तो बैल गाडी में भी सुधार होना चाहिये। गांवों का काश्तकार अनुसूचित जाति का एम.एल.ए. बनकर आया है। यह सब कांग्रेस की देन है?

श्री विजयसिंह रावत: यह उन्हीं की बदौलत है कि आप कुर्सियों से चिपके बने हैं।

श्री गंगाराम चौधरी (गुडा मालानी): यह तो डाक्टर अम्बेडकर की देन है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य!

श्री गंगाराम चौधरी : कांग्रेस की यह देन है यह हम कभी मानकर नहीं चलते।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कहता हूं कांग्रेस

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज! आप अपना भाषण जारी रख आपस में विवाद न करें। आसन को सम्बोधन करके कहें।

श्री मूलचन्द डागा : फिर अव्यवस्था कायम कर देते हैं। ये जो तत्व हैं इनको मिटाना हमारा काम है। जो समाज में विषमता, शृंखलता पैदा करते हैं और जागीरदारी और राजाओं की मदद करते हैं।

श्री विजयसिंह रावत: यह दिवालिया है सरकार।

श्री मूलचन्द डागा: दिवालिया कौन है? लाखों करोड़ों की जमीन लेलीं।

श्री विजयसिंह रावत : फिर भी दिवालिया पन नहीं मिटा इसका।

वह दौलत जमीन पर है और कामन मैन के पास है। एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि समाज के अन्दर जो दौलत राजाओं के पास थी, जमींदारों के पास थी और जागीरदारों के पास थी वह कामन मैन के पास आगयी। जब वह दौलत कामन मैन के पास आगई तो दीवालिया कौन हुआ? दिवालिया वह है जिसके पास दौलत न रही, जिसने जोश खो दिया और होश खो दिया। हम नहीं मानते कि हमने कोई गलती की लेकिन हम साथ ही यह कहने को भी तैयार नहीं कि कांग्रेस में दिवालियापन आ गया है, कांग्रेस सरकार बेंक्रप्ट हो गई है। बेंक्रप्ट वह है जिसका दिमाग बेंक्रप्ट होगया है। दौलत तो आदमी पैदा करता है, आदमी में होश होना चाहिये, जोश होना चाहिये..

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिकायत तो यही है कि कांग्रेस दिमाग से बेंक्रप्ट हो गई। कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है, प्रोग्राम नहीं है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जो भी प्रोग्राम्स थे उनसे अलग होकर अब बिल्कुल रीएक्शनरी बन गई है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह कांग्रेस वही है जो कि जोश पैदा करती है । इसी कांग्रेस ने आपको भी जोश दिया....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदया, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य बोल रहे हैं आसन को तो संबोधित करें या नहीं करें यह मेरा काम तो नहीं है कहने का लेकिन एक सदस्य हिम्मत के साथ बातें कर रहे हैं और इस समय वित्त मंत्री जी ने और दूसरे मंत्रियों ने इनकी बातों को नजर अन्दाज कर दिया है । यहां उनमें से कोई नहीं है और डिप्टी मिनिस्टर को बैठा दिया तो क्या इसका मतलब यह है कि इनका असर सरकार पर नहीं है और क्या इनकी बातों को लाइटली लिया जा रहा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है यह तो पोलीटीकल स्टन्ट है ।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य (श्री मूलचन्द डागा)! मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप व्यवधान न डालें। ऐसे ही समय बर्बाद हो रहा है आप टू दी पाइन्ट बोलें । बहुत सदस्य बोल सकेंगे और ऐसा बोलें कि विवाद करने का समय ही न आये ।

श्री नत्थीसिंह : सभानेत्री महोदया, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है । माननीय सदस्य जब बोलते हैं तो बडी गम्भीरता से बोलते हैं और उनके लिये मंत्री नहीं हो, राज्य मंत्री नहीं हो तो क्या आखिर बोलकर चले जायें ? यहां उप-मंत्री का होना कोई माने नहीं रखता । यह सदस्यों के अधिकारों का प्रश्न है । सदस्य गंभीरता से आते हैं और सरकार इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती क्यों नहीं सुनना चाहती है सदस्य की बात ? यहां आना चाहिये, बैठना चाहिये और सुनना चाहिये । हल्केपन से लिया जाता है

श्रीमती सभानेत्री : मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त ।

श्री नत्थीसिंह : उनकी मजबूरी है । सब तरह से बन्धन में है ।

श्री मूलचन्द डागा : "The answer is that the experts do not like being told that the shoes they so beautifully make do not fit. They are apt to blame it on the distorted and miss-happen toes of the people who have to wear their shoes."

आजकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस प्रकार का बजट बनना चाहिये । हम कहते हैं कि एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है । हम चाहते हैं कि इस प्रकार का बजट बने कि कामन मैन सोच सके कि ऐसा बजट बना है कि जो आदमी शोषण कर रहा है वह नीचे आ गया । हम बिल्कुल नये तरीके का बजट चाहते हैं और कामन मैन बजट चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप घडी लगाकर और चश्मे को ठीक करते हुए और पानी का उपयोग करें और बातें करें बजट की । जमाने को बिल्कुल नया देखना चाहते हैं और उसके लिये हमको मजबूती के साथ जो आर्थिक भेद है उसको मिटाना चाहिये । आने वाले जमाने में जो तत्व खडे हुए हैं उनको खत्म करना चाहते हैं । इसलिये कांग्रेस की जो नीति है उस नीति को जो धीरे धीरे लाने की कोशिश की जारही है, उसको मैं ठीक नहीं मानता

(श्री मूलचन्द डागा)

और जब इन लोगों ने कहा है मैं इस बात के लिये बारबार कहता हूं और आपने भी कहा कि छोटी जोतों के ऊपर लगान माफ कर दिया। मैं तो समझता हूं कि जब मुल्क बन रहा है तो सब तरह की जिम्मेदारियां सरकार पर आ जाती हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाना सब का फर्ज है। फौलाद बनाने के लिये लोहे को तपाना पडता है और जिम्मेदारियों के लिये हर एक को कई प्रकार से कठिनाइयों से गुजरना होता है। हम कहते हैं कि हम टैक्स नहीं बढायें। मैं तो कहता हूं कि भारी टैक्स लाना चाहिये था पूंजीपतियों पर और जो लोग बडी बडी जमीनें लेकर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं सीलिंग कानून का जो पहले कानून बना था उसमें वह भूमि ट्रान्सफर हो चुकी है उनको भी इस कानून के अन्तर्गत वापिस लेनी होगी और जो 7 लाख के करीब लैंडलेस हैं उनको देनी होगी। यह तभी होगा जब कि कामनमैन बजट आयेगा। हम यह नहीं चाहते कि जो राजनैतिक दृष्टिकोण के कारण स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ पार्टी इस प्रकार की बातें कहते हैं कि वह भी हमें बरदाश्त नहीं हैं, और मैंने उन्हें बारबार कह दिया है कि काश्तकारों को लैंड रेवेन्यू देनी होगी और मैंने बताया और आज भी बताना चाहता हूं कि देश के अन्दर काश्तकार लैंड रेवेन्यू देना चाहता है, लेकिन वह चाहते हैं विकास, वह चाहते हैं पूंजी और दौलत जिससे उनके खेत हरे भरे हो जायें। मैं आंकडे प्रस्तुत करता हूं और उनसे मालूम होगा कि काश्तकार को लैण्ड रेवेन्यू में कोई एतराज नहीं है। जो विरोधी तत्व हैं वह तो इनको उभारना चाहते हैं कोई कहता है कि सरकारी कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, उनको भडकाया जाता है, और ऐसी बातें करते हैं कि जिससे ऐसा मालूम होता है कि सरकारी कर्मचारियों को अच्छा कहते हैं और उनके पीछे मक्खन लेकर घूमते हैं। किसी के कहने से क्या सरकार दिवालिया बन जायेगी। गवर्नमेन्ट दिवालिया बनी नहीं, कामनमैन ऊंचा आया है, लेकिन जिस द्रुतगति से ऊंचा उठना चाहिये वह नहीं हुआ है, और उसमें हम पीछे हैं, और उसके लिये जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनको छुरी लेकर बैठना चाहिये था......

श्री **केशरीसिंह हाड़ा** : अपना गला काटने के लिये।

श्री **मूलचन्द डागा** : पूंजीपतियों के लिये तो वह तेज छुरी चाहिये जिससे पूंजीपतियों को काटा जा सके। वित्त मंत्री जी जानते हैं कि इलाज यह है, लेकिन यह इलाज के लिये सूई लगाना पसन्द करते हैं या नहीं। डेमोक्रेसी के लिये मैं कहना चाहता हूं कि जो शोषण करने वाले लोग हैं जो शहरों में दुकानों पर पान के लिये खडे हुए रहते हैं। शहरों में लोग केवल बातें करते हैं वह डेमोक्रेसी नहीं जानते कि क्या चीज है.....

श्री **नत्थीसिंह** : पाली शहर है ?

श्री **मूलचन्द डागा** : पाली गांव है। मैं जयपुर, अलवर, भरतपुर और उदयपुर बडे बडे शहरों में जहां गुण्डागर्दी होती है ज्यादा......

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** : पाली सबसे ज्यादा मशहूर है गुण्डागर्दी के लिये।

श्री **मूलचन्द डागा** : गुण्डे को....मुझे माफ करना, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सारी दौलत आप शहरों में लगाना चाहते हैं। यह सिनेमा, रवीन्द्र मन्च शहरों में क्या करेंगे गांव वाले ?

(श्री मूलचन्द डागा)

गांव वालों को चिडियाघर रहने दें, अजायबघर रहने दें, लेकिन गांव वालों को कुछ तो दें। काश्तकारों को जमीन पर लोन दें तो पूरा तो दें........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : (श्री मूलचन्द डागा के बैठने पर) आप बोल लें। मैं संकेत कर रही हूं।

कई माननीय सदस्य : ये बैठ क्यों जाते हैं ?

श्री **मूलचन्द डागा** : मैं अनुशासन में विश्वास करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप बोल लें और जल्दी समाप्त करदें।

श्री **मूलचन्द डागा** : मैं यह कहना चाहता था कि क्या ये लोग डेमोक्रेसी की बात कहते हैं जब यह शिक्षकों को पंचायत समितियों से हटाना चाहते हैं। यह प्रजातन्त्र की कौनसी बात कही ? प्रजातन्त्र में तो प्रधान को तहसीलदार के पास बैठाना चाहिये। प्रमुख कलेक्टर के पास बैठे और रोज की कार्यवाही देखे। लोकतन्त्र एक जीवन-पद्धति है, राजनीति नहीं है। इस जीवन-पद्धति में बेईमान और चोर अपने आप अपने पापों से कट जायगा। इस पीरियड में बेईमान और भ्रष्ट लोग अखबारों से घबराकर मर जायेंगे, लेकिन सही खबरों को उसमें आने दें। डेमोक्रेसी में यह मत कहो कि पंचायत समितियों को अधिकार मत दो। उनको तहसीलदार के मुकाबले में अधिकार दो। जिला-प्रमुख को अधिकार दो कि वह कलेक्टर के पास बैठे और देखे कि एक आई. ए. एस. ऑफिसर दिन भर में कितना काम निकालता है। प्रधान को तहसीलदार के पास बिठाना है। हमको लोकतन्त्र कायम करना है तो चुना हुआ कलेक्टर होना चाहिये, चुना हुआ तहसीलदार होना चाहिये। मैं इस विश्वास का हूं। जीवन के पुराने मूल्यों को खतम करदो। तहसीलदार हम नहीं चाहते। हम आगे बढना चाहते हैं, पीछे लौटना नहीं। इस प्रकार की बातें असेम्बली में करें।

इस प्रकार जो सीलिंग का कानून है। उसके आपने आंकडे बताये हैं। सीलिंग और शराबबन्दी की बात करना चाहते हैं। समझलो कि हमें इन्सान और मनुष्य तैयार करने हैं। इसलिये मैं आपसे चाहता हूं कि नया समाज कायम करने के अन्दर कांग्रेस ने 20 सालों में क्या किया है ? यह कांग्रेस की ही देन है कि हर आदमी को सचेत कर दिया है। कांग्रेस के लोग यह न समझें कि उनमें दोष ज्यादा हैं। उनकी जो कुछ शक्ति है उसको इकट्ठा करके मजबूती के साथ तुरन्त कदम उठाना चाहिये। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** : सभापति महोदया ...

श्रीमती सभानेत्री : श्री दौलतराम सारण !

श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : सभानेत्री जी, सन् 68-69 का आय-व्ययक अनुमान हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। इस पर अगर हम दृष्टि डालें तो यह बात बहुत स्पष्ट है कि शासन की नीति, शासन का कार्यक्रम और शासन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, योजना-बद्ध विकास के तरीके से हम कामनमैन को उठाना चाहते हैं, वह कामन मैन का बजट है। लेकिन मैंने बहुत देखा

(श्री दौलतराम सारण)

किन्तु 20 वर्षों के बाद भी यह बजट कामन मैन का बजट नहीं है। वह बजट कुलीन वर्ग का बजट है। इस बजट के अन्दर योजना को ठप्प कर दिया गया है। 18 वर्षों के बाद आज राजस्थान में योजना नाम की चीज नहीं है। योजना का लक्ष्य होता है कि हर बार उसमें पूंजी-निर्माण की क्षमता पैदा होनी चाहिये, योजना के द्वारा रोजगारी बढनी चाहिये, योजना के द्वारा बचत को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बचत की क्षमता पैदा होनी चाहिये, और योजना के द्वारा सुविधायें बढनी चाहिये। लेकिन जब हम राजस्थान की स्थिति को इस बजट के अन्दर देखते हैं तो आज ऐसी स्थिति राजस्थान की नजर नहीं आती, राजस्थान के इस बजट के अन्दर राजस्थान की जनता का जहां तक सवाल है, राजस्थान की जनता ने 14 करोड से 140 करोड रुपया इस शासन को दिया, और इस शासन ने चार अरब और लगभग 92 करोड रुपया कर्जे का भी ले लिया, लेकिन उसके बाद भी यह शासन राज्य की जनता की हालत को सुधार नहीं सका है, जनता की आमदनी नहीं बढा सका है, उत्पादन नहीं बढा सका है, और आज स्थिति यह आगई जैसी कि 51-52 में थी। जो स्थिति उस समय थी वह स्थिति आज भी चल रही है। राज्य सरकार के आंकडों के द्वारा मैं साबित करना चाहता हूं कि 52-53 और 54 से अधिक अच्छी स्थिति आज नहीं है। माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि हम समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं, योजना-बद्ध विकास के तरीकों से आगे बढना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आपका योजना-बद्ध तरीका कैसा है? पहली योजना 54 करोड से अधिक की थी और आज आपकी चौथी योजना बन ही नहीं पा रही है, और तीसरी योजना के बाद आपका मामला ठप्प होगया। तीसरी योजना तक 370-58 करोड रुपया इस राज्य की जनता ने आपको योजना-बद्ध विकास के लिये दिया, और उस रूप से योजना का टेम्पो ही नहीं बन सका, योजना के लिये स्थिति-निर्माण नहीं कर सके। उसका परिणाम यह आया कि आप वार्षिकी योजना बनाते हैं। आपकी वार्षिकी योजना भी केवल दिखावा मात्र है। उसमें विकास का कोई अवसर नहीं है। आज की आर्थिक हालत यह बताती है कि आज राजस्थान के विकास के मद में कम खर्च किया जाता है और अविकास की मद में खर्च बढता जाता है, प्रशासनिक व्यय बढता जाता है, प्रति व्यक्ति की आय गिरती जा रही है, और राज्य की आय गिरती जा रही है। इसका कारण? इसका कारण योजना-बद्ध विकास नहीं, इसका कारण योजना-बद्ध विकास के बारे में इस शासन की जो नीतियां हैं, वे गलत हैं। यह शासन योजना को बदनाम कर रहा है, योजना के बारे में निष्ठा काफी गिरा रही है यह सरकार इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप योजना-बद्ध विकास में विश्वास करते हैं तो योजनायें इस तरीके से बनायें कि जिनसे पूंजी-निर्माण की क्षमता बढे, बेरोजगारी को हटाने के लिये एम्प्लायमेन्ट की स्थिति पैदा हो, बराबर जनता की, नागरिक की क्षमता बढती जाय, उत्पादन बराबर बढता जाय। लेकिन आपकी योजना अनावृष्टि, आपकी योजना अकाल और आपकी योजना दूसरी बातों से घबराकर उस बात से हट जाती है। शासन के पास केवल एक ही जवाब है कि हम इसलिये आगे नहीं बढपाये कि अनावृष्टि आगई अकाल आगया, पाकिस्तान और चीन से युद्ध आगया। यह ठीक है, लेकिन योजना का

(श्री दौलतराम सारण)

फिर मतलब क्या है ? योजना का मतलब यह है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। हम प्रकृति की दया पर निर्भर न रहें, प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता पैदा करें, अपने शासन के कार्यों के द्वारा, अपने शासन की नीतियों के द्वारा, लेकिन आप नहीं करते हैं, इसका मुझे बहुत खेद है।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने समाजवाद की ओर कदम रखने की चेष्टा नहीं की, आपने योजना-बद्ध विकास का वायदा निभाया नहीं, आपने कल्याणकारी राज्य की भावना की उपेक्षा की, उसको ठेस पहुंचाई है

(10 म. पू.)

आपने बहु-संख्यक अल्पआय के किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ वादा खिलाफी की है, उनके साथ विश्वास-घात किया है यह कहूं तो अनुचित नहीं होगा।

आप कहते हैं कि पिछड़े वर्गों का कल्याण चाहते हैं, कामनमैन की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कामनमैन के रोजगार का कोई जरिया नहीं। आज इंजीनियर्स बेकार बैठे हैं। आपने टेक्नीकल एज्यूकेशन का नारा लगाया था। गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि टेक्निकल आदमी चाहिये। गत वर्ष बजट के समय भी मैंने कहा था कि आपका टेक्निकल आदमियों वाला नारा फैल होगा। साल भर में वही स्थिति पैदा हो गई। खुद आप अब पीछे हट रहे हैं आप आज इंजीनियर्स को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ट्रेन्ड पोलिटेक्निक के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आज तो उनकी शिक्षा की सीट्स में कटौती करना चाहते हैं। उनका मुंह बन्द करना चाहते हैं। सीट्स घटाकर। उनको रोजगार का साधन नहीं देना चाहते।

फिर आपने कहा कि परिवार नियोजन कराओ, लूप लगाओ, नस कटावो, वह भी मैं कहता हूं फैल होगा। परिवार नियोजन का मैं विरोधी नहीं हूं, हक में हूं लेकिन जिस तरह से आप चल रहे हैं वह तरीका ठीक नहीं है। आप करोड़ों रुपये बरबाद कर रहे हैं। राजस्थान के पास भूमि है, पानी है, पशु धन है, खनिज है सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी तरक्की नहीं हो पारही है। उसका कारण यह है कि प्राकृतिक साधनों का नियोजन जिस प्रकार करना चाहिये जिससे पूंजी निर्माण की क्षमता पैदा हो, रोजगार की क्षमता पैदा हो, वह नहीं हो पा रहा है। इसके कारण जो परिणाम आने चाहिये वे नहीं आ पा रहे हैं आखिर में आपकी योजना ठप्प हो गई है, आर्थिक व्यवस्था भंग होगई है। ऐसी स्थिति आज राजस्थान की बन गई है।

सभापति महोदया, इन योजनाओं के भारी भरकम व्यय के बाद भी जो क्रमिक विकास प्राप्त का होना चाहिये था और योजना व्यय के बाद जो क्षमता समाज की होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी। 15 साल के बाद भी हम उसी स्थिति में हैं जिससे हम चले थे, यह बात मैं आंकड़ों से सिद्ध करना चाहता हूं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने बहुत उन्नति की है कामन मैन को ऊंचा उठाया है, समाजवाद की ओर कदम उठाया है और बहुत प्रगति की है। राजा लोग, जागीरदार लोग और अन्य लोग योंही चिल्लाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राजाओं और जागीरदारों के प्रति विद्रोह करने वाली जनता

(श्री दौलतराम सारण)

वापिस उन्हीं की तरफ क्यों दौडने लगी है ? इसलिये दौडने लगी कि आपने जनता का विश्वास भंग किया, आस्था गिराई और झूठे नारे लगाये । उसी का यह परिणाम है कि आज जनता पीछे हटने लगी है, आगे से पीछे भला नाम, भला लुटेरा । आपने ही उनको इसके लिये बाध्य किया । यह जनता का दोष नहीं है, राजाओं का दोष नहीं है, शासन करने वालों का दोष है । 20 वर्ष के बाद भी आप कुछ नहीं कर सके । आप देखिये कि आज राजस्थान की क्या स्थिति है आंकडों के द्वारा मैं बताना चाहता हूं । राजस्थान की राजकीय आय औद्योगिक उद्गम प्रचलित कीमतों पर प्रतिशत विभाजन से कृषि की आय सन् 1954-55 में 29.03 थी और 60-61 में थी 33.38, 61-62 में थी 35.71 और आज 66-67 में 35.16 है । वही की वही हालत चल रही है एक इधर और एक उधर । यही हालत वन की है । वन उत्पादन की हालत में भी ह्रास हुआ है । सन् 1954-55 में 0.08 थी, 62-63 में 0.07 हुई और 66-67 में भी 0.07 रही । इसी तरह से फैक्ट्रीज के बारे में आप लोग बहुत बडी बडी बात कहते हैं । मुख्य मंत्रीजी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हम औद्योगीकरण कर रहे हैं । वित्त मंत्रीजो ने भी औद्योगिक प्रगति को आह्वान किया है और कहा है कि आर्थिक निर्माण की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि हमने कर नहीं लगाया है, क्योंकि हमने ऐसा रोजगार देने की घोषणा की है इसलिये औद्योगीकरण को बढावा मिलेगा लेकिन औद्योगीकरण की आज राजस्थान में हालत यह है कि अधिष्ठान निर्माण के आंकडे सन् 54-55 में 1.25 था और आज 66-67 में 1.25 से बढकर 1.60 हो गई है । यह हालत आपके फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेन्ट की है ।

अब लघु उद्योगों को ले लीजिये । लघु उपक्रम या स्माल एन्टरप्राइजेज से आय 54-55 में 15.05 थी और आज 66-67 में 11.34 है । गिरती जारही है और प्रति वर्ष गिरती गई है । इसके बाद वाणिज्य या कामर्स की हालत देखिये, 16.83 थी 54-55 में और आज 12.08 है । यह भी गिरती जा रही है । यातायात को देखिये, 1.90 54-55 में और अब गिरते गिरते 1.33 आ गई है । उधर आप देखिये व्यवसाय तथा विमुक्त कलायें (गृह सेवायें सहित) प्रोफेशन एण्ड लिबरल आर्टस् (इन्कल्यूडिन्ग डोमेस्टिक सर्विस) 10.30 थी 54-55 में वह आज 7.70 रह गई है । वह भी गिर रही है । गृह सम्पत्ति (हाउस प्रापर्टी) में 4.75 थी आज वह 3.54 रह गई है । इससे पता चलता है कि आय गिर रही है । और आप कहते हैं कि आय बढ रही है । किस की आय बढ रही है ? आपकी योजनाओं से जिस अल्प आय वर्ग की आय बढनी चाहिये थी उसके बजाय दिन प्रति दिन प्रति वर्ष गिरती जा रही है और 18 वर्षों से लगातार गिरती जारही है

(10.07 म. पू.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह तो आपके उत्पादन की स्थिति है । अब सवाल आयेगा कि जो पैसा खर्च किया वह कहां गया ? वह पैसा अनुत्पादन कार्यों में चला गया । ब्लेकमनी के तौर पर कुछ लोगों के पास इकट्ठा होगया और वह पुर्ननियोजन के काम में नहीं आया और लक्जरी गुड्स और दूसरे कामों में खर्च हो रहा है इस कारण से जो आर्थिक क्षमता लोगों में

(श्री दौलतराम सारण)

पैदा होनी चाहिये थी वह नहीं पैदा हुई। यदि सही तौर से नियोजन हुआ होता और कामन मैन की आमदनी बढ़ती तो निश्चित तौर से राजस्थान का विकास हुआ होता। लेकिन विकास क्यों नहीं हुआ? इसलिये नहीं हुआ कि गलत तरीके से नियोजन किया गया है उसी का यह परिणाम आया। बडे लोगों की जेब में पैसा चला गया और गरीब लोग और भी अधिक गरीब होते गये और अमीर लोग अमीर होते गये। आज यदि देश की तरफ देखें तो 75 परिवारों या 75 फेमेलीज के पास योजनाओं का धन इकट्ठा होगया है और उन्होंने सारे धन को अपने कब्जे में कर लिया है। यह आपकी योजना है और यह आपका समाजवाद है। आप कहते हैं कि समाजवादी तरीके से गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं उनका। कितना उत्थान हुआ है इसके लिये आप बजट के नक्शे को देखिये, पता चल जायगा।

आप कहते हैं कि हम भूमि हीनों को भूमि देंगे। कैसे देंगे? 15 बीघा एक परिवार को देंगे, किसको देंगे? हरिजनों को देंगे। 1 लाख बीघा जमीन उनके लिये रिजर्व करदी है। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 बीघा जमीन से कोई किसान अपने परिवार का पेट भर लेगा क्या? अपनी आजीविका चला लेगा क्या? तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कीमत का 5 परसेन्ट उनसे अग्रिम लेने का कहा है और एक बीघा जमीन की कीमत 500) से 800) तक रखी है। उनसे आप 5 परसेन्ट अग्रिम लेकर कब्जा देंगे। वह इतना पैसा कहां से लायगा? खेतिहर मजदूर है सुबह कमाता है और शाम को खाता है। उसके पास आपको देने को 2000) कहां से आयेंगे? रुपये देने पर भी आप उसको जमीन कहां देंगे? कहीं दूर दराज देंगे? उसके पास न तो बीज है न खाद है और न औजार है और उसको आप कहते हैं कि उसकी हालत और हैसियत बदल देंगे। लेकिन डेढ लाख एकड कहां रिजर्व की है, यह पता नहीं है। केवल कागज में रिजर्व है। इधर पचास हजार एकड जमीन आपने गैरहरिजनों भूमिहीनों के लिये रिजर्व की है और उनसे साढे बारह प्रतिशत कीमत का अग्रिम लेकर देंगे और जब पूरी कीमत दे देंगे तब आप उसका कब्जा देंगे, अगर पूरी कीमत नहीं देंगे तो उनको कब्जा नहीं मिलेगा। फिर वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम उन्हें उन्नत आदमी बनायेंगे। यह आपका समाजवाद है। इसके विपरीत जो बडे बडे जवाहरातों की लाखों की खरीद और बिक्री करने वाले हैं उनको आप कर से छूट दे रहे हैं। आपको बजट भाषण के अन्दर मुंहफट तरीके से कहने में शर्म नहीं आई इस तरह के व्यापारियों के लिये कि:—

जिस विशेष उद्देश्य से यह माल खरीदे जाते है वह उद्देश्य घोषणा पत्र में निश्चित रूप से नही दिये जा सकते हैं और कभी कभी इससे दिक्कतें पैदा हो जाती है।

उनकी आपको बड़ी फिक्र है, इसलिए फिक्र है कि काला धन कमाने वाले लोग जवाहिरात खरीदते है। इसलिए आप उनको रियायत देना चाहते हैं लेकिन भूमिहीनों को भूमि देते वक्त उनसे एडवान्स लेना बन्द नहीं कर सकते, आप एक दो साल तक किश्त नहीं रोकना चाहते और दूसरी तरफ आप करों में छूट देना चाहते हैं, आप छूट अभिजात्य वर्ग को देना चाहते हैं, पैसे वालों को देना चाहते हैं, उन मालदार लोगों को देना चाहते हैं जो चकाचक बंगलों में रहते हैं और दनदनाती गाड़ियों में घूमते हैं, जिनके साथ साझेदारी है.

श्री **मोहनलाल मोदी** : आपको याद आ रही है गाड़ियां ? आपको गाड़ी याद आ रही है ?

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : आप भी तो दस साल तक रहे हैं ।

श्री **दौलतराम सारण** : बीच में मत बोलें । मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है । आपका लेखा जोखा भी मेरे पास है ।

आप सैल्स टैक्स में चोरी करने वालों को, मुनाफाखोरों को, जमाखोरों को तो पनाह देते हैं । आपका करोड़ों रुपया ठेकेदारों, ब्लेक करने वालों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों में बकाया है, उनसे वसूली करने की आप में हैसियत नही है । लेकिन आपके इस समाजवाद की कहां आंख उठती है । आपके समाजवाद की नजर अनार्थिक जोतों वाले भूखे किसानों के ऊपर जाती है । आपकी नजर उन पर जाती है । फिर आप कहते हैं, देश के निर्माण के लिए पेट पर पट्टी बांधनी पड़ेगी । पेट पर पट्टी बांध कर तो आपको उन्हीं तीन करोड़ के बजाय दस करोड़ दिये हैं, लेकिन आप उसके बाद भी तसल्ली नहीं रखते, आपको उसके बाद भी धैर्य नहीं है, उसके बाद भी आप उनकी तरफ नहीं देखना चाहते । आपकी क्या हालत है ? आप उनसे कहते हैं कि लगान नहीं दोगे तो तुम्हारा पट्टा छीना जायगा, लगान नहीं दोगे तो राज्य से सम्बन्ध विच्छेद हो जायगा, लगान नहीं दोगे, तो एक माननीय सदस्य ने तो यहां कहा कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगायेंगे और एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स जितनी आय होगी उतना लग जायगा । तो एक तरफ तो आप पांच हजार की इन्कम पर छूट देते हैं . .

श्री **रामकिशन** : सात हजार ।

श्री **दौलतराम सारण** : सात हजार की इन्कम पर छूट देते हैं और दूसरी तरफ आप छत्तीस सौ की सीलिंग लागू करते हैं और फिर कहते हैं कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लग जायगा । मैं पूछना चाहता हूं कि जो अल्प आय वाले लोग हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पेट भर खाना पाते हैं जमीन से ? आप उनसे बेरहमी के साथ में लगान लेते हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अस्सी प्रतिशत जो आदमी हैं, जो भूमि पर मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहा कर पेट भरते हैं वह आपकी बात को और शरारत को समझते हैं । मैं आपको कहता हूं कि आपको उनका लगान माफ करना होगा, जो अल्प आय वाले लोग हैं उनके ऊपर राजस्थान में हमेशा के लिए आपको लगान माफ करना पड़ेगा ।

आप आबकारी की डिमाण्ड के वक्त पर कह रहे थे कि हमें घाटा हो गया । लेकिन आपका यह बजट देखते हैं तो उसमें साढ़े आठ करोड़ के बजाय नौ करोड़ का प्रावधान मिलता है । आप एक तरफ कहते हैं कि इन जिलों में हमने नशाबन्दी लागू की है . . .

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : करने वाले हैं । थी नहीं ।

श्री **दौलतराम सारण** : मैं कहता हूं कि यह रकम बढ़ कैसे गई, यह आपको मालूम नहीं है ।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी अपनी नीतियों में आस्था नहीं है । आपको योजनाबद्ध विकास के तरीके में विश्वास नहीं है । आपको न समाजवाद के प्रति आस्था है और न लोकतंत्र के प्रति निष्ठा है, न आप नशाबन्दी को लागू करना चाहते हैं । आप स्वयं की घोषित नीतियों के खिलाफ चल रहे हैं । आपने 1952 के चुनाव के समय

(श्री दौलतराम सारण)
घोषणा की थी कि शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगायेंगे, भूमि पर सीलिंग लगायें ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वह माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं इस समय, यह आपका वायदा है, यह आपकी घोषणा है । लेकिन यह आपका वायदा कहां गया ? आपकी घोषणा कहां गई? आप आज तक सीलिंग लागू नहीं कर सके, लैंड पर सीलिंग लागू नहीं कर सके हैं और आज तक शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लागू नहीं कर सके हैं । 1964 में बड़ी मुश्किल से दो टैक्स लगाये थे शहरी सम्पत्ति पर, एक तो अर्बन ओपन प्लाट्स पर और एक भूमि नामांकरण फीस के नाम से लेकिन आज तक वह आपने वसूल नहीं किया है । आज तक वसूल नहीं किया है, उससे इधर उधर बच कर निकलते रहे हैं । आप कहते हैं कि सर्वेक्षण नहीं हो सका है । इस तरह जो दस दस लाख सालाना का अन्दाज था वह आप वसूल नहीं कर सके । वह इसलिए नहीं कर सके, शायद आप जिन पर महरबानी रखते हैं वह उसकी लपेट में आते । आप नये कर के अन्दर बात करते हैं, उस नये कर को कन्सोलिडेटेड फार्म में रखने की बात करते हैं । मुझे यकीन नहीं । वह नया कर किस रूप में कब आयेगा ? खैर जब आयेगा तब देखेंगे ।

मैं आपको आपके समाजवाद का नक्शा बता रहा हूं । आपका समाजवाद भूमिहीनों के बारे में यह है, आपका समाज किसानों के बारे में यह है कि राजस्थान नहर के अन्दर सदियों से जो किसान आबाद हैं, जो दस पन्द्रह मील से पानी प्राप्त करते हैं उन किसानों को आप खातेदारी हकूक नहीं देना चाहते हैं । जहां नहर का पानी नहीं जायगा, जहां लिफ्ट का पानी नहीं जायगा, ऐसे सैंकड़ों गांवों के किसान हैं आज जिनको आप खातेदारी हकूक नहीं देना चाहते हैं जब कि टैनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत सबको दिये हैं अधिकार । आपकी नीति क्या है ? आप किसानों के प्रति वफादार नहीं हैं, आप मजदूरों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, आप विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदार नहीं है । आप किसके प्रति जिम्मेदार हैं ? आखिर मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका समाजवाद कहता है, हरिजनों के लिए हम बड़ा दर्द रखते हैं, पिछड़े वर्गों के लिए बड़ा दर्द रखते हैं । आप कहते हैं कि आपने उनको ऊंचा उठाया, और आपने यहां तक कह दिया कि हमने उनमें से एम.एल.ए. बनाये । जैसे आपकी महरबानी से वह बने ? आप कहते हैं कि हम ही शासन चला सकते हैं और कोई नहीं चला सकता है । आप अपने मुंह मिया मिट्ठू बनना चाहते हैं । आप कहते हैं कि हमारे बाद में क्या होगा ? अराजकता हो जायगी, अस्थिरता हो जायगी. ..

श्री मूलचन्द डागा : कई प्रान्तों में हो गई

श्री दौलतराम सारण : कई प्रान्तों में हो गई लेकिन फिर भी आपके दर्शन नहीं होंगे दुबारा, यह निश्चय रखें आपके दुबारा निश्चय ही दर्शन नहीं होंगे ।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : यह तो भविष्य बतायेगा ।

श्री **दौलतराम सारण** : यह कहना चाहता हूं कि किसान अपने ऊपर लगान का अन्याय सहन नहीं करेंगे । किसान लगान नहीं देना चाहते हैं । किसान लगान माफ कराना चाहते हैं । अगर आप माफ नहीं करेंगे समझदारी और जिम्मेदारी के साथ तो किसानों में ताकत है, वह जबरदस्ती आपसे माफ करायेंगे. .

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : यही तो बात है ।

श्री **रामकिशन** : यह समझने की बात है ।

श्री **दौलतराम सारण** : आप देखते हैं, क्या नक्शा है योजनाओं का । आप देखिये तो

(श्री दौलतराम सारण)

सही, आपका बजट जो है उसमें राजस्व लेखे में 1409.40 लाख का घाटा है, लेकिन उसमें ऐसी करामात दिखाई है कि उस करामात से केवल 62. कुछ लाख का घाटा उसमें बताया गया है और पूंजीगत मदों का हेर फेर करके उनको राजस्व के अन्दर मिलाया गया है। अगर पूंजी की मदों में आप पूंजीगत कार्यों में निर्माण नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह आयेगा कि पूंजी निर्माण ज्यादा नहीं होगी, और उससे बेकारी बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आयेगा, यहां पर वित्त मंत्री जी नहीं हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की अर्थ व्यवस्था विश्रृंखलित हो जायगी, वह आज भी है लेकिन उस समय और ज्यादा गड़बड़ा जायगी। यह साफ दिखाई पड़ रहा है। आपके आंकड़े हैं राजस्व एवं व्यय के, उसमें 1960-61 में व्यय 4546.09 लाख था, वह 1968-69 में 14186.94 लाख हो गया है, और इधर कुल प्राप्तियां अ-कर राजस्व से है वह 1960-61 में 24.59 पर्सेन्ट था वह 1968-69 में 21.58 पर्सेन्ट हो गया है..

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : आधी अंग्रेजी आधी हिन्दी।

श्री **केशरीसिंह हाडा** : आज कल दोगलों का राज्य है।

श्री **नत्थीसिंह** : यह आपकी अर्थ व्यवस्था है।

श्री **केशरीसिंह हाडा** : दोगलों का राज्य है।

श्री **दौलतराम सारण** : इस तरह से अ-कर राजस्व नहीं बढ़ा पाये। आपने इसकी अपेक्षा करों पर जोर दिया है। मैं यह नहीं कहता कि कर लगाना ठीक नहीं है, लेकिन कर इस तरीके से लगाने चाहिए जिससे कि साधारण आदमी पर असर नहीं हो, जिसके पास पैसा देने की क्षमता हो, जिसके पास अतिरिक्त धन हो। उस धन पर आपको कर लगाना चाहिए। लेकिन आपकी उधर नजर नहीं जाती है, आप केवल गरीबों की तरफ आंख उठा कर चलते हैं इस तरह से सहायतार्थ कुल प्राप्तियों में सहायतार्थ अनुदान 1967-68 के संशोधित अनुमान में 28.25 लाख था, वह अब 1968-69 में 23.73 रह गया है। इधर आप देखिये कुल व्यय का प्रतिशत विकास व्यय 58.86 प्र. श. है। यह 1960-61 का आंकड़ा दे रहा हूं जब कि 1968-69 में 56.23 प्र. श. है। यह गिर गया है। विकास व्यय गिर रहा है। और, अविकास व्यय 1960-61 में 41.14 प्र. श. था वह 1968-69 में 43.77 प्र. श. हो गया है। यह बढ़ रहा है तो विकास व्यय घट रहा है। और अविकास व्यय बढ़ रहा है। सहायतार्थ अनुदान भी घट रहा है और व्यय की मांग की इस तरह की गति है। इसी तरह से आप देखिये, कि कुल कर राजस्व 6 गुना बढ़ चुका है। और उधर आर्थिक विकास पर कुल व्यय 1955-56 में 41.09 प्र. श. था वह अब केवल 40.82 प्र. श. है। इस प्रकार जो आर्थिक विकास व्यय में 55-56 में था वह 68–69 में कम हुआ है। इधर सामाजिक सेवाओं पर कुल विकास व्यय 1960-61 में 64.51 प्र. श. था वह 1968-69 में 59.18 प्र. श. रह गया है। यह स्थिति आप के बजट की आर्थिक प्रगति की है। यह क्षमता आप पैदा कर रहे है। इस तरह आपका सामाजिक सेवाओं पर विकास व्यय घट रहा

(श्री दौलतराम सारण)

है और उधर कुल विकास व्यय 1960-61 में 41.14 प्र. श. था वह 1968-69 में 40.77 प्र. श. हो गया है। वह बढ़ गया है और इधर पूंजीगत लागत जो 2421.27 लाख 60-61 में थी वह 1968-69 में 1591.80 लाख है। यह घट गई है। इस तरह से आप की गति पीछे सरक रही है। 15 वर्ष और 18 वर्ष के बाद इतना रुपया खर्च करने के बाद इतना कर भार बढ़ाने के बाद यह गति पीछे सरक रही है। आप उसी जगह पर खड़े हैं। कहीं आगे नहीं बढ़े हैं।

श्री **रामनारायण** : आगे बढ़े हैं।

श्री **दौलतराम सारण** : यह आर्थिक नियोजन का समाजवादी विकास, और लोकतंत्र के प्रति आपकी आस्था की प्रतीक है। आप में लोकतन्त्र के प्रति आस्था होती तो आप बहुसंख्यक वर्ग अल्प आय वालों को जो साधनहीन हैं की सहायता बढ़ाने की हैसियत बढ़ाने की कोशिश करते। उनकी हैसियत तब बढ़ती जब रोजगार के साधन बढ़ते और पूंजी का निर्माण होकर पूंजी का नियोजन विनियोजन होता। वह नहीं करते हैं। आज प्रति व्यक्ति कर राजस्व राजस्थान में 32.41 है और प्रति व्यक्ति व्यय 73.70 रु. है। जब कि उड़ीसा में 23.80 रु. प्रति व्यक्ति कर राजस्व है। लेकिन प्रति व्यक्ति 80.87 रु. है जब कि राजस्थान से उनका प्रति व्यक्ति राजस्व कम है। लेकिन प्रति व्यक्ति व्यय राजस्थान से कहीं अधिक है। राजस्थान का स्तर उससे कम है। दूसरी तरफ आप प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन 51-52 और 1955-56 में आप की आय एक ही स्थिति में रही। कभी 2 एक पाइंट आगे तो कभी दो पाइंट पीछे। जब वर्षा अच्छी हो जाती है तब बढ़ जाती है और जब वर्षा अच्छी नहीं होती है तो घट जाती है, यह इन्द्र भगवान की इच्छा पर निर्भर है। जब वर्षा अच्छी हो जाती है तो हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं—(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) चार पांच मिनट और लूंगा। हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि अब देश अर्थ व्यवस्था में योगदान मिलेगा। वह सुधर जाएगी। उन्होंने बड़ी अच्छी कल्पना की है इसमें, लेकिन उनको पता नहीं है कि केवल कृषि-उपज के भाव गिरने से हमारी अर्थ व्यवस्था नहीं सुधर सकती। कृषि भावों का हमारे यहां पर जो 259 का सूचकांक था वह अब काफी कम हुआ है लेकिन कृषि उपज के भाव के साथ साथ अगर औद्योगिक उत्पादन के भाव नहीं गिरे तो किसानों की क्रय शक्ति घट जाएगी और देश का जो सब से बड़ा कंज्यूमर किसान और मजदूर है जिसकी 80 प्र. श. आबादी है, उसकी राजस्थान के अन्दर इसलिए क्रय शक्ति घट गई है उसकी सारी आमदनी पर औद्योगिक उत्पादन का असर पड़ेगा और वह कम हो जायगी। उसका नतीजा आखिरकार यह होगा कि राजस्थान को वह पीछे खिसकाने लगेगी। जो कि रोज हो रहा है आप देखिए कि सीमेंट और कपड़े के भावों में कोई तब्दीली नहीं है। जहां वह थे वहीं के वहीं हैं। इधर डीजल केरोसिन जो किसान के काम में आने वाली दूसरी चीजें हैं, उनके भाव बढ़ गये हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेक्टर के भाव बढ़ गये और बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेक्टर के भाव बहुत ऊंचे हो गये हैं। आज यह स्थिति हो गई है कि ट्रेक्टर मिलना दुर्लभ हो गया है लेकिन इस ओर आप का ध्यान नहीं है। आप मोटर गाड़ी पर आप टायर ट्यूब पर, आप सांघी ब्रदर्स पर रियायत देने के लिए. . .

श्री **रामकिशन** : कमल एंड कं. को।

श्री **दौलतराम सारण** : कमल एंड कम्पनी को रियायत देने को तैयार हैं। सैल्स टैक्स में छूट देने के लिए तैयार हैं। आपको कमल एंड कम्पनी का ख्याल है। लेकिन खेत में काम आने वाले ट्रैक्टर का ध्यान नहीं है। आपको डीजल का ध्यान नहीं है। आपको कैरोसिन के तल का ध्यान नहीं है। आपको और किसी चीज का ध्यान नहीं है। यह आपका रवैया है। जिसको आप समाजवादी अर्थ व्यवस्था कहते हैं। जिसको योजनाबद्ध विकास कहते हैं। आप की योजनाबद्ध विकास की पोल खुल चुकी है। समाजवाद आपका केवल नारा है। केवल ढोंग है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय की घण्टी के कारण बहुत से मसले रह गये हैं।

श्री **जगनारायण सालोदिया** : बाकी के मसलों को मन्त्री महोदय की मेज पर फेंक दीजिए।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : जेब में डाल लीजिए।

श्री **दौलतराम सारण** : मैं केवल आपको दो तीन नमूने बता देता हूं। योजनाबद्ध विकास के लिए, समाजवादी व्यवस्था के लिए सबसे अधिक बुनियादी चीज है, वही प्रशासन है। योग्य, कुशल, क्षमताशाली, निष्पक्ष, निष्ठावान् प्रशासन नहीं होगा तो योजनाबद्ध विकास नहीं कर सकेंगे। समाजवादी व्यवस्था नहीं चला सकेंगे। आज प्रशासन की क्या हालत है? प्रशासन को आज फुटबाल बना रखा है। राजनैतिक हस्तक्षेप ने प्रशासन को मजबूर कर रखा है भ्रष्ट बनने को, बेईमान बनने के लिए। प्रशासन को मजबूर कर रखा है गैर जिम्मेदारी करने के लिए। अगर गैर जिम्मेदारी यह नहीं करे, अगर टेलीफोन पर हुक्म नहीं ... तो उसे फटबाल बनाया जाता है। जैसलमेर से बांसवाड़ा, बांसवाड़े से कोटा, कोटा से बीकानेर—एक साल में आठ आठ चक्कर लगवाये जाते हैं। आखिरकार नतीजा यह आता है कि मजबूर होकर मशीनरी का आदमी सरेण्डर हो जाता है। और इस तरह से आपके पाप का भागीदार बन जाता है। इस तरह आप ने भ्रष्टाचार फैलाया है। अनैतिकता फैलाई है। चरित्र गिराया है। यह हालत पैदा करदी है। यह आज प्रशासन की क्या स्थिति है? मैं आपको नमूना बताता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार अपने इन्वैस्टमेंट को भी नहीं देखती। इसके बहुत से उदाहरण यहां रखे गये हैं। एक उदाहरण मैं भी बताना चाहता हूं। जामसर जिप्सम कं. के अन्दर 51 प्र. श. शेअर राजस्थान सरकार के हैं लेकिन उसकी मैनेजिंग एजेन्सी राजस्थान सरकार अपने कब्जे में नहीं लेना चाहती है। सरकार उसी को रखना चाहती है। वह क्यों? इसके रहस्य का तो पता नहीं। बीकानेर में, जामसर में काम होता है। बीकानेर में उसका दफ्तर है लेकिन वहां से पूरा नहीं पड़ता है इसलिए एक दफ्तर दिल्ली में है और एक दफ्तर कलकत्ते में है जिस पर लाखों रुपया आज व्यय होता है और कमीशन का उनको मिलता है। लेकिन राजस्थान सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जनता के धन की ओर ध्यान नहीं है। यह आर्थिक स्थिति भी बरदाश्त की जा सकती है। लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि वहां भयंकर घोटाला है, गड़बड़ है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, जिसकी बराबर वहां की यूनियन, वहां के लोग, संजिदा लोग सरकार के पास शिकायत करते हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि डायरेक्टर इस कम्पनी में हैं। मुख्य मंत्री के पास शिकायत करते हैं और प्रमाण भेजते हैं लेकिन यह राज्य सरकार फिर भी अपने इनवैस्टमेंट

Page No. 69

(श्री दौलतराम सारण)

को नहीं देखती । पब्लिक के धन को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी को अदा नहीं करती । इसका एक नजारा देखिये । इस कम्पनी में लोकल मैनेजर हैं । इन लोकल मैनेजर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई जामसर थाने में सन् 66 में कि कम्पनी का 10609 रु. 67 पै. का सामान चोरी चला गया । और उसके साथ यह सामान की लिस्ट भेजी दो पृष्ट में । फिर जब पुलिस ने इन्क्वायरी शुरू की, जब चोरी का राज खुलने की तरफ आया, तब क्या किया ? तब स्टोर्स रिक्वीजीशन में एडजेस्ट कर दिया । किसी ने वह सामान मांगा नहीं, लोकल मैनेजर से कोई क्लेम नहीं और जामसर के स्टोर्स से वह एडजस्टमेंट कर देते हैं । इसमें साफ लिखा है

"Being the value of materials stolen from Stores as per list attached."

श्री प्रद्युम्नसिंह : पण्डित जी आप पढ़ दीजिए ।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह साफ लिखी है जरा कम । संख्या इसमें साफ लिखी है । फिर पुलिस को लिखा गया कि सामान नहीं गया है जब कि सामान गायब है, सामान नहीं । इस तरह 10609 रु. 67 पैसे का यह घोटाला हुआ जिसकी सब जगह पर शिकायत की गई लेकिन उसकी कोई जांच नहीं की । कोई जांच नहीं, कोई छानबीन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं पब्लिक के धन की।

और भी कई घोटाले हैं उन सब में मैं समय नहीं होने के कारण पडना नहीं चाहता । मेरे पास डोक्युमेन्टरी एवीडेन्स हैं, जो मेरे पास रेकार्ड है उसके आधार पर छानबीन की जायेगी। मैं इस डोक्यूमेन्ट को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: आपने काफी समय ले लिया है ।

श्री दौलतराम सारण: अब मैं जिस चीज को बताऊंगा उसमें लाखों रुपये के घोटाले का सवाल है ।

लूणकरनसर-सूरतगढ़ सड़क का निर्माण कर रहे हैं । इस सड़क के ठेकेदार के साथ इस सरकार ने जो उदारता दिखायी, कितनी नरमदिली बतायी, किस तरह से लाखों रुपयों को बेदर्दी और बेरहमी से खर्च किया—वह मैं बताना चाहता हूं । यह सब योजनाबद्ध तरीके के विकास का नमूना है, ये सब मामले योजनाबद्ध तरीके का परिणाम है जीप काण्ड जो सदन के अन्दर आया था वह भी उसी योजना का हिस्सा है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री जयनारायण खालोदिया: यह दूसरी घंटी है अतः इस पर दूसरा घोटाले का नमूना बतायेंगे ।

श्री दौलतराम सारण: लूणकरनसर से आगे पांच मील पर चान्दी की क्वेरी से सड़क पर डालने के लिये गिट्टी आती है । इस क्वेरी से डेढ़ इन्च से दो इन्च के साइज की गिट्टी आती है। इसका जो शिड्यूल्ड लूणकरनसर से बेसिक

(श्री दौलतराम सारण)

रेट है वह सौ रुपया प्रति सौ क्युबिक फिट है। आगे कच्चे रास्ते की ढुलाई 2.20 रु. प्रति मील प्रति सौ क्युबिक फीट है 195 रुपया प्रति 100 क्युबिक फीट वर्क रेट है। उधर चान्दी की क्वेरी को बजाय इस काम के लिये रणधीसर की क्वेरी से ब्लास्ट लाये जाने की मन्जूरी दी गई। जब कि चान्दी की क्वेरी की ब्लास्ट की रेट 195 रखी गई थी। यह ठेका 50.40 और 20 रु. अब शिड्यूल्ड रेट्स से तीन ठेकेदारों का अलग अलग ठेका हुआ है। पहले ठेकेदार को पचास परसेन्ट ऊपर 195 से दिया गया चान्दी की क्वेरी के बजाय रणधीसर की क्वेरी से गिट्टी डालने के लिये। इस गिट्टी पर 35 रु. पर सौ क्युबिक फिट सौ पड़िहारा स्टेशन पर और पड़िहारा स्टेशन से राजियासर तक 65 रुपया पर सौ क्युबिक फीट ढुलाई का रेल किराया देना मंजूर हुआ। इस तरह से 120 रुपया जहां यह रेट आती है उस पर सौ क्युबिक फीट का 75 रुपया अधिक पेमेन्ट किया गया। एक मील की सड़क निर्माण पर 30 हजार क्युबिक फीट गिट्टी की आवश्यकता होती है। इस तरह से 22,500 रुपये प्रति मील के हिसाब से 5 मील तक की सड़क बनायी का 1 लाख 51 हजार 288 रुपया अधिक चुकाया गया। इसमें पचास परसेन्ट अधिक रेट शामिल नहीं है। इस तरह से इस सड़क निर्माण में लाखों का घोटाला है। यह तो मैंने एक ठेकेदार का हिसाब बताया है। अन्य ठेकेदारों को भी इसी तरह का पेमेन्ट हुआ है जो जाकर 20 लाख रुपये का घोटाला बनता है। उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों के साथ मिल करके यह जो घोटाले होते हैं उसमें पब्लिक के पैसे को बेदर्दी के साथ बहाया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: तीसरी घंटी हो गई है फिर भी माननीय सदस्य स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं।

श्री **जयनारायण सालोदिया**: तीसरी घंटी के साथ तीसरा उदाहरण रखिये।

श्री **दौलतराम सारण**: मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। तीसरा एक उदाहरण देना चाहूंगा। नेशनल हाई वे नम्बर 11 का जो 51 से 57 मील तक का ठेका है इसके लिये ठेकेदार को पी. डब्ल्यू. डी. ने रेलवे से माल मंगाने के लिये क्रेडिट नोट जारी किया 35 हजार क्युबिक फीट ब्लास्टिंग के लिये। रेलवे स्टेशन बिग्गा से 60-60 हजार क्युबिक फीट का बिल में चार्ज किया गया है जब कि सड़क के लिये 35 हजार क्युबिक फीट चाहिये। इतनो एक्सेस, इतना अधिक चार्ज ठेकेदार ने कर लिया। और भी मेरे पास ठेकेदारों के मामले हैं। मैं इस समय केवल दो तीन मामले ही पेश करना चाहता हूं। मैं आपकी आज्ञा के बाहर जाकर समय लेना नहीं चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह राज्य की जनता के साथ विश्वासघात है। जनता के साथ जो वादे किये थे उन वादों से मुकर करके सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है। इस बजट से अभिजात्य वर्ग को, ऊंचे लोगों को संरक्षण दिया गया है, अल्प आय वालों पर बोझ डाला गया है, सरकार वादों से मुकरी है। इस तरह इस सरकार की साख गिरी है और हर बार गिरती जा रही है। जिस जगह की सरकार अपने नियमों के पालन से, अपनी नीति से मुकर जाती है, अपनी घोषणाओं से मुकर

(श्री दौलतराम सारण)

जाती है। आज इस सरकार की यह स्थिति हो गई है कि प्रशासनिक अधिकारियों का इस पर भरोसा नहीं है। आदेश जारी होते हैं उनकी अनुपालना नहीं होती। वे उन आदेशों को दबाये रखते हैं, वे जानते हैं कि ये आदेश तो बदल जायेंगे क्योंकि सरकार नियमों और नीतियों पर चलने वाली नहीं। पोलिटिकल प्रैसर से चलती है, गुटबन्दी से से चलती है, पक्षपात एवं भ्रष्ट तरीके से चलती है। आज कोई कानून बनता है जिस पर लाखों रुपया व्यय होता है लेकिन उस कानून को अमल करने का सवाल आता है तो उसको लागू करना नहीं चाहते इसलिये कि उनके लागू करने से गरीबों को राहत मिल जायगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रतिक्रियावादी बजट की आलोचना करता हुआ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : अगले वर्ष का बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया। मैंने बजट को पढ़ा, मैंने करीब 50 पेज के भाषण को पढ़ा है और उनसे सुना भी है। अगर ध्यान से देखा जाय तो यह बिलकुल निराशाजनक बजट है। मैं इस बजट भाषण को और करीब 50 पेज की किताब को सिर्फ शब्द-जाल समझता हूं। शब्दों के जाल से देश का भला नहीं हो सकता, शब्दों के जाल से लोगों का काम नहीं निकल सकता। देश की गरीबी शब्दों से नहीं मिटेगी। मुझे बडा खेद हुआ जब मैंने मंत्रीजी को यह कहते हुए सुना कि मामूली कोई 63 लाख का घाटा है। घाटा अगर देखा जाय तो 63 लाख की बजाय 14 करोड का घाटा है। जो 14 करोड 9 लाख का रेवेन्यू में घाटा बताया वही सही घाटा है और वह घाटा है 14 करोड 9 लाख का। हम किसी से कर्जा लें और रात दिन के वार्षिकी खर्चे हैं, उनमें लगा कर यह कह दें, कि कर्ज वाली तो हमारी कमाई हो गई, उसको वापिस देंगे नहीं, वह गलत है। 65-66 तक कम से कम मुझे संतोष था कि हमारा कर्जा जो करीब 357 करोड रुपयों के करीब था और हमारे 362 करोड के एसेट्स थे। इस प्रकार कर्ज से असेट्स 5 करोड के ज्यादा थे सरकार के आंकडों के अनुसार। तब तक हर राजस्थानी को संतोष था कि हमारे ऊपर जितना कर्जा है, जितना लोगों का रुपया खर्च किया है, उससे ज्यादा सामान हमारे पास है। पर 66-67 में बढ गया और बढ़ते बढ़ते आज यह 14 करोड 9 लाख का कहा जाता है। इस प्रकार 45 करोड से ऊपर रात दिन के वार्षिकी खर्च में कमी रहे और पहले वाले असेट्स थे उनको कम कर दें तो यह 40 करोड से ज्यादा घाटा है। वित्त मंत्रीजी ने 31 मार्च, 1968 को कुल देनदारियां लगभग 492 करोड 30 लाख की बताई हैं और उसके बाद कहा है कि 470 करोड 90 लाख रुपयों के हमारे पास एसेट्स हैं। तो 21 करोड 40 लाख का घाटा तो वे अपने हिसाब से ही बता रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि पुरानी रियासतो के जमाने का सामान था, एसेट्स थे, उनको इसमें नहीं जोडा है। पता नहीं पुराने राजाओं के समय की क्या क्या चीजें नहीं जोडी हैं ? अगर उस जमाने की चीजें हैं तो उनको सामान में दर्ज क्यों नहीं किया है ? मेरी मान्यता है कि इतनी केपिटल नहीं है, अगर है तो पुराने खण्डहर होंगे, एक भी काम की चीज नहीं छोडी, इससे तो इस वर्ष राज्य सरकार ने इनकी देख भाल मरम्मत आदि

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

का और खर्चा बढ़ाया है। हर वर्ष खर्चा बढ़ता ही जाय और आमदनी का जरिया नहीं निकालें तो इस तरह से तो हर वर्ष 14 करोड का खर्चा बढ़ते बढ़ते इस राजस्थान का क्या हाल होगा, यह अन्दाजा सदन के माननीय सदस्य और आप लगा सकते हैं।

घाटा क्यों हो जाता है? घाटा इसलिये होता है कि हम खर्च में मितव्ययिता नहीं करते हैं, हम खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं। अगर सामाजिक विकास के लिये खर्चा बढाये तो कुछ समझ में आ सकता है। पर सामाजिक विकास के नाम पर केवल शिक्षा विभाग का खर्चा जरूर बढ़ा है। बाकी दूसरे प्रशासनिक खर्च बढ़ते जा रहे हैं, उसे हमें रोकना चाहिये। मैं अर्ज करूं कि हमने पंचायत समितियों में खर्चा बढ़ाया है, पंचायत समितियों में काफी खर्चा बढ़ा है, इससे एक चीज तो लाभ की हुई है कि ग्रामीण नेतागिरी तो जरूर उभर कर आई है। पहले यह था कि जब कभी देश में प्रजातान्त्रिक वातावरण पैदा करने की कोशिश की जाती थी तो वह सारी कोशिश शहरों में ही की जाती थी पर अब यह लाभ अवश्य हुआ है कि ग्रामीणों में जागृति आई है, पर करोडों का खर्चा वहां नाजायज तरीके से होता है। पहले की जो तहसीलों की व्यवस्था थी, उसको तो ज्यों का त्यों लागू रखा है। तहसीलें पहले थीं, सारा स्टॉफ था, वह तो है ही, विकास के नाम पर बी. डी. ओ. है हर तहसील में। तो तहसीलों का खर्चा कम करना चाहिये था, तहसीलदार की बजाय वसूली अधिकारी बी. डी. ओ. को रखना चाहिये था। पहले वाला तो तहसीलों का पूरा स्टाफ है ही फिर आगे के लिये विकास के नाम पर और स्टाफ रखते जायं तो खर्चा बढ़ता ही जायगा और इस तरह से कर्जा बढ़ेगा। ईश्वरवादिता के नाते, आस्तिकता के नाते मैं कह सकता हूं कि यह खर्चा कहां तक बढ़ता जायगा, और मुझे तो डर है कि आयन्दा हमें कर्जे मिलना बन्द हो जायगा और विकास का काम अवरुद्ध हो जायगा। हम पंचायत समितियों की बात करें, राजस्व विभाग की बात करें, अलोटमेंट कमेटी बनी हुई हैं जमीन के अलोटमेंट के लिये और अलोटमेंट कमेटी की हालत यह है कि सदस्य बैठ जायं चार-पांच जैसे सारे ईश्वरीय अधिकार उन्हें ही हैं। चार पांच सदस्य-प्रधानजी, एम. एल. ए., तहसीलदार, बी. डी. ओ. इनकी अलोटमेंट कमेटी बैठ जाय और जिसको जमीन की जरूरत है, उसको तो जमीन अलोट नहीं हो, जमीन अलोट होगी तो उनको होगी जिनके पास चोर बाजारी का पैसा है, कालाबाजारी का पैसा है, बेईमानी से बिना दर्ख्वास्त के ऐसे लोग अलोटमेंट में जमीन प्राप्त करते हैं...

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : ऐसी दो चार मिसालें ही दे दें।

श्री **रोशनलाल** : हम मिसालें दें, आपके अधिकारी क्या करते हैं?

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** : आप तो दो-चार की बात कर रहे हैं, सैकडों मिसालें दे सकते हैं।

श्री **दौलतराम सारण** : इसकी सैकडों मिसालें हैं।

(शोरगुल)

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : बीच में बोलने की मेरी आदत नहीं है पर मंत्रीजी कहते हैं

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

कि दो चार मिसालें ही दे दो इसलिये मुझे बोलना पड रहा है, पूरी मांडलगढ तहसील के लिये आपको निमन्त्रण है, पूरी तहसील इसकी मिसाल है ।

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** : तो इससे ग्रामीणों में पूंजीवाद बढा है । शहरों का पूंजीवाद हमें खाता जा रहा है और यह ग्रामीण पूंजीवाद ग्रामों को खाता जा रहा है । सम्पत्ति बढाने की भावना ग्रामों में इतनी बढ रही है कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र में लोग तैयार हो जाते हैं कि हम जमीन पर कब्जा करें, समाज से, सरकार से हम जमीन ले लें । दो दो करोड के आसपास लोग ग्रामों में बसते हैं और सभी किसान हैं, यह हम गलत कहते हैं । एक करोड से ज्यादा तो उनमें महनतकस मजदूर हैं, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है । उनके स्थान पर ऐसे लोग वहां पनप रहे हैं जो कोई जमीन के अलोटमेंट की या और कोई लाभ की बात आयेगी तो झट से आगे और महनत की बात आयेगी तो सबसे पीछे । हमने किसानों से सुना है, हमें मजदूरी ज्यादा देनी पडती है इसलिये हमें मंहगा अनाज बेचने की मंजूरी दी जाय। अगर अनाज मंहगे भाव पर बिकता है तो बेचो, कौन मना करता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सही माने में किसान हैं, उनके पास तो उनकी जरूरत से ज्यादा अनाज नहीं मिलेगा । वे इस तरह की बात कभी नहीं करते । वह तो वे पूंजीवादी लोग हैं जिनके पास बहुत बडी जमीन है, अनाज का बहुत बडा जखीरा अपने पास रखते हैं और वे चाहते हैं कि हमें मालामाल कर दो । गरीब किसान कब आकर आपको ऐसी बात कहता है ? गांवों में ज्यादा संख्या में वे लोग आबाद हैं जो सडक पर पत्थर तोडने वाले हैं, सडक पर काम करने वाले हैं, चमडे का काम करने वाले हैं, गांवों में कपडे का काम करने वाले लोग रहते हैं और वे किसान भी रहते हैं जिनके पास छोटी जोत की जमीनें हैं । क्या कभी उनमें से किसी ने आपके पास आकर यह बात कही है ? नहीं ।

यहां सरकार ने यह बात कही कि छोटी जोतों पर हम भू-राजस्व माफ करते हैं । छोटी जोतों पर लगान नहीं लिया जायगा, । हमने उसे मान लिया । मुझे खुशी हुई । मैं समझा कि सरकार सही राह पर चल रही है क्योंकि छोटी जोतों पर लगान छोडेंगे तो जिन लोगों के पास बडी बडी जमीनें हैं, उन पर कृषि आय कर लगेगा । पर क्यों लगाये कृषि आय कर ? गांवों के किसानों को आज उन्हें लाभ नहीं है । पूंजीपति लोगों से लाभ हो रहा है । जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं, वे काले बाजार से पैसा कमाकर जमीन पर लगाते हैं और वे कहते हैं कि खेती में हमें बहुत अच्छी आमदनी हुई, दो लाख रुपये के तो अंगूर बेच दिये, दो करोड रुपये का कपास हो गया । दर असल कुछ नहीं हुआ, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिये ऐसी गलत बातें करते हैं ताकि उनका जो काला चेहरा है, काले चेहरे की बजाय साफ चेहरा कर के बाजार में खडे हो जायें । अगर यह राजस्थान सरकार समाजवादी समाज चाहती है तो इसे कृषि आयकर लगाना पडेगा, वरना यह नारा मात्र माना जा सकता है ।

आज हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों की आंखें जमीन की तरफ लगी हुई हैं और वे जमीनों के बडे बडे फार्म्स लेना चाहते हैं,

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बडे बडे फार्म्स चलाना चाहते हैं और किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि पूंजीपति बढें, गांवों का पूंजीवादी वर्ग है, वह बढें। मैं इस खतरे से आगाह कर देना चाहता हूं कि बडे बडे पूंजीवादी गांवों में जा कर बसने वाले हैं। कोई कहता है कि हमें फार्म की जरूरत है, कोई कहता है कि अधिक अन्न उपजाने के लिये हमें फार्म चाहिये। तुम्हें फार्म क्यों चाहिये ? तुम्हें जमीन क्यों चाहिये ? यह सब हम जानते हैं। अधिक अन्न उपजाने के लिये तुम वहां काम करोगे, फार्म खोलोगे ? नहीं। तुमने बेईमानी से पाप कर के काले बाजार से काला पैसा जमा कर रखा है, उस पाप के पैसे को तुम सफेद करना चाहते हो।

जमीन वे लें क्योंकि सीलिंग आपने लागू नहीं की है और सीलिंग मिकैनाइज्ड फार्म के लिए लागू नहीं करेंगे। उन के पास कम अक्ल नहीं। अकबर मीना बाजार में अस्मत खरीदते थे। आज अस्मत के बजाय बुद्धि और महनत खरीदी जाता है। महनत की छूट की वजह से लोग गांवों में आकर चोरी के पैसे को वहां साफ करेंगे कि गांव में काश्तकार की खेती से पैदा हुआ। तो इससे बचने के लिए कृषि आय-कर की जरूरत थी और है तो अब जब वापिस काश्त की छोटी जोतों पर वापिस लगान लगाई तो मुझे दुःख हुआ। इससे फिर पूंजिपतियों का उत्साह बढेगा। आप अपनी आय को पूरा करने के लिए कोई न कोई साधन जुटाना चाहते थे तो कुछ लगाते। कृषि आय कर से लोगों को बचाने की कोशिश की है यह काबिले बर्दाश्त नहीं है। कोई भी समझदार आदमी, कोई भी समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करता है, वह बरदाश्त नहीं करेगा। लोग जिनकी आय 500 या 1,000 सालाना है उनसे लगान लेते हो। गांवों में छोटी छोटी जोते हैं छोटे लोगों की बात है, बेचारे गरीब हैं, उनके पास 2-2, 4-4 बीघा जमीन है, आप उनको छोड देते तो मुश्किल नहीं। आपको एक ही जगह से, एक ही इलाके से सारे आय कर से 10 करोड की वसूली हो जाती। इसलिए मैंने कहा कि ग्रामीण पूंजीवाद अपने तरीके से जमीनों को अपने नाम पर एलाट करा दें 5-7 आदमी बैठकर झूठे दस्तखत करके

श्री मूलचन्द शर्मा: नाम बताओ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : नाम बताऊंगा। सरकार के आदेश हैं कि सरपंच, विकास अधिकारी और तहसीलदार सब मिलकर एलाटमेंट करेंगे और गांव की सारी व्यवस्था को समझ कर कि कौन जरूरतमंद है उसको पूरा करें। उस के बजाय उसके मेम्बर्स झूठे दस्तखत देते हैं तहसील में

श्री बृज सुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री): आप नाम बताओ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : जयपुर के इलाके में बस्सी तहसील में जो एलॉटमेंट कमेटी है उसके सदस्यों ने अपने रिश्तेदारों के नाम झूठे अंगूठे लगाए। मेम्बर्स ने बीबी के नाम की दस्तखत किये हैं साले के नाम दस्तखत, छोटे भाई के नाम अंगूठा लगाते हैं और तहसील को देते हैं

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मेम्बर्स के नाम

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: बस्सी के मेम्बर्स श्री कन्हैयालाल।

श्री केसरी सिंह हाडा: कुछ करेंगें भी या केवल नाम ही नोट करेंगे ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: आपको जांच करनी चाहिए, सारे रेकार्ड पर झूंठे निशान हैं, सारे रेकार्ड को तहसीलदार के पास ही रखवा दिया गया है। कहते हैं सरपंच बुरा है, प्रधान नालायक है। हम सब ईमानदार हैं जो झूंठे अंगूठे लगाते है ? सदन में फाइल मंगवाई जाय, राजस्व मंत्री फाइल को देखकर माननीय सदस्यों को बताऐं कि यह बात सही है या गलत। हमारे चुने हुए सरपंचों, प्रधानों और पंचों के खिलाफ हर तरह की बात कही जाती है कि प्रधान बेईमान है, सरपंच बेईमान है और हम सदन में जो बैठे हुए हैं, दूध के धूले हुए हैं। हमारी बेईमानी पकडकर सदन में बताओ कि फलाने आदमी ने यह पाप किया है। जिसने पाप किया है वह इसमें नहीं बच सकता है। हम यहां बैठ कर सारे राजस्थान की पंचायत करें, बेईमानी करें और फिर जोर जोर से कहें कि सरपंच, पंच, प्रधान या प्रमुख बेईमान। अरे भाई सभी भ्रष्टाचारी हैं। अगर सच्चे हो तो कम से कम सदन में बेईमानी को तरजीह मत दो।

आज घाटे का बजट है और घाटे के बजट में पुलिस का बजट बढ गया है। आज पुलिस के बजट बढाने की जरूरत नहीं थी। अराजकता की स्थिति पुलिस ने कर रखी है। बीकानेर शहर में एक मकान के अन्दर 5 आदमी सोए हुए थे। उसमें से एक को गला घोटकर मार दिया गया और उस केस को पुलिस पकड नहीं सकी और उसकी जांच इधर उधर बदलती रहती है। या तो कहते हैं कि जांच इस आफिसर से मत कराओ, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। मर्डर करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद यह कहे कि 5 करोड, फिर 6 करोड और 6 के बजाय 8 करोड लेकिन पुलिस का पता नहीं लगता कि कितने पैसे साल में गए, चोरी पकडी नहीं, डाका पकडा नहीं, मर्डर हुए पकड नहीं सकते······

श्री दौलत राम सारण: कार्यकर्त्ताओं पर झूंठे मुकदमे और बनाते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद सारण: अगर राजनैतिक कार्यकर्ता सही है और उसके खिलाफ मुकदमा बनता है तो वह आखिरी दम तक उसका मुकाबला करेगा। अगर वह कायर है तो उधर की बात करेगा। राजनैतिक कार्यकर्त्ता को किसी की परवाह नहीं है। अगर उसके खिलाफ झूंठा मुकदमा है तो वह बेपरवाह रहे। कोटू कोटा में मर्डर हुआ, नहीं पकडा गया। मैनाल ऋषि का पवित्र स्थान कहलाता है वहां 5 मर्डर्स हो गए, पकड नहीं सकते। मैं पुलिस मंत्री से जानना चाहूंगा कि आप 8-10 करोड क्यों खर्चा करना चाहते हैं ? पैसा लेने की ताकत भी सरकार में होनी चाहिए। 151 करोड का कर्जा हमने दे रखा है और उसकी स्थिति यह है कि हर साल वह बढता जा रहा है, वसूली कम होती है। अगर आप देखें तो 1951-52 से बढना शुरू हुआ। शुरू से देखें, कर्जा कितना बढता जा रहा है और कैसे कैसे हर वर्ष दिया और ब्याज कितना होना चाहिए और सरकार ब्याज कितना देती है ? सरकार किसी को साढे तीन प्रतिशत, किसी किसी को 5 और किसी को 6। तो 5 प्रतिशत से करीब 48 करोड हम कर्जे के ब्याज का देते हैं और 5 प्रतिशत अगर ब्याज देते हैं और इस वर्ष भी हमने करीब 38 करोड रुपये कर्जे के ब्याज के रखे हैं।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

अब 38 करोड रुपए रेवन्यू बजट से ब्याज के चुकाते हैं । चुकाना ही जानते या लेना भी जानते हैं ?

भारत सरकार के ऋण को चुकाना है तो नियोजन करना पडेगा । नियोजन से फिर ब्याज लगेगा । यह हमेशा से रीति रही है कि राजस्थान के बजट में से कम से कम 23-24 प्रतिशत ब्याज जाता है । जिनको आप पैसा देते है उस पर ब्याज लेने की कसम खा रखी है कि नहीं लेंगे । करोडों रुपये हमने उद्योग में लगा रखे हैं, 108-110 करोड के उद्योग लगाये जायेंगे । बतला दें पावर हाउस से एक पैसे का भी ब्याज हर साल रुपया देते हैं। 100 करोड दिए हैं । जो कॉमर्शियल विभाग है, आपने अलग से आटोनोमस बोडी बना रखी है, हम उस पर कोई बहस नहीं कर सकते, खाली बजट देखते हैं, हिसाब नहीं, वैरीफिकेशन नहीं, करोडों रुपए का घोटाला उसके अन्दर है लेकिन हम कुछ वसूल नहीं करते हैं। कहते हैं कि विद्युत की जरूरत है, खर्चा करना है । हमने आज तक ब्याज क्या लिया ? 1949-50 में 5 प्रतिशत से पैसा लिया गया और तीन नए पैसे के हिसाब से देते थे ।

(11 म. पू.)

50-51 में देने में 5 प्रतिशत और 13 नये पैसे के हिसाब से ब्याज वसूल हुआ है। इसी तरह 51-52 में 14 नये पैसे, 52-53 में 23 पैसे, 53-54 में 42 पैसे, 54-55 में 52 पैसे, 55-56 में 68 पैसे, 56-57 में 70 पैसे, 57-58 में 1 रु0 15 पैसे, 58-59 में 1 रु0 5 पैसे, 59-60 में 1 रु0 7 पैसे, 60-61 में 63 पैसे, 61-62 में 65 पैसे, 62-63 में 1 रु0 3 पैसे, 63-64 में 90 पैसे, 64-65 में 77 पैसे, 65-66 में 5 रु0 52 पैसे, 66-67 में 48 पैसे, 67-68 में 72 पैसे, और 68-69 में अनुमान है 87 पैसे का । इस प्रकार ब्याज की रकम 36 करोड 59 लाख 39 हजार 828 है। असल मूल बाकी है और इसमें ब्याज के 55 करोड के ऊपर बकाया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह सरकारी आंकडों से मेहनत करके बनाया है । अब सरकार के पास कोई जवाब है तो दे दे ।

श्री श्रवणलाल: इनके पास इतना समय कहां है ?

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** : सरकार के इतने पैसे लोगों में बाकी रहते है । घाटा है नहीं-सरकार में घाटा नहीं है यह घाटा दिखाया जा रहा है । जबरदस्ती कांग्रेस को बदनाम करने वाले कौन है ? वित्त मंत्रालय कांग्रेस को बदनाम करना चाहता है । आज मंत्रालय में इस प्रकार के लोग मौजूद हैं । कैबिनेट में भी ऐसे लोग है जो कांग्रेस की खिलाफत करते हैं । सैक्रेटेरियट में जो जो लोग कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं । कहते हैं 45 करोड का घाटा तीन साल में होना । 60 करोड का घाटा है जिसको ये दिखाना नहीं चाहते हैं । आप वसूल नहीं करना चाहते है । आप में ताकत नहीं है । आप ब्याज क्यों नहीं लेते है । इसमें आपको छूट करने की बडी गुंजाइश है । गांवों के विकास की अर्ज करना चाहता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस सदन में इसी सत्र में कोई गांवों में नहीं हो रहा है, कौन कहता है ? गांवों में काम क्यों नहीं होता है भाई ? आप कहेंगे कॉलेज

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

नहीं खोले हैं । कॉलेज खोलें 100-200 आदमियों की बस्ती में ? क्या यह आप उचित समझते हैं ? गांवों का बहुमत है कांग्रेस पार्टी में, देश में भी बहुमत है । आप कालेज खोल दीजिये 300 घरों की बस्ती में वहां पढने कितने छात्र जायेंगे ? यह आपने कभी अन्दाजा लगाया । शहरों में 3 रु० से ज्यादा खर्ज नहीं पडता है और यही खर्च अगर गांवों में कालेज खोले तो 45 रु० पडता है । गांव में खर्च ज्यादा होगा । 20 घरों की आबादी में स्कूल खुलेंगे तो वहां पढने जायगा कौन ? उपाध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि शहरों में कितने पूंजीपति हैं, खाली शहर वालों को बदनाम कर रखा है । आज गांवों में बहुत पूंजीपति हैं लेकिन उनका पता नहीं लग पाता है । खाली यह बदनाम कर रखा है कि शहरों में, पूंजीपति रहते हैं, गांवों में नहीं रहते हैं–यह तो जबरदस्ती का वहम है । पान वाले की दुकान को भी जबरदस्ती बदनाम कर रखा है । कौन आता है पान की दुकान पर, आपको मालूम है ? आप कहते हैं कि अमीर लोग जाते हैं । अमीर क्यों जायगा वहां पर पान खाने को, वह तो घर बैठे ही पान खा सकता है । गरीब लोग भी पान नहीं खाते हैं, वह खायेंगे कहां से ? उनके पास तो वैसे ही पैसे नहीं होते हैं । पान खायेंगे भी तो उनकी बीबियां लडती हैं । वे कहेंगी आप तो पान खाते हैं, मेरी तो साडी फट गई, मेरे लिये पहले साडी लाओ । पान वाले के यहां तो वे बेचारे गप मारने खडे हो जाते हैं ।

श्री **रामकिशन** : ये जो पान खाते हैं, उनकी सबकी बीबियां लडती हैं क्या ?

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** : यह तो भारतवर्ष की संस्कृति है, पुरानी चीज है । आपने कहा कि पान की दुकान पर गुन्डे रहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : कौन कहता है ?

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** : पाली से जो माननीय सदस्य आये हैं वे कहते हैं ।

श्री **भैरोंसिंह** : उनको तो पाली का ही अनुभव है, उसे बता रहे हैं ।

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** : गरीबी की हालत तो आज यह है कि 90 प्रतिशत लोगों के पास रहने को मकान नहीं है । किराये के मकानों में रहते हैं । छोटी छोटी कोठरियों के अन्दर जिन्दगी बसर करते हैं । 24 घंटे श्रम करते हैं । तीनों शिफ्टों में काम करते हैं । सुबह 8 बजे काम शुरू करते हैं । 8 घंटे एक ने किया, फिर 8 घंटे एक ने किया, इस तरह बराबर 24 घंटे काम करते रहते हैं । गांव में इतना श्रम करते हैं ?

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि औद्योगिकरण में इतनी महनत मजदूर करते हैं वह रात दिन 24 घंटे मेहनत में लगा रहने वाला होता है, फिर भी उसको मकान रहने को नहीं मिलता है । किराये के मकानों में रहते हैं और किराये के मकानों में ही रहना पसन्द करते हैं ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : यह केवल आपका भ्रम है श्रमिक हर जगह मेहनत करता है ।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** : आप पहले सुन लीजिये फिर बोलिये ।

शहर में तीनों शिफ्ट काम करने वाले श्रमिक के रहने को अपना मकान नहीं है,

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बाल बच्चे दूध बिना रह जायें, गांवों में पशुओं के लिये चरागाह नहीं मिलता, वे दुखी हैं जीवन में····

श्री भैरोंसिंह : और चाय पीकर काम चलाते थे वह चीनी भी बन्द कर दी सरकार ने।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चाय के लिये चीनी बन्द कर दी, यह दुख का विषय है। जिनका बहुमत है वे तालियां पीटकर मजाक उडाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चीनी के लिये कुछ नहीं कहना है। जब देश में चीनी थी और यही मंत्रि-मण्डल था तो गांवों में पर-केपिटा एक आदमी को 100 ग्राम और शहरों में एक किलो देते थे। अब चीनी कम हो गई है तो गांवों में बढा दी और 150 ग्राम कर दी और शहरों में भी 150 ग्राम कर दी इसलिये कि शहरों के लोग कुछ नहीं बिगाड सकते, हमारा बहुमत गांवों से आता है। मंत्रि-मण्डल के लोग गांवों के हैं, इन्हें शहरों की परवाह नहीं है। मेरा अर्ज करना यह है कि ग्रामीण लोगों को कौनसी सुविधायें प्रदान नहीं की जाती हैं ? वे बात करते हैं, जो गांवों में भी मेहनत नहीं करते हैं, गांवों में भी वे लोग बैठे रहते हैं। ग्रामीण मजदूर कोई शक्कर लेने नहीं जाता है, गांव में लोग मालदार नहीं हैं, यह बात नहीं है अब यह व्यवस्था की गई है कि शहरों और गांवों के भेद को····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बराबर कर दिया जायगा। वितरण व्यवस्था में शहर और गांवों को एक कर दें। शहरों में हर बात का टैक्स बढाया है और हमेशा बढाया है। क्या गांवों में लैन्ड रेवेन्यू बढाई ? कभी नहीं बढाई। ग्रामीण पूंजीपतियों पर टैक्स नहीं लगाया गया है। आप शहरों में 2000 रु. कमाने वाले से कहते हैं इन्कम टैक्स देओ। आज हर एम. एल. ए. को इन्कम टैक्स देना पडता है। (कुछ माननीय सदस्यों के बीच में बोलने पर) "ये उचक कर बोलते हैं, इनको टैक्स से चिढ है" महाराजा गंगासिंह जी थे, वे जानते थे कि समाजवाद आयगा और समाजवाद आना चाहिये। अगर आपको समाजवादी समाज की व्यवस्था करनी है तो क्या है ? जमाने के माफिक बनो। सीलिंग आप शहरी जमीन पर कीजिये, कौन मना करता है कि शहरों में न करें।

देखिये आपको क्या मजा मिलता है ? आज गांवों में भी पूंजीपति रहते हैं, शहरों में भी हैं। लेकिन शहर में रहने वाले बहुत थोडे लोगों के पास पूंजी है। आज शहर का बच्चा इन पूंजीपतियों को अच्छी निगाह से नहीं देखता लेकिन आप इसके साथ साथ गांव के पूंजीपतियों पर भी हाथ डालिये····

एक माननीय सदस्य : गांवों में तो कहीं इक्का दुक्का है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : दोनों को साफ कीजिये।

श्री दौलतराम सारण : आप इस तरह से गांव और शहर में भिन्नता मत करिये नहीं तो गांव वाले अन्न पैदा करना छोड देंगे तो भूखों मर जाओगे। गांव और शहर का आप जो भेद खडा कर रहे हैं, वह राज्य के हित में नहीं होगा। आपको तो शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिये। शोषण

(श्री दौल..राम सारण)
चाहे गांव में हो, शहर में हो, हम सब आपका साथ देंगे ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : इसमें कोई भेद करने का सवाल नहीं है । बीसियों सदस्यों ने शहर वालों को गुण्डा कहा, चोर कहा । लेकिन शहर के लोग इस तरह की बातों को पी जाते हैं । उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि शहरों से जो तीस पैंतीस आदमी आते हैं उनकी आप इस तरह से अवहेलना करें । गांव के मजदूर हमारे भाई हैं । गांव के पूंजीपति हमारे दुश्मन, शहर के पूंजीपति हमारे दुश्मन हैं । बातें आती हैं तब गांव वालों की बढाई करते हैं । लेकिन क्या शहर वाले कम काम करते हैं ? वे भी रात दिन काम करते हैं । आज शहरों में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं, खाने के लिये अनाज नहीं······

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : शहर वाले महनत करना नहीं चाहते, पशु पालन वे नहीं कर सकते । गांव वाले न हों तो आपको भूखों मरना पड जाय ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : महाशय! आप इस भरोसे न रहें । आप जो यह घडी लगाये बैठे हैं वह गांव से नहीं बनती शहर वाले इसको बनाते हैं । मोटरें बनाने में, कपडा उत्पन्न करने में महनत करनी पडती है जितनी हल जोतने में करनी पडती है । पूंजीपति गांव में हैं, वे भी महनत नहीं करते । मैं ग्रामीण पूंजीवाद के प्रति सरकार को सतर्क करना चाहता हूं । पूंजीवाद शहर में नहीं गांवों में पनप रहा है । आज ज्यादा पूंजीपति गांवों में आबाद हैं उनको आप ठीक करिये, उनको समाजवाद के रास्ते पर लाइये ।

एक माननीय सदस्य : गांव वाले नाराज हो जायेंगे ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : अगर नाराज हो जायेंगे तो क्या? आज जो लंगोटी पहननेको मिल रही है वह शहर वालों के बलबूते पर । इसके बिना दिगम्बर रहना होगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गांव वाले अनाज पैदा न करें तो आपको भूखों मरना पडेगा ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह आपका भ्रम है । हम तो सरकार को यह कहते हैं कि शहर के चारों तरफ जो दस मील का एरिया है, उसमें हम अनाज पैदा कर सकते हैं । शहर में जो रोजाना 1 करोड गैलन पानी खराब जाता है उसको आप किसी तरह अन्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज के जरिये दस मील के एरिया के लिये दे दें तो हम गांव वालों से अनाज नहीं मांगेंगे । गांव वाले तो दिन में ही काम करते हैं लेकिन शहर वाले रात और दिन काम करते हैं । यदि शहर वाले काम करना छोड दें तो आपको जो यह चश्मा मिला हुआ है लगाने के लिये, वह नहीं मिलेगा आप अन्धे दिखने लगोगे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गांधीजी ने ग्राम स्वावलम्बन पर जोर दिया है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : जितने रुपये लोगों में बाकी हैं उसका ब्याज आप आज तक वसूल नहीं कर पाते हैं । केवल आप इस ब्याज को ही बराबर वसूल कर लें तो आपको यह घाटे की नौबत ही न आये । आपने इस घाटे को बताकर कांग्रेस को बदनाम किया है, उसकी बदनामी मिटवाईये । जिसके पास पैसा है, वह यदि हिसाब बराबर नहीं रखता

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

है तो वह दिवालिया कहलायेगा क्या ? आप इससे अक्ल ग्रहण करें। जितना रुपया आपके पास में है, मैंने अभी कागज सदन की मेज पर रखा है उसमें जितना पैसा बताया है उसको आप वसूल करेंगे यही मेरा इस बारे में निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह !
(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय कान्ताजी को दे दिया जाय।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं पुनः उन बातों पर चर्चा करना चाहती हूं जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो 1968-69 के बजट के आंकड़ों के अध्ययन करने से मेरे दिमाग में पैदा हुई हैं। मैं गत वर्ष चतुर्थ आम चुनाव में कोलायत निर्वाचन क्षेत्र की जनता द्वारा चुनकर यहां आयी थी। गत वर्ष से चल कर इस दिशा में अब तक मैं जहां तक पहुंची हूं मैं यह महसूस करती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की भावनाओं को क्रियात्मक रूप देकर कार्यान्वित करने के उद्देश्य को लेकर यहां आई थी उसमें विशेष प्रगति नहीं कर सकी। मैं निवेदन करना चाहती हूं मुझे बराबर यह महसूस करना पड़ता है कि जिस जनता ने जिस अविश्वास के साथ मुझे यहां भेजा था उस समय भी वह क्षेत्र अकाल पीड़ित था। आज भी उस क्षेत्र में अकाल है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकांश भाग देहाती है जिसमें ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं। और जो शहर का क्षेत्र है उसमें भी या तो अल्प आय वाले राजकीय सेवाओं में हैं या वो महनत कश लोग हैं जिनके लिये दो टाइम के लिये भोजन भी जुटा पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खनिज सम्पदा का अमूल्य भण्डार है जिस तरह पलाना की कोयला खान, कोलायत के आस पास पीली मिट्टी, लाइम स्टोन, व्हाइट क्ले वगैरह। कहा जाता है कि यहां पर सल्फर भी उपलब्ध है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अकालग्रस्त क्षेत्र होते हुए भी इस क्षेत्र के खनिज उत्पादन के लिये कोई उचित ध्यान नहीं दिया गया।

मैं निवेदन करना चाहती हूं पलाना की खान जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खान है जिस का संचालन खुद सरकार करती है अधिकारी वर्ग की गलत नीतियों की वजह से इसको तबाह कर रखा है व सरकार को इसमें करोडों का घाटा लग चुका है। यही हाल वहां के लघु ग्रामीण कुटीर उद्योग का है। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जब कि यह क्षेत्र अकालग्रस्त है। अकाल में राहत कार्य खोलने तो अलग सरकार जो वहां पर चार चार ट्यूब वैल बने हुए हैं उनको चलाने की भी कोशिश नहीं करती ताकि कुछ सिंचाई की व्यवस्था हो सके। सरकार न जाने क्यों इस क्षेत्र के प्रति उदासीनता का रुख रखती है। कोई अकाल राहत कार्य इस क्षेत्र में नहीं खोले गये। अकाल राहत कार्य के लिये एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें जिलाधीश महोदय से कहा गया कि

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)
पलाना के आस पास के क्षेत्र में अकाल राहत कार्य चालू हो लेकिन उसके बावजूद भी कार्य चालू नहीं हो सका। फेमीन के लिये इतना रुपया खर्च होता है लेकिन किन किन जगहों पर खर्च किया जाय इसका ध्यान नहीं रखा जाता। जहां ज्यादा आवश्यकता है यदि वहां खर्च न करके ऐसी जगह खर्च किया जाता है जहां आवश्यकता न हो इसको मैं न्यायसंगत नहीं समझती।

1952 से इस सदन में बजट हर साल पेश होते रहे हैं। उसको सदन अपनी अनुमति इस आशा और विश्वास के साथ हमेशा देता रहा है कि सरकार जहां एक ओर योजनाबद्ध तरीके से कानून और व्यवस्था बनाये रखने के साथ साथ अपने उन वादों को भी पूरा करती जायगी जिनके सफलतापूर्वक पूरे होने से आम जनता का जीवनस्तर ऊंचा उठ सकेगा और इस तरह के प्रगति के पथ पर चल कर समाजवादी समाज रचना का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। प्त आज तक हम यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये हैं। बल्कि उसे प्राप्त करने की सारी आशायें निराशा में परिणत हो चुकी हैं और बजट का ढांचा खोखला हो चुका है।

68-69 का बजट पेश करते वक्त माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान की मरूस्थलीय भूमि पर रहने वाली आम जनता का जीवनस्तर ऊंचा उठ सके व उनके चौमुखी विकास के लिये अच्छी वर्षा होना दुर्भाग्य नहीं है, तो क्या? राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से कुछ अधिक अनुदान की प्राप्ति की आज के प्रगतिशील विज्ञान के युग में आधार मानते ह तो यह इस प्रान्त का माननीय वित्त मंत्री का यह मत है कि हमारे प्रान्त की प्रगति सिर्फ तब हो सकती है जब अच्छी वर्षा हो व केन्द्र के अनुदान पर्याप्त मात्रा में मिलें लेकिन उन्होंने सैल्फ जनरेटिंग अर्थ-व्यवस्था को बनाने के लिये उसको जन्म देने की बात को असम्भव सा माना है।

आगे अपने 8 मार्च 68 के भाषण में वित्त मंत्री जी ने एक ज्योतिषी की तरह कहा कि मुझे आशा है वर्षा अच्छी होगी और वह मेरी आशा मेरी आशाओं से अधिक सही निकली जिसकी मैंने घोषणा की थी।

वर्षा अच्छी हो जावे और किसान अच्छा बीज खेतों में समय पर डाले तो कुदरती तौर से पैदावार बढेगी लेकिन इसका श्रेय तो किसान को ही दिया जा सकता है न कि सरकार को। सरकार ने अपनी ओर से पैदावार बढाने के लिये कौन सा सराहनीय कदम उठाया इसे बढाने के लिये। इसका कोई जिक्र बजट भाषण में नहीं है।

श्री **परसराम मदेरणा**: फोरकास्ट सही निकली।

श्री**मती कान्ता कथूरिया**: फोरकास्ट से सरकारें और सरकार की रीति-नीतियां नहीं चला करती। अगर फोरकास्ट सही नहीं निकलती, यदि वर्षा अच्छी नहीं होती तो क्या हालत होती उसका अन्दाजा लगाना कठिन नहीं है। इस तरह की वर्षा हर दशक में एक दो बार होती है। सरकार की तारीफ तो तब होती जब वह सेल्फ जनरेटिंग अपनी अर्थ व्यवस्था बना पाती ।

इसके साथ साथ माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कुछ खनिज पदार्थों की

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

उत्पत्ति का भी जिक्र किया है। बिजली की खपत भी बढी है नये मार्गों के निर्माण का भी जिक्र किया है। पर इस सारी प्रगति के ब्योरे के लिये जो करीब करीब पांच अरब रुपया खर्च हुआ है उसका एक साथ अध्ययन किया जावे तो कोई भी अर्थ शास्त्री इससे भिन्न मत नहीं रक्खेगा कि यह प्रगति न के बराबर है और जिस प्रगति के राई के पहाड़ को लेकर माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन को प्रभावित करने की कोशिश की है वह ना के बराबर नहीं तो सराहनीय भी नहीं कही जा सकेगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सन् 1952 में राजस्थान की इस विधान सभा का निर्माण हुआ था उस वक्त राजस्थान के कोष में करोड़ों की सम्पत्ति थी और आज 30 मार्च, 68 को खत्म होने वाले वर्ष में 492 करोड़ का ऋण राजस्थान पर है। यह मंत्री ने अपने खुद के भाषण में स्वीकार किया है। इसके पेटे उनका यह कहना है कि राजस्थान के पास 470 करोड़ और कुछ एग्जेक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, इसके आसपास के असेट्स भी उनके पास हैं। तब भी अन्दाज लगाया जा सकता है कि वित्तीय स्थिति हमारी क्या है ? आगे यह भी कहा है कि राजा महाराजाओं और देशी रियासतों के एकीकरण के समय जो अचल सम्पत्ति हमारे पास आई उसका मूल्यांकन नहीं किया। मूल्यांकन हो जावे तो देनदारी की रकम से कहीं अधिक रकम उनके पास होगी।

इससे दो प्रश्न पैदा होते हैं। एक तो यह कि सरकार के पास कौनसी ऐसी अमूल्य जायदाद है जिसको खरीदने के लिये इतना बड़ा लोन लेने की आवश्यका पढ़ी । दूसरा प्रश्न यह आता है कि अगर यह ऋण किसी विकास के कार्य में लगाया जाता तो उससे कोई अधिक आमदनी नहीं तो उस ऋण के पेटे जो ब्याज देना पड़ता है उतना तो उसकी आमदनी ही हो जाती। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका एक ठोस और उपयुक्त दलीलों द्वारा वित्त मंत्री जी को समाधान करना चाहिये। यह भी कहा है कि खनिज उत्पादन इन वर्षों में काफी बढा है और उसके लिये तथ्य बताये।

जहां तक मेरा खयाल है यह नीग्लीजीबल अमाउन्ट है और उत्पादन पर जो खर्चा हुआ उसके मुकाबले में कुछ नहीं है।

बजट के आंकडों का अध्ययन करने पर मालूम होता है कि राज्य सरकार जो ब्याज अपने लिये हुए ऋण पर देती है व उसके पेटे जो ऋण वह अपने डवलपमेन्ट वर्क्स में या दूसरे मदों में ऋण के रूप में देती है उसके पेटे उसकी ब्याज की क्या आय होती है। आंकडों को देखने से यह मालूम पड़ता है कि पिछले वर्ष 31-3-67 की ब्याज की रकम जो हमें चुकानी पड़ी थी वह करीब 15 करोड़ 45 लाख और 92 हजार 882 रुपये थी। यह रकम इस साल में जो 31-3-68 को खतम होगा 30 करोड़ 93 लाख 11 हजार हो गई है और 31-3-69 को बढकर 23 करोड़ 30 लाख 39 हजार हो जावेगी। इस प्रकार यह ब्याज की रकम हर साल बढती गई तो मैं यह महसूस करती हूं कि कुछ ही वर्षों में मूलधन तो दर किनारे रहा, हम ब्याज भी नहीं चुका पावेंगे।

इस बजट के मुताबिक सरकार को जो ब्याज की रकम उसके द्वारा लिये हुए ऋण पर चुकानी पड़ती है उसके मुकाबिले में सरकार द्वारा दिये हुए ऋणों के ब्याज के

Page No. 83

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

पेटे वसूल होती है वह देनदारी की इसी तरह कुछ और मुद्दे है जिनमें मैं महसूस करती हूं कि जो पैसा सरकार देती है और उसकी जो ब्याज की दर लगाई गई है उसकी वसूली होनी मुश्किल है। मूलधन वसूल होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उदाहरण के रूप में आप देखिये बजट का पेज नम्बर 28 पर मद नम्बर 14 जल प्रदाय योजना। उसके ब्याज खाते की आमदनी बताई है 66 लाख 61 हजार।

इसी पेज पर कृषि की ब्याज की आमदनी 12 लाख 50 हजार बताई है। इसी तरह से पेज 14 पर नगरपालिकाओं के ऋण से 20 हजार की आमदनी कूती गई है। इसी बजट के पेज 29 पर जिला तथा अन्य स्थानीय समितियों को दिये गये ऋण से 12 हजार के ब्याज की आमदनी बताई गई है। पेज 29 पर पंचायतों को दिये गये ऋण से 50 लाख की रकम ब्याज की एस्टीमेट की गई है। इस तरह से बजट के पेज 29 पर 14 के पांच सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो ऋण दिया गया है उसकी 30 हजार की ऋण के पेटे ब्याज की आमदनी अंकित की गई है।

तो ये जो विभिन्न सीगों में ऋण की आमद की रकम बताई गई है जिसे सरकार अपनी आय में बताती है यह क्या वसूल हो सकेगी? यह कभी वसूल होने वाली रकम नहीं है यह सपना सच्चा होने वाला नहीं है। इसमें लगाया हुआ मूल धन ही वसूल नहीं हो पायेगा।

कृषकों को दिये गये अग्रिम के पेटे जिसकी 60 हजार ब्याज की आमदनी अनुमानित की गई है सहकारी समितियों के ऋण पर चार लाख 36 हजार की आमदनी बताई गई है अन्य विविध ऋणों पर 4.37 लाख बताई गई है। कुल टोटल एक करोड़ 50 लाख यह ब्याज की आमदनी होती है। इस ब्याज की रकम की आय भी केवल कागजी है वास्तविक नहीं है।

पेज 29 पर विज्ञप्तियों के मद्दे 22 लाख की रकम ब्याज पेटे बताई गई। सड़क यातायात की 12 लाख पचास हजार बताई गई है जो भी 34 लाख 50 हजार की बनती है।

मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि इसका ब्याज ही नहीं मूलधन भी वापिस नहीं हो सकेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपने 15 मिनट का समय दिया है और यह समाप्त हो ही नहीं पायेगा। मैं थोड़े फैक्ट्स सदन के सामने रखना चाहती हूं इसलिये और थोड़ा समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह चेतावनी की घन्टी है।

श्री विजयसिंह : तैयार हो जाओ।

एक माननीय सदस्य : सावधान हो जाइये।

श्रीमती कांता कथूरिया : इसी तरह से कई और मद हैं। सिंचन, नौचालन वगैरह में भी 6 करोड़ की रकम बनती है जो कि सरकार को वसूल होनी मुश्किल है। इससे भलीभांति यह सबित हो जाता है कि सरकार जो खुद ब्याज देती है उसके बदले में जो आय होती है वह ना के बराबर है। इन ऋणों को लेकर जो सरकार ने कार्य किये इससे

(श्रीमती कान्ता कथूरिय)

साबित है कि ऋण लेकर सरकार ने सेल्फ जनरेटिंग अर्थव्यवस्था को बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। अगर सरकार ने यदि इस दिशा में कोई कदम उठाया है तो उसकी दिशा गलत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ऋण लेकर जो राजकीय सेवाओं का इतना बड़ा फैलाव किया गया उसको वेतन चुकाने के लिए किया जाता है या जो ऋण लिए गए हैं उसके वापिस चुकने के लिए। इस तरह न खतम होने वाले ये ऋण प्रणाली की श्रृंखला को उन्होंने अपने गले का हार बना लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो महंगाई भत्ते की बात कही गई है उसके सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 3.88 करोड़ रुपये का खर्च बताया है। अगर यह भाव नहीं बढ़ते यदि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनके भाव नहीं बढ़ते और अनाज के भाव नहीं बढ़ते तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। जब अनाज के भाव बढ़ते हैं और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के भाव बढ़ते हैं तो मैं इससे सहमत हूं कि जो राज्य सरकार के नौकर और कर्मचारी हैं उनकी मंहगाई भत्ते की या वेतन में वृद्धि की मांगें उचित हो जाती हैं और उनको करनी चाहिए लेकिन सरकार का फर्ज है कि वह इस ओर देखे कि भाव नहीं बढ़ सकें। न अनाज के भाव बढ़ें और न जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके भाव बढ़ें। इसलिए यह खर्च भी सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ा है और उसको सरकार को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय में निवेदन करना चाहूंगी कि 29 मई 1967 को जो माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें 1 करोड़ 50 लाख का सरप्लस बताया गया था जो अब 18 करोड़ के घाटे के बजट में परिणत हो गया है। इस घाटे का कुछ विश्लेषण माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में किया है जिसमें कुछ तो राजस्थान नहर में कम भूमि विक्रय का बताया गया। टैक्सों में छूट, अधिक महंगाई भत्ता, ऋण की कम अदायगी, एक्साइज ड्यूटी में गिरावट बताई है लेकिन यह रकम मिलकर 15 करोड़ 26 लाख की बनती है उसमें यदि सार्वजनिक ऋण जो कि पिछली बार 5 करोड़ का उठाया था उस में 90 लाख की कमी रही उसको भी यदि जोड़ दिया जाये तो यह रकम 16.16 करोड़ बनती है। यह फिगर फिर भी 18 करोड़ नहीं बनी। मुझे समझ में नहीं आया कि फिगर्स में इतना फर्क कैसे है। या तो हिसाब में गड़बड़ी है या फिर आंकड़ों में गलती है। इसका भी समाधान वित्त मंत्री महोदय खुद ही कर सकेंगे।

अध्ययन करने पर मालूम पड़ता है कि पेज नं. 28 जो 1967-68 का बजट पेश हुआ था उसमें ब्याज आय के मद नं. 10 में 9 करोड़ 43 लाख दिखाई है यह रकम **1968-69** के इसी मद के आय में 8 करोड़ 3 लाख 43 हजार बताई गई है। यह समझ में नहीं आता कि यह 1 करोड़ का फर्क कैसे है। पिछली बार उसी मद में जब 9 करोड़ दिया गया था और इस बार 8 करोड़ दिया गया है। यह 1 करोड़ का फर्क कैसे आया इसका भी समाधान माननीय वित्त मंत्री महोदय खुद ही करेंगे।

दूसरी बात यह बताई गई है कि यह बजट 188 करोड़ का डैफिसिट है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नगरपालिकाओं को जो 4 करोड़ 75 लाख रुपये बट्टे खाते लिख दिये हैं उसको जोड़ा नहीं है। अगर उसको जोड़ते तो यह 22 करोड़ 75 लाख बन

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)
जाते हैं तो वित्त मंत्रीजी से मैं चाहूंगी कि वित्त मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें कि यह डेफिसिट 18 करोड़ का है या म्युनिसिपैलिटी के जोड़ने के बाद 22 करोड़ 75 लाख बन जाता है।

1967-68 में योजना व्यय के सिलसिले में इस वर्ष 44.05 करोड़ की धनराशि योजना विकास में लगाने का प्रावधान था। इसमें 39 करोड़ केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलने की बात थी, 4 करोड़ लाइफ इन्शोरेन्स कारपोरेशन से और 1.50 लाख राज्य खजने से लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें सिर्फ 40 करोड़ ही खर्च किया गया। 39 करोड़ तो वह जो केन्द्रीय सरकार से मिला और 1 करोड़ लाइफ इन्शोरेन्स कारपोरेशन से मिला वह खर्च किया लेकिन 1.50 करोड जो राजस्थान सरकार को अपने यहां से लगाना था वह कहां गया। उसके अन्दर से एक टका भी नहीं खर्च किया। इतना पैसा लोन लेकर, इतना बड़ा कर्जा उठाकर एक रुपये की भी हैसियत नहीं कि सरकार अपने विकास कार्यों पर लगा सके। इसी तरह इस साल का जो बजट पेश हुआ है उसमें जो विकास कार्य का खर्चा है उसमें बताया है कि केन्द्रीय सरकार से 37 और कुछ ऋण मिलेगा और लाइफ इन्शोरेन्स कारपोरेशन से 2 करोड़ और जो लेवी केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल की जायेगी उसकी रकम 15 करोड़ इकट्ठी होगी उसका हिस्सा 75 लाख जो इस सरकार को मिलेगा यह रकम जो 40.08 बनती है वही विकास के कार्यों में लगाई जायेगी। इस साल इतना पैसा ऋण लेने के बाद सरकार की यह स्थिति नहीं कि अपने पास से कुछ विकास कार्यों में खर्च कर सकें। पिछली बार राज्य सरकार ने अपना हिस्सा 1.50 करोड़ का रखा था हांलाकि खर्च नहीं हुआ इसलिये बजट में खुद की आय में से कुछ भी प्रावधान नहीं रखा इससे ऐसा लगता है कि 130 करोड़ का बजट सरकार ने सिर्फ अपने कर्मचारियों को वेतन चुकाने में और जो ऋण लिया हुआ है उसके भुगतान को मेन्टेन करने के लिए खर्च कर दिया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आप इजाजत दें तो मैं कन्टीन्यू करूं?

श्री उपाध्यक्ष: समय का अभाव है। बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है इसलिए और किसी अवसर पर बोल लें।

श्रीमती कान्ता कथूरिया: कटशार्ट करके 5 मिनट में समाप्त कर देती हूं। वैसे तो जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं वह अपने अपने इलाके की बातें रखते हैं लेकिन बजट के आंकड़ों पर कम ही सदस्यों ने ध्यान दिलाया है। बजट में गलतियां हैं उनको पाइन्ट आउट करना चाहिए था इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर वित्त मंत्री जी का ध्यान नहीं गया तो सुधार नहीं हो पायेगा इस नीयत से मैंने कहा है। 5 मिनट ही केवल और दे दिये जायें।

अब इतना निवेदन करना चाहूंगी कि सत्य या असत्य की साफ या धुंधली तस्वीर सामने आ गई है तो वित्त मंत्रीजी को यह बात स्वीकार करना जरूरी है जो खर्चा ऋण लेकर आज तक हुआ वह सेल्फ जनरेटिंग अर्थव्यवस्था बनाने के कार्य में नहीं हुआ? बल्कि फैलाई हुई सर्विसेज के वेतन चुकाने में ज्यादा हुआ। दूसरा जनता की बेरोजगारी

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

दुर्भिक्ष समस्याओं का हल करने की योजनाएँ बना कर उनके कार्यान्वित करने के बजाय जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उसका हमारे लक्ष्य व राजनैतिक दृष्टिकोण से परे का सम्बन्ध है। तीसरी बात वित्त मंत्रीजी को यह मन्जूर करना चाहिए वह यह है ऋण के रूप में लिया गया रुपया सिर्फ वेतन चुकाने के लिए या एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण लिया जाता रहा है और इस तरह से हमारा राज्य निन्नानवे के फेर में पड़ गया है यह सही तथ्य हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य चलाने वाली पार्टी की सदस्या होने के बावजूद भी मुझे कटु सत्य व कटु तथ्य इस सदन के सामने रखने पड़े हैं क्योंकि मेरा उत्तरदायित्व जो कि मेरी क्षेत्र की जनता के प्रति इस सदन में बैठने की वजह से है पार्टी के उत्तरदायित्व से कहीं ज्यादा है।

अब मैं आगामी वर्ष की राजस्व आय और व्यय क बारे में कहना चाहती हूँ। बजट में 127.08 करोड़ के आंकड़े राजस्व आय के बताये गये हैं और 141.87 करोड़ का राजस्व व्यय का ब्यौरा बताया गया है। इस तरह से 14.09 करोड़ अधिक रकम इस बजट में बताया गया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय वित्त मंत्री के esteemed कमाण्ड में जो स्टाफ काम करता है वह माननीय मंत्री को सही आंकड़े पेश नहीं करता है। मैंने जब बजट का अध्ययन किया तो यह पाया कि हमेशा राजस्व आय के जो आंकड़ें बताये गये हैं उससे एक्चुअल आय कम हुई है और राजस्व व्यय के आंकड़ों से actual व्यय कहीं अधिक हुआ है। इतना बड़ा धोखा राज्य सरकार के कर्मचारी देकर सरकार के सम्मुख आंकड़े पेश करते हैं जिससे गलत खर्चा निरंतर बढ़ता जा रहा है और यह खर्चा एक दिन यह स्थिति ले आयेगा कि सरकार की उस सेठ की सी हालत हो जायगी जिसको दिवालिया घोषित किया जाय। तो वो तवे और कढ़ाइयां बेच कर (विपक्ष की ओर से करतलध्वनि) वैसे अपनी साहूकारी का सबूत दे सकता है उसी तरह सरकार के पास जो रियासतों की अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन करा कर तो सरकार अपनी साहूकारी साबित कर सकने की स्थिति में हो जायगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह एक कटु सत्य है जिसको सरकार को देखना चाहिए और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

वित्त मंत्री महोदय ने 2 करोड़ 75 लाख अल्पबचत योजना, स्माल सेविंग से होना बताया है। इसके साथ-साथ पंचायत समितियों को ऋण के रूप में जो रुपया दिया गया है उसकी वसूली की भी बात कही है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि लोकतन्त्र में विकेन्द्रीकरण की यह संस्थाएं फेल हो चुकी हैं, उन्होंने भी सरकार के नक्शा-ए-कदम पर चल कर अपनी सेल्फ जेनेरेटिंग अर्थ-व्यवस्था बनाने की कार्यवाही नहीं की, बल्कि जो सरकार ने पैसा दिया वह पंचायत समितियों के स्टाफ के वेतन पर खर्च कर दिया या राजनैतिक खेत में बांटने में कर दिया है··

श्री **रामकिशन** : बिल्कुल ठीक कह रही हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : जिन नये संगठनों को आप जन्म देने की बात कह रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहती हूं एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, या इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन या हाउसिंग बोर्ड,

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

जिनको जन्म दिया जा रहा है, मैं सोचती हूं कि यह जो राजनीति में हार चुके हैं वे हमारे सरदर्द न बन जायं, उनको खपाने के लिए बनाये गये हैं।

एक माननीय सदस्य : वैल सेड।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : जब कि सरकार के पास गांवों में कोआपरेटिव बैंक हैं और शहरों में कार्मशियल बैंक हैं और हाउसिंग बोर्ड के लिए ऋण देने की सरकार की प्रणाली है तो इन संस्थाओं के बनाने की क्या जरूरत है? माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कृषि व कृषि पर based उद्योगों के बारे में जिक्र किया है। नये उद्योगों को कुछ सहूलियतें देने की घोषणा भी की है। लेकिन जिला स्तर पर न लेने वाले दूसरी उद्योग या शहरी विकास के बारे में जिक्र नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, शहरों के विकास के सिलसिले में निवेदन है मुझे मालूम नहीं है कि दूसरे शहरों में क्या प्रगति हुई है, लेकिन बीकानेर नगर विन्यास की एक बिल्डिंग बनी हैं जिसमें लाखों रुपया खर्च हुआ है

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

एक माननीय सदस्य : मतलब की बात है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैं निवेदन करूंगी कि बीकानेर नगर विन्यास ने उस बिल्डिंग पर लाखों रुपया खर्च किया है जो कि जमीन के बेचने से आया है। स्कीमों पर नहीं लगाने के बजाय यह खर्च उस बिल्डिंग पर हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना ही तेज बोलें और जल्दी बोलेंगी तो भी अपनी पूरी बात नहीं कह सकती हैं। आप और किसी समय कहें।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : एक ही पाइंट है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! मैं निवेदन करूंगा कि समय 15 मिनट का समाप्त हुआ कि माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर दिया जायगा कि वह भाषण समाप्त करें क्योंकि बारबार मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय सदस्य को चेतावनी देने के पश्चात् मैं यह नहीं चाहता कि उनके भाषण को बीच में ही समाप्त किया जाय। चेतावनी दे दी जाती है ताकि भाषण को समाप्त करें, लेकिन माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग नहीं रहा। माननीय श्री हंसराज।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के 68-69 के बजट पर तीन-चार रोज से वाद-विवाद चल रहा है। मैंने इस बजट को पढ़ा है और मैं सिर्फ एक ही बात निवेदन करूंगा कि हम जो वर्षों से यह नारा लगा रहे थे कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं। यह नारा था, लेकिन कार्य रूप में परिणित नहीं किया है।

पिछली बार हमारी सरकार ने और खास तौर से वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि हम राजस्थान में छोटी जोतों के किसानों से, जो अलाभकारी जोत हैं उनकी भूमि पर लगान माफ करेंगे। एलान तो हुआ, लेकिन वह लगान माफ न करके किसानों से वसूल कर लिया गया, और अभी माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपना बजट भाषण पढ़ा, उसके पैरा 85 में यह कहा कि जिन छोटी जोतों पर लगान सरकार ने पिछली बार माफ किया था वो आयन्दा माफ नहीं करेंगे और वसूली करते जायेंगे। यह समाजवाद की ओर जो कदम बढ़ाने जा रहे थे उससे हम वापिस हटे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री हंसराज आर्य)

न केवल यह बजट बल्कि आज से पूर्व जितने भी बजट आते रहे हैं उनको यदि मैं किसान विरोधी न कहूं तो भी कम से कम किसान का समर्थक तो नहीं कह सकता। बजट में कोई ऐसी बात नजर आती नहीं। और न आज तक कहीं किसान को राहत पहुंचाने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है। आज सरकार इस बात के लिए चिन्तित है कि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है। यह सही है कि प्रकृति के प्रकोप भी है, लेकिन अनाज की कमी में हमारी सरकार की गलत नीति भी शामिल है। आज राजस्थान में

(11.45 म. पू.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री पदासीन)

कई लाख एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, आज से नहीं वर्षों से बेकार पड़ी है, लेकिन जमीन को सरकार कम जमीन वालों को या भूमिहीनों को आज तक नहीं दे सकी है। यदि वह जमीन भूमिहीनों को या कमी पूर्ति के लिए दे दी जाती तो न केवल लाखों मण बल्कि करोड़ों मण अनाज और पैदा होता, और हमारे देश की अनाज की समस्या हल हो जाती। एक और किसान परेशान है इस बात के लिए कि उसे काश्त के लिए भूमि मिले और दूसरी ओर भूमि बेकार पड़ी हुई है। सरकार यह चाहती है कि किसान अधिक से अधिक अन्न पैदा करे, और किसान भी यह चाहता है कि मैं अनाज पैदा करूं, उसके खुद का भी हित है इसमें। लेकिन किसान के पास उतनी भूमि नहीं है जितनी कि वह इच्छा रखता है। आज किसान से अन्न तो ज्यादा पैदा कराना चाहते हैं लेकिन किसान की समस्याओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। भूमि की समस्या है, पानी की समस्या जो कि सरकार नहीं सोचती है। पानी की कमी है, खाद की कमी है, बीज की कमी है, उसको दूर करना तो दूर रहा उसकी भूमि पर टैक्स और बढ़ा, पानी पर टैक्स और बढ़ा, ट्रैक्टर पर टैक्स और बढ़ा, खाद और अधिक मंहगा कर दिया गया। ये सारी बातें होती जायं फिर भी सरकार यह चाहे कि किसान अधिक अन्न पैदा करे, यह सम्भव नहीं है।

इसके साथ ही, चेयरमेन महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि अभी एक माननीय सदस्य निवेदन कर रहे थे कि गांवों में पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। गांवों का पूंजीपति से क्या वास्ता? यह तो एक निरर्थक सी बात थी। गांवों की समस्याएं जो आज से 20 साल पहले थीं वे ज्यों की त्यों आज भी है। उनमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। आज से 20 साल पहले भी अकाल पड़ता था। किसान अपने घर को बन्द करके, अपने मवेशियों को टोह करके, अपने बच्चों को कन्धों पर बिठाकर, सैंकड़ों मील दूर जाकर अपने दिन गुजारता था, और आज 20 साल के बाद भी वही स्थिति है। फिर भी अकाल पड़ते हैं तो किसान को अपना घर बन्द करना पड़ता है, अपनी मवेशियों को आज भी टोहना पड़ता है, उसको बच्चों को कन्धों पर बिठाकर आज भी चलना पड़ता है और 5-6 महीनों तक सैंकड़ों मील दूर कहीं पर बैठकर अपने मवेशियों को वापस लेकर लौटना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार किसानों को राहत पहुंचाए, उसकी भूमि का लगान माफ करें उसके बजाय ज्यादातर यह होता है कि किसानों के आने का इन्तजार करते हैं कि किसान कब वापस लौटे, कब उसके

(श्री हंसराज आर्य)

मवेशी आयें और कब उनको कुर्क किया जाय और सरकार का लगान वसूल किया जाय। जब जनता ज्यादा शोरशराबा मचाती है तो आश्वासन मिलता है कि अकाल राहत के कामों से किसानों को राहत देते हैं। पूछने पर उत्तर मिलता है कि किसानों को तकावी दी जा रही है और जब किसान बाहर जाता है तो जगह जगह पर नाज और चारे के डिपो खोले जाते हैं ताकि उसको सस्ता नाज और चारा मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान एक कैम्प से दूसरे कैम्प जो कि 20-25 मील के फासले पर होता है उसके मवेशी आगे चलते हैं और वह अपने बच्चों को कन्धों पर बिठाकर सुबह से शाम तक चलकर 20 मील तय कर वहां पहुंचता है तो उसको 5 सेर चारा मिलेगा उसके मवेशियों के लिए। इसको सरकार समझती है कि बहुत बड़ी राहत पहुंचाई।

वित्त मंत्रीजी आज आये नहीं हैं, यहां होते तो मैं उनसे पूछना चाहता था कि एक दिन आप महरबानी करके उस किसान के साथ चलिये जो एक कैम्प से दूसरे कैम्प पहुंचता है और वापिस लौटता है तो उस पर क्या क्या गुजरती है इसका आपको मालूम हो जाये। और सरकार दुहाई देती है कि हमने किसान को राहत पहुंचाई है। क्या राहत पहुंचाई है? तकावी दी है। लेकिन कितनी तकावी? केवल 50 रुपया या 60 रुपया या 100 रुपया प्रति परिवार। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदया, यदि कोई किसान 100 बीघा जमीन की भी काश्त करता है और 100 बीघा जमीन पर यदि आप एक किलो प्रति बीघा के हिसाब से भी बीज दें तो ढाई मण बीज होता है और उसकी कम से कम कीमत 75 रुपये होती है। और सरकार ने तकावी 50 रुपये दी है जब कि केवल बीज के लिये ही कम से कम 75 रुपये चाहिये। मवेशी के लिये चारा अगर आप देखें तो उसका भी 100 रुपया बनता है। पेट में खाने के लिये 100 रुपया कम से कम और चाहिये। इस प्रकार कम से कम 300 रुपये हों तब जाकर वह किसान एक महीने तक हल चला सकता है जब कि आपने केवल 50 रुपये दिये हैं, और उसके बैल और ऊंट बेकार में भूखे मरते हैं और उसके ऊपर कुर्की आती है कि तुम्हारे अन्दर इतना लगान बाकी है और सरकार कहती है कि हमने नीति बनाई है कि तीन अकाल लगातार पड जाये तो एक साल का लगान माफ कर देंगे।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप किसान की भूमि का सारा लगान भी माफ करदें तब भी किसान घाटे में रहेगा। उसकी भूमि में पडने वाला सारा बीज आप मुफ्त दे दें तो भी खेती करने वाला किसान घाटे में ही रहेगा यदि उसके जमीन के लिये सारा पानी भी आप मुफ्त में दे दें तो भी वह किसान घाटे में ही रहेगा, और वह इसलिये घाटे में रहेगा कि दस महीने तक उसने खून पसीना एक करके काम किया और परिश्रम किया, लेकिन बाद में एक हवा का झोंका आया तो उसकी सारी खेती नष्ट हो गयी या ओला वृष्टि हो गई तो उसकी सारी फसल का नाश हो गया? कभी सूखा पड गया तो उसकी सारी खेती बेकार हो गई।

किसान का काम ऐसा है कि वह सुबह से शाम तक काम करे तो उसको कुछ नहीं

(श्री हंसराज आर्य)

मिले। एक महीनें तक काम किया, कुछ नहीं मिला मजदूर काम करता है तो शाम को मजदूरी मिल जाती है। एक कर्मचारी को महीनें के बाद उसकी महीने की तनख्वाह मिल जाती है, एक व्यापारी को सुबह से शाम तक अपनी कमाई मिल जाती है, लेकिन किसान को ऐसा कुछ नहीं मिलता। और वह काम भी कैसा करता है? किसान को नंगे आसमान के नीचे, जहां प्रकृति से बचने का कोई उपाय नहीं हो, उसको गर्म पानी पीना पडता है, उसको खाने के साथ मिट्टी खानी पडती है, उस किसान के साथ हमारा यह व्यवहार है। किसान के प्रति सरकार की नीति है जो आज से 20 साल पहिले थी। अकाल काल में लगान माफ नहीं करते और जहां राहत कार्य चलने चाहिये वहां चलाते नहीं है यह हमारी सरकार की आज भी नीति है। हमारे जो बजट के बनाने वाले है उनको यह नहीं मालूम कि किसान पर क्या गुजरती है, जैसे कहते हैं:

जाके फाटी कभी न बिवाई,
वह क्या जाने पीर पराई

जिसको कभी मां बनने का मौका ही नही मिला उसको क्या मालूम कि प्रसूति की पीडा क्या होती है। जिसने कभी किसान का काम ही नहीं किया उसको क्या मालूम कि किसान पर क्या गुजरती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के साथ आज भी वही व्यवहार हो रहा है जो आज से बीस साल पहले सामन्ती युग में हो रहा था।

बीस साल की आजादी के बाद भी सभापति महोदया, दूसरी बातें तो दूर रहीं हम किसान को और गांव में रहने वाले आदमी को पीने का पानी तक भी उपलब्ध नहीं करा सके हैं। हम दुहाई देते है कि गंग नहर चल रही है, राजस्थान कैनाल चल रही है, भाखरा चल रही है। चल रही होंगी, लेकिन आज इन नहरों की क्या स्थिति है यह किसी से छुपी हुई नहीं है। कहने को गंगानगर के लिये वह डींग मारी जाती है कि वहां सब कुछ सोना है जैसे लंका के लिये कहा करते थे, लेकिन आज आप वहां के किसान से जाकर पूछिये कि उसका क्या हाल है। लाखों कड भूमि पर जहां किसानों ने खेती की थी, वहां पानी के अभाव में वे लोग तबाह हो गये और सरकार कुछ न कर पाई। भाखरा का पानी हरियाना और पंजाब की सरकार उपयोग में लेती रही हैं, लेकिन राजस्थान के किसान को उसका पानी नहीं मिला। बार बार इसके लिये निवेदन किया गया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।

किसान को अच्छा हल नहीं मिले, जमीन के लिये पानी नहीं मिले, जमीन का लगान माफ नहीं होवे, यहां तक कि पीने का पानी तक उसको नहीं मिले, और फिर सरकार कहे कि किसान अधिक अन्न उपजावें, तो यह कैसे हो सकता है।

मैं सरकार से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि····

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

हमारी जो नहरें हैं उन नहरों की मरम्मत नहीं होती। पहले तो पानी आता नहीं, और कभी आता है तो वह टूट कर बह जाता है, क्योंकि मरम्मत नहीं होती। चेयरमैन महोदया, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि

(श्री हंसराज आर्य)

7 मार्च सन् 1968 को हमारे राजस्व मन्त्री हमारे साथ थे। एक नहर पर मरम्मत हो रही थी। हमने उनको बताया कि पहले भी यहां मरम्मत हुई थी, मिट्टी के खड्डे बनाकर मरम्मत की गई, यानी मिट्टी नहीं पडी इसलिये नहर का पानी पुराने खड्डों को छील कर सारा का सारा पानी बह गया इस तरह से लाखों रुपयों के झूठे तखमीनें बना कर खर्च किये जाते हैं। पैसा खर्च होता है लेकिन उसका दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक म और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो वर्तमान मुख्य मन्त्री हैं, वे जब राजस्व मन्त्री थे तो उन्होंने ऐलान किया था, और वे आज भी ऐलान करते हैं, कि हमारे राजस्थान में जो बेगार ली जाती थी हम उसको बन्द कर देंगे। 1954 से लेकर के 1968 आ गया लेकिन आज तक बेगार बन्द नहीं हुई। आज भी गांवों में बेगार ली जाती है। और दुहाई यह देते हैं कि हमने उनको जमीन दे दी। यह बिल्कुल गलत है। आज भी उनको कोई जमीन पर खातेदारी राइट्स नहीं दिये हैं। जिस समय यह भूमि खिदमतगारों को दी गई थी, उस समय यह कहा गया था कि जब तक यह भूमि उनके पास है तब तक लगान माफ रहेगा। आज उनसे कहा जाता है कि या तो भूमि को छीन लो या बेगार दो। वे लोग लगान देने को भी तैयार हैं लेकिन उनको खातेदारी राइट्स मिलने चाहिये और उनसे लगान लेना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री जी : श्री विजय सिंह रावत।

श्री **बिजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : सभापति महोदया, बजट पर सक्रिय वाद-विवाद पर जो अभी तक माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये, उसके आधार पर और बजट को जैसे मैंने स्टेडी किया है, उसके आधार पर यह तो सिद्ध हो गया कि यह बजट एक बेकार बजट है, किसान विरोधी बजट है।

सभापति महोदया, इस बजट को पढने के बाद मैं इस स्टेज पर पहुंचा...

एक माननीय सदस्या : किस स्टेज पर पहुंचे ?

श्री **विजय सिंह रावत** : मैं इस स्टेज पर पहुंचा कि जैसा कहा जाता है कि जिस देश में आर्थिक स्थिति खराब हो या अर्थ शास्त्र की नीतियों से सुधार नहीं हो रहा हो, तो वहां कृषि को प्राथमिकता दी जाये।

(12 मध्यान्ह)

लेकिन इस बजट को पढने के बाद यह बात निराशा में प्रकट हुई कि आज इस बजट में कृषि विकास के लिये या कृषि के लिये केवल 5 करोड रुपये रखे गये हैं और सिंचाई के लिये और पानी के लिये मिलाकर 21 करोड रुपये रखे गये हैं। सभानेत्री महोदया, अफसोस तो इस बात का है कि भारत देश से जितना माल विदेशों को निर्यात होता है उसका 65 प्रतिशत माल किसानों के पास से जाता है और बचा हुआ 35 प्रतिशत अन्य वस्तुऐं जाती हैं। आज कृषि उत्पादन इतनी महत्व की चीज होने पर भी इसके विकास के लये केवल 5 करोड रुपये रखे गये हैं! क्या 5 करोड रुपयों कृषि का विकास हो पायेगा ? ये जो साधन जुटाये गये हैं उनसे सिद्ध होता है कि राजस्थान

(श्री विजयसिंह रावत)

सरकार इस बात को नहीं सोचती है कि अगले 5 वर्षों में प्रान्त की हालत कहां पर जाकर ठहरेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 5 करोड रुपये कृषि के लिये रखे गये और सामान्य प्रशासन के लिये 62.0 लाख रुपये रखे गये हैं। यदि मितव्ययता करना चाहते तो 14-15 लाख रुपयों की मितव्ययता इस मद में हो सकती थी लेकिन आप मितव्ययता नहीं करना चाहते। विकास के लिये आपने खर्चा कम किया है और नॉन-डवलपमेन्ट कार्यों के लिये खर्चा अधिक किया है। इससे सिद्ध होता है कि यह बजट भुक्कड बजट है। प्रान्त की अर्थ नीति एग्रीकल्चर को नीचे गिराने वाली है।

मैं इसके साथ आंकडे देता हूं। खाद्यान्न के मामले में लगातार डिमिनिशिंग का तरीका अपनाया है। आंकडे नीचे उतर गये हैं इससे सिद्ध होता है कि खाद्यान्न की उन्नति के लिये विषेष ध्यान नहीं दिया गया है। सभानेत्री महोदया, यदि यह सरकार उत्तर में दलील दे कि वर्षा नहीं होने के कारण खाद्यान्न कम पैदा हुए हैं, अन्न का उत्पादन कम हुआ है तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस साल में वर्षा अच्छी हुई उस साल दालों में कमी क्यों हुई? सन् 61 के भावों को आधार 100 माना जाय तो दालें सन् 60 व 61 में 152.09 के भाव पर थी और आज 99.90 है। इस आधार पर सातों दालों की पैदावार भाव पर थी और आज 99.90 है। आज 50 प्रतिशत कम हो गई है। इसके अतिरिक्त।

श्री प्रद्युम्नसिंह: ये किस साल के आंकडे हैं?

श्री विजयसिंह रावत: 1961 में 152.09 था और अब 99.90 है....

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह कौनसे साल का है?

श्री विजयसिंह रावत: सन् 66-67 का। आज बजट में यह घोषणा की गई है कि कोई नया कर नहीं लगाया जायगा। लेकिन यदि हम गौर से देखें पिछले सालों में जो टैक्स लगाये गये हैं डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट टैक्स ये इतने अधिक लगे हुए हैं कि पहले से ही राजस्थान की गरीब जनता उनको वहन करने लायक नहीं है। सरकार ने बजट अपनाया है पर केपिटा टैक्स रेवेन्यू के आधार पर। पर केपिटा टैक्स रेवेन्यू मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो है उसके आंकडे इस प्रकार हैं: 2.64 बिहार में भू-राजस्व प्रति व्यक्ति 4 पैसे लिये जाते हैं जब कि राजस्थान में 4 रुपये 29 पैसे लिये जाते हैं। केन्द्रीय कर और वसूली योग्य धन उसमें अपनी सरकार सबसे ज्यादा कर देती है। आन्ध्र प्रदेश के आंकडे 8.89 रुपये, मध्य प्रदेश में 8.60 रुपये, केरल में 9.60 रु० महाराष्ट्र में 11.73 और मैसूर में 8.58 रु. है जब कि राजस्थान में 9 रुपये 35 पैसे है।

श्री प्रद्युम्नसिंह: यह क्या चीज है?

श्री विजयसिंह रावत: यह शेयर इन सेन्ट्रल टैक्सेज एंड ड्यूटीज है। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स बिहार में 2 रु. 64 पैसे है

(श्री विजयसिंह रावत)
मध्य प्रदेश में 2 रु. 20 पैसे, महाराष्ट्र में 2.08 रु. और राजस्थान में 2.29 रुपये प्रति व्यक्ति देने पडते हैं। सब को साथ मिलाया जाय तो रेवेन्यू टैक्स प्रति व्यक्ति आन्ध्र में 27.53 रुपये, बिहार में 21 रु. 40 पैसे, मध्य प्रदेश में 27 रु. 91 पैसे और राजस्थान में 32 रु. 41 पैसे हैं जब कि उत्तर प्रदेश में 22 रु. 11 पैसे है केवल।

अब इसके साथ आप व्यापारी चीजों पर टैक्स लिया जाता है उस पर आयेंगे तो इसमें राजस्थान के हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा देना पडता है। राजस्थान तीसरे चौथे नंबर पर है। जो इतना डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट टैक्स बर्दाश्त करते हैं उनको देखें तो यह बहुत ज्यादा है और राजस्थान के लोगों पर और टैक्स लगाने की गुंजायश नहीं है। वित्त मंत्रीजी बजट में ऐसी हालत में कर कैसे लगा सकते थे ....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं लगाये हैं।

श्री खेतसिंह : आपतो इस परेशानी में मत फंसो। नसीराबाद की बात कह दो।

श्री विजयसिंह रावत : सभानेत्री महोदया, सारे आंकडे देखने से यह पता चलता है कि राजस्थान का बजट किस प्रकार बनाया गया है और किसको बेस बनाया है इस विवाद में नहीं पड कर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज कोई सरकार चलती है तो उसकी अर्थ नीति स्पष्ट होनी चाहिये। जो सरकार अपनी अर्थ नीति का निर्धारण अर्थ शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं करती वह सरकार आगे चल कर डेफिनिटली गिरती है, यह अर्थ शास्त्र का उसूल है। जितना मुझे इस बारे में ज्ञान है उसके अनुसार कह सकता हूं कि इस प्रकार के बजट में पिछले 20 साल के आंकडे दिये हैं उनको देखने से और राजस्थान की इकोनोमिक सरवे की रिपोर्ट को पढने से मालूम होता है कि राजस्थान सरकार विपरीत रास्ते पर चल रही है ....

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप तो अपने सुझाव बता दीजिये।

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदया, अर्थ नीति के बारे में मैं कह रहा था उसके लिये मेरे सुझाव ये हैं। अर्थ नीति हर वक्त किसी प्रदेश में कृषि पर पहले आती है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जैसे जैसे डिमिनिशिंग रिटर्न आता जायगा वैसे वैसे औद्योगिक क्षेत्र में भी स्वाभाविक तौर से गिरावट आती जायगी और इसका असर स्वाभाविक तौर से कन्ज्यूमर्स पर भी पडेगा। उत्पादक और कन्ज्यूमर्स पर सारा भार पडता है। और इस आधार पर देखा जाय तो आज यह बात कही जाती है कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा और आज सदन में बात आई है कि व्यापारियों को चना निर्यात करने का परमिट दे दिया जाय या अन्य माल का निर्यात खोल दिया जाय, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। जो सरकार एक बार पोलिसी निर्धारित करती है उसी पॉलिसी को यकायक बदलती है तो अर्थ शास्त्र के अनुसार यह ठीक नहीं है। अर्थ शास्त्र के अनुसार यह चीज बैलेन्स करने के बाद करते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री और राजस्थान सरकार निर्यात खोलने से पहले इस स्थिति को समझ लें कि आगे जाकर ये भाव कहां जाकर स्थिर

(श्री विजयसिंह रावत)

होंगे। भाव चढते और गिरते रहते हैं। अर्थ शास्त्र में इसका कोई महत्व नहीं है। व्यापारी भावों को कहां टिकने देंगे ? व्यापारी भावों को तीन महीनों में वापिस चढा सकते हैं। अगर आपने निर्यात के परमिट दे दिये· ·

श्री परसराम मदेरणा : कौनसा परमिट ? अर्थ शास्त्र में भावों का महत्व नहीं होता तो फिर अर्थ शास्त्र में होता क्या है ? आप अपने ही कथन का कन्ट्राडिक्शन कर र हे हैं।

श्री **विजयसिंह रावत** : मैं भावों की नहीं कह रहा हूं।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : वह अर्थ शास्त्र दूसरा है।

श्री **खेतसिंह** : आप सुनाये जाइये।

श्री **विजयसिंह रावत** : इकॉनामी पर जाकर उसका असर स्वाभाविक रूप से पडेगा। मैं भावों के लिये नहीं कह रहा हूं, भावों के लिये· · ·

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : आप कहे जाइये।

श्री **विजयसिंह रावत** : मैं कह रहा हूं कि आज जो किसान हैं, वह इस बात से परेशान हैं कि भाव कमती हो गये हैं। यह परेशानी आज स्वाभाविक रूप से फील की जा रही है। लेकिन इस वक्त आपने पॉलिसी चैंज की तो स्वाभाविक है कि इकॉनामी पर असर पड सकता है. . . .

श्री **प्रद्युम्नसिंह**: आप सोल्जर हैं, आप इकॉनामी के चक्कर में क्यों पडते हैं ?

श्री **परसराम मदेरणा**: मैं निवेदन करूंगा· ·

श्री **प्रद्युम्नसिंह**: आप तो सोल्ज़र रहे हैं, कई सालों तक सोल्जर रहे हैं, उस बारे में कहिये।

श्री **परसराम मदेरणा**: अभी क्या पालिसी है, उसको चेंज करने से राजस्थान की अर्थ व्यवस्था, पूरी अर्थ व्यवस्था खास तौर से अन्न की अर्थ व्यवस्था के ऊपर असर क्या पडेगा और उस पर आपके क्या सुझाव हैं ?

श्री **दुर्गालाल बाढदार** : मंत्री महोदय, बोलने दीजिये। समयाभाव है।

श्री **विजय सिंह रावत**: आपने कहा, उसके लिए मुझे समय दें तो मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिये तैयार हूं।

श्री **दुर्गालाल बाढदार**: आप इस चक्कर में क्यों पड रहे हैं ?

श्री **परसराम मदेरणा**: आप इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट को एनलाइटन कर दीजिये।

श्री **दुर्गालाल बाढदार**: आप बोलने दीजिये।

श्री **विजयसिंह रावत**: आप इकॉनामिक्स के स्टूडेण्ट रहे हैं, इसलिए आपको इसमें इन्ट्रैस्ट है, इसमें रुचि है, फिर भी मुझे अधिक समय नहीं देंगे इसलिए में इस विषय में नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं अभी जरूरी बातें कहना चाहता हूं।

श्री **परसराम मदेरणा**: अपन बाद में बात कर लेंगे।

श्री **खेतसिंह**: आप तो बन्दूक की बात करिये। और बातों को छोडिये।

श्री **विजयसिंह रावत** : यह बजट बनाया गया है, इसमें चौदह करोड का घाटा बताया गया है राजस्थान सरकार द्वारा । जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है, कि जनहित के लिए, कल्याण के लिए, राज्य के कर्मचारियों के लिए और राजस्थान की जनता के लिए यह हितकारी बजट है और इस बजट के अन्दर यह 14 करोड रुपये का घाटा है, अगर इन लोगों को घाटा नहीं बता कर सरप्लस बताना होता, बजट को लाभ के अन्दर सिद्ध करना होता तो यह कर सकते थे। सभानेत्री जी, राजस्थान के अन्दर जो बकाया रकम है, वह 21 करोड 88 लाख है । यह जो बकाया है, यह माइनिंग ठेकेदारों और अन्य ठेकेदारों में है । लेकिन सरकार उसकी वसूली करने के अन्दर, उसको उगाहने के अन्दर असमर्थ है । वह उसको उगाह नहीं सकती है । आज की सरकार केवल एक चीज में समर्थ है, और वह चीज है सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कर्जा ले एडवान्स ले और बैलेन्स करें इस बजट को, और यह राजस्थान सरकार यह एलान करे कि जनता के ऊपर नये टैक्स नहीं लगाये हैं यह घाटे का बजट जरूर है । अगर आप लीपा पोती करके यह कहना चाहें कि यह घाटे का बजट नहीं है, दूसरे कोई टैक्स नहीं लगे है तो यह बात बिल्कुल असत्य है ।

इसके साथ साथ, सभानेत्री जी, जितना भी घोटाला हो रहा है, जितने भी एक्सपैंसेज हो रहे हैं, उनके हिसाब से डवलपमेंट नहीं हो रहा है और जितनी भी योजनाओं पर एक्सपैंसेज करते हैं उनका लाभ नहीं हो रहा है । उसके जो कारण हैं, उनके मैं आपको चार पांच उदाहरण देता हूं । भरतपुर धौलपुर सडक के निर्माण पर लगभग 0.44 लाख अतिरिक्त खर्चा एक ठेकेदार के लिए किया गया । यह खर्चा कैसे किया गया, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा ठेकेदार के खिलाफ अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है । इसके अन्दर जिस सडक का ठेका ठेकेदार को दिया गया । ठेकेदार ने एग्रीमेंट के मुताबिक, शर्तो के मुताबिक काम पूरा नहीं किया और पूरा नहीं करके वह काम को छोड कर चला गया । गवर्नमेंट ने, उसके बाद जो काम बाकी रहता है, उसको पूरा कराने के लिए दूसरे ठेकेदार को दिया । उसके अन्दर 0.44 लाख का घाटा राजस्थान सरकार को हुआ । यह रकम अभी तक ठेकेदार से वसूल नहीं की गई है । वह ठेकेदार मस्त होकर घूम रहा है और राजस्थान सरकार भी अपनी मस्ती के अन्दर घूम रही है । हो सकता है कि वह किसी बडे अधिकारी या मंत्री का रिश्तेदार या राजनीति के अन्दर वोट का साथ देता है, यह नहीं कहता····

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : ठेकेदार का नाम क्या है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : .44 लाख कहने से क्या मतलब है, घाटा तो 44 लाख का है ।

श्री **जयनारायण सालोदिया** : इनको आंकडों के जाल में उलझाना चाहते हैं ।

श्री **विजयसिंह रावत** : इसी तरह से सीकर उदयपुर सडक पर····

श्री **खेतसिंह** : आप अपने नसीराबाद के बारे में कहें ।

श्री **विजय सिंह रावत** : सीकर और उदयपुर के बीच सडक बनी, उसके अन्दर क्या किया कि अधिशासी अभियन्ता ने अपनी मन मर्जी से सडक के एलाइनमेंट में, जो राजस्थान सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई थी, उसमें हेर फेर कर दिया। इस कारण उसके अन्दर 0. 16 लाख का अतिरिक्त खर्चा आया। इस खर्च को राजस्थान-सरकार ने बर्दाश्त किया उसके बाद में अभी तक उस अधिकारी के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया है। उसमें साबित हो चुका है दोष, और अधिशासी अभियन्ता को इसके अन्दर दोषी पाया गया है, लेकिन मालूम नहीं उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? दूसरी बात यह है··

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : कहां का मामला है' अजमेर का ?

श्री **विजय सिंह रावत** : सीकर उदयपुर का।

इसी तरह राजस्थान फीडर खुदवाई, उसके अन्दर घोटाला है।

श्री **परसराम मदेरणा** : नम्बर तीन है, आप भूल गये।

श्री **विजय सिंह रावत** : आप इसके अन्दर ताज्जुब करेंगे कि 1. 10 लाख का इस राजस्थान फीडर की खुदवाई के अन्दर घोटाला किया गया है। वह कैसे किया गया। इसके अन्दर ओवर ड्राफ्ट, जो पेमेन्ट नहीं देना चाहिए वह पेमेन्ट भी किया गया, और पेमेन्ट करने के बाद यह मालूम पडा कि यह पेमेन्ट ज्यादा हो गया है। उसके बाद में इन्क्वायरी··

(12.15 म. प.)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

चालू हुई, उसमें दोषी पाये गये, दो एस. डी. एम. और पांच ऑफिसर दोषी पाये गये। लेकिन पता नहीं क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। और यह सब के सब चल रहे हैं। इसके लिए सरकार मौन है।

श्री **परस राम मदेरणा** : सभापति महोदय, यह सीरिअस चार्ज है, मैं ओवर ड्राफ्ट समझा नहीं।

श्री **दुर्गालाल बाडदार** : बोलने दीजिये, समयाभाव है।

श्री **परसराम मदेरणा** : किस अर्थ शास्त्र में यह शब्द है, ओवर ड्राफ्ट ?

श्री **दिग्विजय सिंह** : घोटाले सुना रहे हैं। घोटाले बहुत हैं।

श्री **जयनारायण सालोदिया** : माननीय मंत्रियों को सब्र के साथ सुनना चाहिये।

श्री **परसराम मदेरणा** : मुझे जवाब देना है, मैं नोट कर रहा हूं इसलिये मैं पूछ रहा हूं।

श्री **विजय सिंह रावत** : मैं क्लीअर कर देता हूं, बिना लागत के, काम तो हुआ नहीं, बिना काम किये हुए पेमेन्ट कर दिया गया।

श्री **परसराम मदेरणा** : ओवरपेमेन्ट ?

श्री **विजय सिंह रावत** : नो। बिना काम के, बिना कोई लागत के··

श्री **जयनारायण सालोदिया** : बोगस पेमेन्ट !

श्री **परसराम मदेरणा** : एक्सैस पेमेन्ट ।

श्री **विजयसिंह रावत** : एक्सैस पेमेन्ट · ·

श्री **खेतसिंह** : यह ओवर ड्राफ्ट है या ओवर पेमेन्ट है ?

श्री **विजयसिंह रावत** : यह घाटा सरकार का हुआ, इसके लिए दो एस. डी. एम. और पांच आफिसर दोषी ठहराये गये । उनके संबंध में कोई जांच पडताल नहीं हुई । इस तरह सारी चीजें होती जा रही हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं ।

अब इसके अलावा ठेकेदारों को अनुचित वित्त सहायता 6 लाख रुपये की दी गई, सभापतिजी · · · · ·

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : इस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री **विजयसिंह रावत** : इसके अन्दर गडबडी और घोटाला इतना ज्यादा है । एक ठेकेदार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और जब उसके पास पैसा नहीं रहा तो उसने जाकर किसी मंत्री महोदय या बडे अधिकारी के पांव पकडे · · · · · · · ·

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसके पकडे, साफ कहें ।

श्री विजयसिंह रावत : पकडने के बाद 65 के अन्दर उसको छः लाख रुपये अग्रिम · ·

श्री **जय नारायण सालोदिया** : एस. डी. एम. के पकडे ।

श्री **विजयसिंह रावत** : टेलीफोन पर छः लाख रुपये दे दिये गये । छः लाख टेलीफोन पर देने के बाद जब इस बात की जांच हुई, पडताल हुई उसके बाद में पता लगा कि राजस्थान गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई आदेश अग्रिम पेमेन्ट करने के लिये नहीं दिया गया और यह सारा का सारा पेमेन्ट अक्टूबर · ·

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : चेअरमैन महोदय, आपके द्वारा दिया हुआ समय पन्द्रह मिनट का समाप्त हो चुका है और दो मिनिट और हो चुके हैं, जब कि यह नियम बना दिया गया है कि पन्द्रह मिनट से ज्यादा नहीं बोलें । इनको सत्रह-अठारह मिनट हो गये हैं ।

श्री **विजयसिंह रावत** : मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूं, मुझे सात मिनट का समय और दिया जाय ।

श्री **सभापति** : शीघ्र समाप्त करें ।

श्री **परसराम मदेरणा** : चेअरमैन महोदय, तीन मिनट ऊपर हो गये हैं, उसके पहले पन्द्रह मिनट समाप्त हो गये हैं । इसके अलावा माननीय सदस्य का आरोप है कि मंत्री के पैर पकड लिये । कभी पैर पकडने की बात कहते हैं, कभी टांग पकडने की बात कहते हैं, कभी पूंछ पकडने की बात कहते हैं । मैं कहूंगा · · · · · ·

श्री **नत्थीसिंह** : किसको पूंछ पकडी । आपने टांग पकडने की बात कही है, वह ठीक है। लेकिन पूंछ किसकी पकडी ? पूंछ किस किस की है ?

श्री **दुर्गालाल बाडवार** : चेयरमैन महोदय, इस तरह समय का दुरुपयोग होता है ।

श्री **परसराम मदेरणा** : उसकी डेट बतायें, किस मंत्री ने किया, क्या किया । जनरल बात कह देना उचित नहीं है ।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य जल्दी से समाप्त कर दें ।

श्री **खेतसिंह** : नाम सुनना चाहते हैं । नाम बतायें ।

श्री **परसराम मदेरणा** : नाम बतायें ।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** : इतने उत्तेजित क्यों होते हैं ?

श्री **जयनारायण सालोदिया** : आपकी शक्ल के जानवरों के पूंछ पांव होते हैं सींग नहीं होते हैं ।

श्री **लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : चेअरमैन महोदय, इसमें सदन का समय जाता है, यह उचित नहीं है ।

श्री **परसराम मदेरणा** : आपकी शक्ल के जानवरों के पर नहीं होते और यह भी नहीं होता ।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** : समय का दुरुपयोग मत करिये ।

श्री **नरपतसिंह** : यह आपका विशेष परिचय है ।

श्री **सभापति** : आप अपने भाषण को जारी रखें ।

श्री **परसराम मदेरणा** : मैं तो एरिस्टोटल की व्याख्या बता रहा हूं ।

श्री **विजयसिंह रावत** : यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैंने यह कहा कि किसी भी मन्त्री की कृपा से या किसी बड़े अधिकारी की कृपा से · · ·

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : ठेकेदार कौन है, चेअरमैन महोदय ?

श्री **विजयसिंह रावत** : इसी कारण उस ठेकेदार को 65 के अन्दर अग्रिम सहायता दी गई और उसका आदेश 1967 के अन्दर किया गया । इस बीच के पीरियड में यह रकम कहां रही है, कैसे रही है, इसके लिए कहा है, इसके अन्दर अगर दिलचस्पी है तो · ·

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : ठेकेदार का नाम आना चाहिए ।

श्री **विजयसिंह रावत** : ठेकेदार का नाम भी आजाएगा । इसके अन्दर अनियमितताएं की हैं । किसी ने अनियमितता की हो । या तो वित्त विभाग ने की होगी या उस डिपार्टमेन्ट जिससे ताल्लुक था उसमें हुई होगी ।

श्री **सभापति** : बैठिये, बैठिये, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, जिसके केस के बारे में कहा है तो, वह कौनसा ठेका था ? किस साल का ठेका ? यह स्पेसिफिक बता दें ।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : कौन ठेकेदार है ? किस अधिकारी के पैर पकड़े ? अधिकारी तो यहां बैठा नहीं है जो अपने को डिपेण्ड कर सकता हो । इसलिए इस बात को आपको बताना चाहिए ।

श्री **विजयसिंह रावत** : आप मन्त्री का नाम पूछते हैं ? किसी के पैर पकड़े होंगे । यह तो निर्विवादित बात है कि 65 के अन्दर उसने अग्रिम पैसा लिया । सरकार का 6 लाख रुपया है और उस वक्त पर आदेश जारी नहीं हुआ तो किसी न किसी की कृपा जरूर हुई होगी ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : यह कैसे कह सकते हैं ।

Page No. 99

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : यह बात जरूरी है। हम नाम जानना चाहते हैं।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : ठेकेदार का नाम बताइये।

श्री **विजयसिंह रावत** : ठेकेदार का नाम इस वक्त मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : इनको मालूम नहीं है। चेअरमैन साहब इसीलिए नहीं बताना चाहते हैं। He does not know his name.

श्री **मुकुटबिहारी लाल गोयल** : पांव पकड़ लिए इसलिए माफ कर दिया।

श्री **खेतसिंह** : ठेकेदार का नाम नहीं बतलाते हैं तो क्या वह इनके ससुर लगते हैं या यह पर्दा नशीन औरत है ?

श्री **विजयसिंह रावत** : ऐसा है, औरत तो नहीं, जंवाई तो जरूर हो सकता हूं। ऐसा है, ठेकेदार के बारे में किसे पैसा दिया ? कहां पैसा दिया ? यह सब जानना चाहेंगे तो मैं वित्त मन्त्री जी को बता दूंगा।

श्री **सभापति** : आप अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री **विजयसिंह रावत** : सभापति महोदय, इस तरह से मेरे टाइम का दुरुपयोग होता है।

श्री **सभापति** : बैठिये, बैठिये, व्यवस्था के अनुसार पहले 15-15 मिनट के लिए कहा गया था। आपका जितना समय था, पन्द्रह मिनट का वह समाप्त हो गया।

श्री **विजयसिंह रावत** : मेरी यह रिक्वेस्ट है कि जब माननीय सदस्य उधर से बोलते हैं तो मैं इण्टरप्ट नहीं करता हूं। अगर मैंने उस वक्त इण्टरप्ट किया होता तो उनको बोलने नहीं देता।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : आपको रोका नहीं था, क्वेरी की थी।

श्री **विजयसिंह रावत** : मैं बोल रहा हूं, मुझे तीन मिनिट भी नहीं बोलने देते हैं और बीच में ही सवाल कर देते हैं। मैं मेरी बात कैसे कह सकता हूं जब कि ये बीच बीच में इन्टरप्शन करते हैं।

श्री **जयरानायण सालोविया** : गलत बात है।

श्री **खेतसिंह** : आपने ओवर-ड्राफ्ट की बात कही। इसलिए सवाल आप से पूछना पड़ा।

श्री **दिग्विजयसिंह** : आप ओवर ड्राफ्ट की बात समझेंगे नहीं।

श्री **खेतसिंह** : यह ओवर ड्राफ्ट की बात है। यह खामखांह आप कैसे बोल गये ?

श्री **दिग्विजयसिंह** : यह वित्त का मामला है। गृह का नहीं है।

श्रीमती **लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : आन ए प्वांइट आफ ऑर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से जब दो माननीय सदस्य बोल रहे थे तो 15 मिनट के बाद में जब तो वह आसन के आदेश को मान कर बैठ गये। लेकिन जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं इन्होंने 15 मिनट तो ले लिए हैं, और 3 की जगह 5 मिनट ऊपर ले लिये हैं। मेरा निवेदन है कि जैसा हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों के साथ व्यवहार हुआ वैसा ही इनके साथ होना चाहिए था।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : पांच मिनट ले लिये हैं। तीन मिनट की बात थी। दो मिनट ज्यादा बोल लिये हैं। इसलिए इनको अब बैठ जाना चाहिए।

श्री **विजयसिंह रावत** : मैं पांच मिनट में समाप्त कर देता हूं। यदि कोई भी इण्टरफीयर नहीं करे।

श्री **सभापति** : आप बिना इण्टरप्शन की परवाह किये अपने भाषण को समाप्त करें।

श्री **विजयसिंह रावत** : बांधों के लिए 4.01 लाख बेकार रकम का दुरुपयोग किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाकासर और नाप सर बांध हैं इनमें इतना रुपया लगाया लेकिन ये सिंचाई के काम के नहीं रहे। एक बांध में मिट्टी इतनी थल गई कि उसके कारण पानी आता नहीं है। दूसरे बांध में नीचे छोटे 2 छेद हैं। इसलिये इसमें पानी ठहरता नहीं है। इनमें इतने पैसे का दुरुपयोग हुआ है कि इसकेलिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सर्वे किया उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की हैं।

एक जयपुर की दुग्ध वितरण योजना में 1965-66 में 4.94 लाख की हानि हुई, उसके बाद में 1966-67 के अन्दर 6.17 कि हानि हुई। इसमें घोटाला हुआ और हुआ और हानि हुई। दूध के आयात के अन्दर कोई इन्कम नहीं निकली। इस तरह घोटाला हुआ इसकी रिपोर्ट की लेकिन सरकार मौन है कि इस पर क्या करना है।

अब इसके बाद दोषपूर्ण ट्रान्सफारमर के नाम पर 4 लाख रुपये की गड़बड़ी हुई समापति महोदय, मैं इंजीनियर्स के सम्बन्ध में पहले भी बोला था, मेरा यह इन्ट्रेस्ट था। प्रश्न यह है कि जो ट्रान्सफारमर खरीदे मद्रास से, उसके लिए राजस्थान सरकार ने कोई इंजीनियर डिप्यूट नहीं किया ट्रान्सफारमर आगये और थोड़े दिन चले फिर खराब हो गये। उनको सुधारने के लिए 4 लाख रु. खर्च किये गये। सरकार को चाहिये था कि ट्रान्सफारमर को लेने के पहले वह एक दो इंजीनियर, एक्सपर्ट को वहां भेजती और वह चैक-अप होकर यहां आते तो इतनी दिक्कत नहीं आती। सभापति मोहदय, मेरे पांच मिनिट में से 2 मिनट बाकी हैं।

श्री **गिरधारी लाल व्यास** : आप को आधा घण्टा होगया।

श्री **विजय सिंह रावत**: अब मैं नसीराबाद की बात कहना चाहूंगा। तीन मिनिट में कह दूंगा। नसीराबाद राजस्थान के अन्दर सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम स्थान का स्टेशन है। वहां पर 2 ब्रिगेट का एस्टेब्लिशमेंट है और 30 हजार की वहां पर जन संख्या है। फिर भी न वहां पर कालेज है न कोई औषधालय है। न पानी की सुनियोजित योजना है। मैं चाहूंगा कि सरकार के अन्दर कैण्टोनमेंट का एरिया नहीं आता है।

(12.52 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो सरकार को इस बारे में केन्द्रीय सरकार को निवेदन करना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार को जो सहायता देनी है वह दे। औषधालय के लिए और पानी के लिए क्योंकि वहां कैण्टोनमेंट है।

श्री **उपाध्यक्ष**: बीस मिनिट हो गये।

श्री **विजयसिंह रावत** : और इस काम को करवाये।

श्री **उपाध्यक्ष**: भाषण समाप्त करें । ऑर्डर प्लीज, आपका भाषण समाप्त हुआ ।

श्री **विजयसिंह रावत**: एक मिनिट में भाषण का एंड करने दीजिए ।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चण्डावत । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री **विजयसिंह रावत**: एक मिनिट में एण्ड करने दीजिए ।

श्री **जयनारायण सालोदिया**: उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत का जब नाम पुकारा था तब आपने कहा था कि आप ने अपना टाइम दूसरी माननीय सदस्या को दे दिया है । अब फिर टाइम ले रही हैं । आप ने स्वयं ने कहा था कि अपना टाइम माननीय सदस्या को दे दिया है । फिर आप एक्स्ट्रा टाइम ले रही हैं ।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री शीशराम ।

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री **विजयसिंह रावत**: एक मिनिट।

श्री **उपाध्यक्ष**: एक मिनिट भी नहीं।

श्री **विजयसिंह रावत**: एंड करने दीजिये।

श्री **उपाध्यक्ष**: स्थान ग्रहण करें ।

श्री **विजयसिंह रावत** : मैं एंड करना चाहता हूं एक मिनिट में ।

श्री **उपाध्यक्ष**: अब होगया । ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर । स्थान ग्रहण करें ।

श्री **परसराम मदेरणा** : हो गई, होगई स्पीच ।

श्री **विजय सिंह रावत** : एंड करना चाहता हूं, फिर बकवास करने से फायदा क्या हुआ ?

श्री **उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें।

श्री **विजयसिंह रावत**: अब मैं कहूंगा, राजस्थान में····

श्री **उपाध्यक्ष**: स्थान ग्रहण करें।

श्री **विजयसिंह रावत**: मैं स्थान ग्रहण कर लेता हूं लेकिन एंड करूंगा।

श्री **उपाध्यक्ष**: फिर कभी कर लीजिए।

श्री **विजयसिंह रावत**: एंड करने दीजिए।

श्री **उपाध्यक्ष**: स्थान ग्रहण करें। समय हो गया है।

श्री **विजयसिंह रावत**: एक मिनट के अन्दर कर दूंगा। ऐसी क्या बात है?

श्री **मुकुटबिहारीलाल** गोयल : करो भाई करो।

श्री **परसराम मदेरणा**: एंड करें आपका।

श्री **प्रद्युम्नसिंह**: एंड हो जाने दीजिए।

श्री **विजयसिंह रावत**: अब मैं कहूंगा कि सरकार इस बजट के बल पर नौकरशाही के बल पर और अन्य चीजों के बल पर राज्य कर रही है। मैं समझता हूं कि इस अर्थ नीति के अन्दर राज्य सरकार को सुधार करना चाहिए। इस अर्थनीति से राज्य चलाना और बजट के अन्दर अलाभकारी जोतों पर लगान वसूल करना, और अनुसूचित जाति और गरीब जनता के ऊपर डायरेक्ट और

(श्री विजयसिंह रावत)

इन्डायरेक्ट टैक्स लगाना अनुचित है। इन सब चीजों को रखते हुए मैं कहता हूं कि वह समय आ रहा है जब आप लोग होंगे और राजस्थान की भूखी जनता आप के पीछे होगी और राजस्थान के अन्दर आप का राज्य नहीं रहेगा। आप यहां नहीं बैठे सकेंगे। और आप की यह लोकप्रिय सरकार खत्म होगी। आप का पता नहीं लगेगा।

श्री **उपाध्यक्ष**: ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री **विजयसिंह रावत**: जैसा कि दूसरे प्रदेशों में हुआ है। यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े समय में··

श्री **उपाध्यक्ष**: ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार**: बहुत मुश्किल से 4 मिनट में, मैं अपने विचार पेश कर दूंगा।

श्री **उपाध्यक्ष**: स्थान ग्रहण करें। विचार किया जायेगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री **उपाध्यक्ष**: रानी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री **जयनारायण सालोदिया**: मैं यह निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्य ने स्वयं ने खड़े हो कर कहा था कि वे कान्ता कथूरियाजी को टाइम दे रही हैं। आप वाजिब आदमी को बोलने नहीं देते और इनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। वाजिब आदमियों को बोलने नहीं देते जब कि उन्होंने स्वयं ने खड़े होकर कहा था।

श्री **नत्थीसिंह**: मैं माननीय जयनारायणजी से अपील करूंगा कि महिला सदस्यों के साथ लीनियेन्सी बरती जाय।

श्री **प्रद्युम्नसिंह**: महिला सदस्यों के बारे में यह विचार हैं, शर्म आनी चाहिये।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार**: उपाध्यक्ष महोदय मुझे केवल 10 मिनट का समय दिया जाय।

श्रीमती **लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत**: मेरा निवेदन है कि आप इजाजत देंगे तो बोलूंगी। पर मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जिस वक्त कान्ताजी को समय दिया गया था तो मेरी जगह कान्ताजी को समय दिया था, मेरा समय उनको नहीं दिया था, उनका ही समय उनको दिया गया था। दूसरी बात में यह कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी को जो अलोटेड टाइम है, उसमें मैं बोलूं या मेरे साथी बोलें, इसमें माननीय सदस्यों को क्यों एतराज है?

श्री **उपाध्यक्ष**: श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

श्री **जयनारायण सालोदिया**: माननीय सदस्या को ज्ञान होना चाहिये कि टाइम का बहमी निश्चय नहीं होता।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

श्री **मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): उपाध्यक्ष महोदय····

श्री **जयनारायण सालोदिया**: यह क्या हुआ साहब?

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री मोहनलालमोदी।

श्री **मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने 68–69 का बजट पेश है और जिन परिस्थितियों में जैसा बजट होना चाहिये, यह सब मिला कर यह ठीक कहा जा सकता है। अभी थोड़े दिनों पहले केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने घाटे का बजट पेश किया है और भारत सरकार से प्रेरणा ले कर हमारे वित्त मंत्रीजी ने भी घाटे का बजट पेश किया है। घाटे का बजट देख कर व्यापारियों में, उद्योगपतियों में, पूंजी बाजार में निराशा पैदा होती है और इससे मंदी को बल मिलता है। यह माननीय वित्त मंत्रीजी थोड़ा हिम्मत से काम लेते और आबकारी कर कुछ बढ़ा देते तो इस घाटे से बचा जा सकता था। जन भावना और हमारे घोषित उद्देश्यों को देख कर यह आशा की जा सकी थी कि वित्त मंत्रीजी सारे देश में हमारे सारे प्रान्त में मद्य निषेध लागू करेंगे। उन्होंने बहुत थोड़े एरिया में मद्य निषेध की घोषणा की है। मैं निवेदन करूंगा कि सारे राजस्थान में नहीं तो एक पूरे डिविजन में तो मद्य निषेध लागू करें। वित्त मंत्री महोदय ने पान की बिक्री से कर हटाया है, मैं निवेदन करूं कि इससे जन साधारण को क्या लाभ मिलने वाला है और इस घोषणा के बाद भावों म गिरावट आई है क्या? अगर इसकी जगह डालडा या आम जनता के रोजमर्रा काम म आने वाली चीजों पर से वित्त मंत्रीजी कर हटाते तो उससे जन साधारण को फायदा पहुंचता।

अभी कुछ दिनों पहले छोटी जोत वाले काश्तकार को भू-राजस्व से इस सदन में छूट देने की घोषणा की गई थी और अब उस छूट को वापिस ले लिया है। आखिर कौन किसान आपक पास यह फरियाद ले कर आया था कि हमें भू-राजस्व माफ करिये। जो एक दफा माफ किया और आज दुबारा यह निर्णय लिया जा रहा है कि माफ किया हुआ भू-राजस्व वसूल किया जावेगा, जो छूट दी है उसे वापिस लेते हैं तो इस प्रकार बार बार निर्णय नहीं बदलना चाहिये। एक दफा जो निर्णय ले लिया जाय उसी पर पूरी तरह से कायम रहना चाहिये। उस वक्त भी मैंने इसके लिये कहा था कि छोटे जोत वाला किसान कोई नहीं चाहता कि उसको भू-राजस्व माफ किया जाय पर दूसरी सरकारों की नकल करने के लिये हमने यह कदम उठाया और उनका निर्णय देख कर छूट वापिस ले रहे हैं। इस छूट को वापिस ले रहे हैं तो छोटी जोत वाले किसानों से जो भू-राजस्व लिया जाय उसे उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में किसान वेलफेयर फंड में रखा जाय और सूखा वगैरह होते हैं उस समय वह सारा रुपया उन्हीं काश्तकारों की सहायता के लिये खर्च किया जाय।

राज्य स्तर पर लाटरी चलाने का बजट में प्रस्ताव रखा है, इस प्रकार का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार की तरफ से आये तो यह बड़ी शर्म की बात है यदि हमने लोटरियों के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया तो हम समाज में, देश में, ऐसी लत, ऐसी बुरी आदत फैलाने की कोशिश करेंगे जिसके लिये आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। मुफ्त का धन कमाने की तरफ हम राजस्थान की जनता को ले जा रहे हैं, इतिहास साक्षी है कि युधिष्ठिर के इस व्यसन से महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ, जिसने हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को नष्ट कर दिया और हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया, क्या हम उसकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं?

श्री **मनोहरसिंह महता**: बहुत सुन्दर

श्री **मोहनलाल मोदी**: क्या मैं आशा करूं सरकार से कि वह स प्रस्ताव को वापिस लेगी ?

इस बजट में तीन नये बोर्डों के गठन की घोषणा की गई है, वह स्वागत योग्य है पर हाउसिंग बोर्ड के सम्बन्ध में कोई खुलासा योजना नहीं रखी गई है। अब तक मकान बनाने के लिये लोन शहरों में दिये जाते हैं, बाहर गांव वालों को इसका लाभ नहीं मिलता, इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार छोटे गांवों के लिये भी इस योजना को : करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मंडी के बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि मंडी बनाई जा रही है, उससे किसानों को लाभ नहीं पहुंचने वाला है। मेरे क्षेत्र में कृषि मंडी है, उससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नीलाम कर के बेचने की बात है वह वहां पहले से ही चालू है पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मंडी कमेटी बनाई जाय इसका मुझे विरोध नहीं पर इसके सम्बन्ध में सोच विचार कर अच्छे नियम बनाये जायें। यहां से सामान जायं उस पर भी मंडी कमेटी पैसा ले और बाहर से माल आता है, उस पर भी मंडी कमेटी द्वारा पैसा लिया जाय, यह उचित नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंडी कमेटी कानून बनाते समय इन बातों पर ध्यान रखें।

एस.एस.पी. के माननीय सदस्य ने खंडेला पंचायत समिति के प्रधान के बारे में कहा था कि प्रधान के खिलाफ केस बना था उसको दुबारा उठाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने बिना जानकारी के ऐसा कहा है।

श्री **मुकुटबिहारीलाल** : खान वान की सब बातें कह देना।

श्री **मोहनलाल मोदी**: इतनी गुंडागर्दी उस क्षेत्र में फैली हुई है कि प्रधानजी व उनके साथियों ने ऐसा वातारण बना रखा है कि लोग भयभीत हो रहे हैं।····

श्री **नत्थीसिंह**: इसलिये झूठे केसेज में फसायें ?

(शोरगुल, श्री मुकुट बिहारीलाल और श्री मोहनलाल मोदी साथ साथ बोलने लगे)

श्री **उपाध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज माननीय मुकुटबिहारीलाल जी, आप तो इस पद पर आसीन हुए हैं आप सदन की सारी मान्यताएं जानते हैं, इस तरह बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री **मोहनलाल मोदी**: ऐसा वातावरण फैला रखा है, मैं कुछ सत्य बात अर्ज करना चाहता हूं। उनकी पार्टी के लोग मिल कर एक कंजर औरत को उठा कर ले गये,

× × × ×

श्री **मुकुटबिहारी लाल**: बिल्कुल झूठ।

श्री **मोहनलाल मोदी**: यह मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों की यहां वकालत करते हैं एक तरफ कहते हैं कि गुन्डागर्दी दूर करो और दूसरी तरफ गुन्डागर्दी की वकालत करते हैं। यदि यह असत्य हो तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा, वरना आप इस्तीफा दे दें।

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही में से निकाले गये।

श्री **नत्थी सिंह**: उन्होंने जो चुनौती दी है मैं उसको स्वीकार करता हूं - प्रधानजी के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ मोदी के खिलाफ चतुर्भुज के खिलाफ जिनको दामोदरजी गृहमंत्री पुलिस का संरक्षण देते हैं, इसके आरोपों की जांच कराई जाए, अगर मेरे आरोप गलत निकलें और इनके सही निकलें और ये भ्रष्टाचार में फंसे नहीं निकलें तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। दोनों की जांच कराएं।

श्री **मोहनलाल मोदी**: मैंने जो कहा है.....

श्री **मुकुटबिहारीलाल**: इस मोदी परिवार ने खानों के ठेके के रूप में बहुत घोटाले किए हैं अपनी मामी के नाम, भाई के नाम, बेटे के नाम देकर, अदालतों को पाइजनस करके अदालत के लोगों से मिलकर जो कुछ कान्स-पायरेसी करके लाखों रुपए का घोटाला किया है, उसके लिए इस सदन की जांच समिति बिठाई जाय और उसमें कांग्रेस के माननीय सदस्यों को रखा जाय, अगर हमारे आरोप झूठे निकले, तो हमारा पूरे साथियों के साथ इस्तीफा मन्जूर कर लिया जाय।

श्री **मोहनलाल मोदी**: आप सत्य पर परदा नहीं डाल सकते।

श्री **उपाध्यक्ष**: ऑर्डर प्लीज।

श्री **मुकुटबिहारीलाल**: आपने राज्य सरकार का लाखों रुपए का घोटाला किया है मोदी परिवार ने, वहां आतंक का राज छाया हुआ है,

(शोरगुल)

सत्ता के बल पर और वह आज केवल दलाली करने के लिए, झूठी बातें करने के लिए सदन के अमूल्य समय का दुरुपयोग करते हैं।

श्री **उपाध्यक्ष**: ऑर्डर प्लीज।

श्री **मोहनलाल मोदी**: विरोधी पार्टियों की दाल नहीं गलती।

श्री **श्रवणलाल**: उपाध्यक्ष महोदय, मसला बहुत गंभीर है इसलिए दोनों पार्टियों के लिए जांच कमेटी बना ली जाय।

श्री **मुकुटबिहारीलाल**: कांग्रेस के इन नौजवान सदस्यों को कमेटी के सदस्य बना दो और सरकार देखे कि क्या मामला है..

(शोरगुल)

श्री **उपाध्यक्ष**: ऑर्डर प्लीज, आपस में बात न करें, आसन को संबोधित करके कहें।

श्री **दौलतराम सारण**: माननीय सदस्य ने आरोप लगाए प्रधान पर और कहा कि वहां की जनता में आतंक है। मैं सदन की सूचना के लिए आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस मोदीजी के परिवार के खिलाफ..

श्री **उपाध्यक्ष**: ऑर्डर ऑर्डर।

श्री **दौलतराम सारण**: वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जन जागरण का अभियान चालू किया है। इनकी पुलिस के साथ...

(शोरगुल)

श्री **उपाध्यक्ष**: **आर्डर आर्डर**।

श्री **दौलतराम सारण**: XXX

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गये।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री **उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। एक्सपंज किया जाय।

श्री **मुकुटबिहारीलाल** : हम अदालत के फैसले की नकल लाकर पेश करना चाहते हैं, कमेटी बिठाई जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें।

श्री **मुकुटबिहारीलाल** : तब देखेंगे कि कितने घोटाले हुए हैं।

श्री **मोहनलाल मोदी**: इस तरह से आप किसी सदस्य को दबा नहीं सकते। आपको कुछ कहना चाहिए था तो वह अपने भाषण में जब आपको मौका मिले, तब कहते। ये सारे निराधार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** (उपमंत्री): चार बार जीत कर आए हैं इसलिए इन लोगों को जलन हो रही है।

श्री **मोहनलाल मोदी** : मोदी परिवार से जलन इसलिए है कि आज तक 20 वर्ष से लगातार हमने कांग्रेस की सेवा की है।

और विरोधी पार्टियों के सदस्यों के पांव नहीं जमने दिये।...

श्री **विजयसिंह रावत** : व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सदस्य को आसन की तरफ से समय दिया गया था बजट पर बोलने के लिए यह तो मेरी उनके साथ सहानुभूति है उनके प्रति कि जो लोग मोदी परिवार की बात करते हैं व्यक्तिगत...

श्री **मोहनलाल मोदी**: मुझ पर आरोप लगाया तब मैं बोला।

श्री **उपाध्यक्ष**: बीच में कोई न बोले।

श्री **मुकुटबिहारीलाल** : समय तो खतम हो गया इनका।

श्री **उपाध्यक्ष** : समय तो आपने ले लिया।

श्री **मोहनलाल मोदी** : जिन सदस्यों का भंडा फोड़ते हैं...

श्री **जयनारायण सालोदिया** : आपने तो एक ही मंत्र पकड़ रखा है कांग्रेस को पकड़ कर खाना खाओ, नमक खाओ, कांग्रेस को छोड़ने में तो...

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : यह थोड़े ही दल बदलू हैं?

श्री **मुकुटबिहारीलाल** : दल बदलुओं को आपके यह कचौरी मिलती है, यहां पर तो साग ही है। हमारे पास सत्ता होती तो ठेके देते...

श्री **उपाध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें।

श्री **मोहनलाल मोदी** : वित्तमंत्री ने बजट पेश करते समय ईमानदार राज्य कर्मचारियों के लिए जो अच्छा कार्य करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं रखा है मैं एक मिसाल बताता हूं। मेरे क्षेत्र में डकैती हुई, वहां के डी.एस.पी. ने डकैती के माल को बरामद किया, दो जीपें बरामद कीं। मंत्री महोदय की कार चोरी हुई आज तक बरामद नहीं हुई, तो जिसने दो जीपों को बरामद किया जो छुरी, पिस्तौल दिखाकर छीन ले गये थे उसके लिए निवेदन करता हूं कि ऐसे राज्य कर्मचारियों के लिए कोई स्पेशल प्रमोशन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनका उत्साह बढ़े।

(श्री मोहनलाल मोदी)

जमीन की एलाटमेंट के बारे में कुछ बात कही गई, एलाटमेंट्स जो होते हैं वे गलत तरीके से होते हैं। अगर सही तरीके से करना चाहते हैं तो करने नहीं दिया जाता है। एम.एल.ए. भी एलाटमेंट कमेटी का सदस्य होता है जितनी एलाटमेंट्स मेरी तहसील में हुई मैं कभी उसमें नहीं गया। एक बार गोविंदपुर में एलाटमेंट हुआ 44 व्यक्तियों को एलाटमेंट किया गया जिसमें से 30 आदमी शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के थे। जमीन एलाट की गई। उसमें 4 सदस्य मौजूद थे। सरपंच मौजूद नहीं था। सरपंच नहीं चाहता था एलाटमेंट करना, लेकिन चारों मेम्बर्स ने मिलकर एलोट कर दी और सरपंच कलक्टर के पास पहुंचा और कलक्टर ने आदेश दे दिया कि एलाटमेंट कैंसिल कर दी जाय। सरपंच मौजूद नहीं था, उसकी उपस्थिति आवश्यक है। या तो एलाटमेंट सही नहीं होता है और अगर सही किए जाते हैं तो कैंसिल कर दिए जाते हैं। कानून में इस तरह का प्रावधान है कि सरपंच के बिना मौजूदगी के एलाटमेंट नहीं हो सकता तो उसमें सुधार करना चाहिए और इस तरह से कानून बनाना चाहिए जिससे सही स्थिति में लोगों को जमीन मिल सके।

श्री मुकुटबिहारीलाल : सेल्स टैक्स की जो तीन लाख की चोरी की, उसका बता दो ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल : पैसे का मामला है इसलिए मुझे अभी अभी याद आ गई। इस सदनमें बजट पर बहस चल रही है तो हम सबका देखने का फर्ज है कि हमारा रुपया कहीं चला तो नहीं जाता है। तो बताइए कि तीन लाख की जो चोरी सेल्स टैक्स की आपकी पकड़ी गई ....

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्री महोदय से पूछें।

श्री मोहनलाल मोदी : वह मामला आ भी चुका है सदन में, एक पैसे की चोरी नहीं हुई। सब गलत आरोप लगाए हैं। जलन की वजह से ये कर रहे हैं। एक निवेदन मैं बिजली के बारे में करना चाहता हूं। एक परसेन्ट जो छूट दी गई है वह नये उद्योगों के लिये दी है, मैं निवेदन करूंगा कि पुराने उद्योगों के लिये भी छूट होनी चाहिये ? (कुछ माननीय सदस्यों के हस्तक्षेप करने पर) चूंकि विरोधी सदस्यों को मेरे बोलने से दुख होता है। मैं कांटे की तरह चुभता हूं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जो घाटे का बजट पेश किया गया है, वह कोई भी समझदार आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा सरकार का बजट है। अगर व्यापारियों के बजट में कोई घाटा होता है तो वे कभी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लाखों का घाटा दिखाया गया है जो करोड़ों का घाटा है। मंत्री महोदय ने जो हमारी पूंजी है उसको भी शामिल कर लिया है। मैं निवेदन करूंगा कि घाटे को आबकारी पर टैक्स लगाकर पूरा किया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया: उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम (अनुपस्थित)

श्री नन्द लाल।

श्री नन्दलाल (पाटन): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने हमारे राज्य का बजट 68-69 का पेश किया है और

(श्री नन्दलाल)

उस बजट पर वाद-विवाद चल रहा है। मैं आपको निवेदन करूं कि इस साल जो बजट पेश किया है उसमें राजस्थान सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। टैक्स नहीं लगाने का मतलब जितनी भी आमदनी हो रही है वह मतलब वाजिब है। मैं आपको अपने क्षेत्र की बात सबसे पहले रखूंगा, जिस क्षेत्र की जनता ने मुझे यहां चुनकर भेजा है। मेरे क्षेत्र के अन्दर सबसे ज्यादा सिंचाई का इलाका है दोनों तरफ नदियां हैं लेकिन इस बजट के अन्दर एक भी पैसे का प्रावधान नहीं रखा गया है। बड़े बड़े तालाबों को बान्धने के लिए कोई राशि नहीं रखी गई है। आज करोड़ों रुपया खर्च करके चम्बल नदी निकाली है, उस नहर के पानी का कोई उपयोग नहीं है। अगर नहर टूट जाती है तो किसी भी क्षेत्र में होकर पानी जाता है तो इसका उपयोग न होकर बेकार जाता है, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिये राज्य सरकार के वित्त मंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले बजट में या इसी बजट में ऐसा प्रावधान रखा जाय कि उस नहरी पानी का उपयोग किया जा सके। साथ ही मैं यह निवेदन करूं आज तक जिस जमीन पर पानी नहीं पहुंचा है उस जमीन को नहर के एरिया में रखा जाय। अभी क्या हो रहा है कि उस जमीन के अन्दर कोई भी काश्त नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि वह कमान्ड एरिया में है। कमान्ड एरिया में होने से वहां काश्त नहीं हो रही है। उस इलाके में बहुत से लोग भूमिहीन हैं उनको आये दिन परेशान किया जाता है और उस जमीन के ऊपर कोई भी आदमी अपनी जमीन समझकर खेती नहीं कर सकता है। वे समझते हैं कि पता नहीं सरकार कब उस जमीन से हमें वंचित कर देगी। इस तरह की कई समस्यायें मेरे क्षेत्र में मौजूद हैं। साथ ही मैं निवेदन करूं पूंजीपति और अन्य चीजों को लेकर वाद-विवाद हुआ। अभी इससे पहले अजमेर से आये माननीय सदस्य ने बताया कि यह सरकार आगे तक नहीं चल सकती है लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि किसी वक्त आप सरकार बनाने जा रहे थे। चुने हुये लोग यहां आये थे। वे भी सदस्य यहां बैठे हुए और अब कहते हैं कि हमने सरकार बनाने में ताकत नहीं लगाई। जितने भी विरोधी दल के लोग हैं, सबने बाजी लगाई लेकिन तकाजे की बात है कि जिनमें ताकत है, सरकार उन्हीं की बनी और आज बन करके आपके सामने है। आगे जाकर हमारी यह सरकार ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगी। एक जमाना था कि आज से 20 साल पहले हरिजनों की पिछड़ी जति की क्या हालत थी? सरकार ने करोड़ों रुपये का बजट, लाखों रुपया खर्च करके आज उस पिछड़ी जाति को लाइन पर ला रखा है। आज खाने का, पीने का, रहने का और बोलने का उनको बराबर का अधिकार है। आज से 20 साल पहले बड़े बड़े राजा महाराजा, जागीरदार और पूंजीपति उन लोगों की छाया तक नहीं पड़ने देते थे। वे आज इन कुर्सियों पर बैठे हैं आज से 20 साल पहले यह जमाना नहीं आ सकता था। लेकिन यह कांग्रेस और देश के बड़े बड़े नेताओं की देन है। समय की बात है, तकाजे की बात है जिससे इन लोगों को मौका मिल गया। इतिहास में राम और कृष्ण को पढ़ा होगा। राम बनवास गये थे उस समय राम ने भीलनी के झूंठे बेर खाये थे, लेकिन लक्ष्मण ने नहीं खाये, आज हरिजन, ब्राह्मण और राजपूत सब एक साथ बैठकर खाते हैं। यह जमाना कौन लाया, यह जमाना

Page No. 109

(श्री नन्दलाल)

कांग्रेस लाई, महात्मा गांधी लाये। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इस बात को कहते हैं लेकिन मैं बताऊं आपको निवेदन करूंगा कि जहां राजा महाराजाओं का आवागमन होता है उससे 10 कदम उनको दूर रखा जाता था। उन पर छाया नहीं पड़ने दी जाती थी। इसी प्रकार आज हम इस जमाने में आये। देश की बात करते हैं, बेईमानी की बात करते हैं मैं आपको निवेदन करूं कि इस जमाने में लोग अपने आपको ईमानदार समझे और दूसरों को बेईमान समझें। दूसरों को बताने में कोई बात नहीं होती है।

श्री **उपाध्यक्ष**: सदन की अनुमति से 15 मिनट का समय बढ़ाया जाता है।

श्री **जयनारायण सारोदिया** : आगे क्यों नहीं?

श्री **नन्दलाल: जो** बजट बना है उसमें अधिक टैक्स न लगाकर बहुत कम टैक्स रखा है। मैं निवेदन करूं कि अगर टैक्स लगता और लगने के बाद जो बजट की आय होती, उससे बड़े बड़े काम होते लेकिन टेक्स नहीं लगाया यह सरकार की उदारता की नीति है। अभी हमारे गोकुल प्रसाद जी ने बताया गांवों और शहरों का मसला। मेरे क्षेत्र में काश्तकार भी रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं। इस समय मजदूरों को दो रुपया रोज मिलता है इसमें उसको खाने का इन्तजाम करना पड़ता है। दो रुपये की मजदूरी लेकर वह बेचारे दो किलो अनाज लाते हैं जिसके अन्दर 5 बाल बच्चों का पेट भरना मुश्किल होता है। मैं उस क्षेत्र में रहता हूं जहां मजदूर रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। वहां पर बड़े बड़े लोगों को अच्छी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं लेकिन यह मानकर चलें कि 100 में से 20 आदमियों को अच्छी तनख्वाह मिलती है बाकी 80 आदमियों को बहुत कम तनख्वाह मिलती है . . .

(1 म.प.)

दैनिक मजदूरी करते हैं उससे अपना पेट पालन करते हैं ऐसे मजदूरों के लिये रोजगार दिलाना यह हमारे लिये सब से बडी बात होगी। मैं आप से निवेदन करूं गांवों के अन्दर बड़े बड़े जागीरदार और जमीदार रहते थे जो इस सदन में भी हैं वे एक एक हाली को रखते थे जिस को रोजाना के तीन रुपया देकर उनसे रात दिन काम लेते हैं। वे एक बीघा भूमि भी इन भूमिहीनों को देना नहीं चाहते। आज सीलिंग कानून लागू होकर के सभी जगह लागू कर दिया गया तो यह हाली आदि सब को जमीन मिल जायगी। उससे यह हाली प्रथा है वह भी खत्म हो जायगी। यदि किसी जमींदार या जागीरदार ने किसी हाली की शादी करवादी तो वह ताजिन्दगी उसका नौकर होगया। वह उसको एक हजार पहले साल में कर्ज देता है दूसरे साल सवा हजार इस तरह से वह दिन रात कर्जा बढ़ा हुआ बताते जायेंगे इस तरह से उनका कर्जा दिन रात बढ़ता जायगा उसको साल का अनाज खाने के लिये दे देते हैं बाकी पैसा यो का यों रह जाता है। इस तरह से उनका लिया हुआ हजार रुपया कभी भी चुक नहीं पाता इस तरह से ताजिन्दगी वे उनकी सेवा चाकरी करते रहते हैं। आज यह गांव में हालत है इस समस्या को सुलझाने में काफी समय लगेगा।

आप समाजवाद गांवों में लाने की बात करते हैं। उसके लिये आपको सीलिंग लागू

(श्री नन्दलाल)

करना अनिवार्य है गांव के साथ साथ शहर में भी सीलिंग लगना चाहिये। श्री गोकुल-प्रसाद जी ने कहा कि शहरों में लोग फुट पाथों पर सोते हैं सरकार विरोधी दल जो है वे हमेशा आलोचना किया करते हैं लेकिन भगवान न चाहे कभी उनकी सरकार आ जाय तो उनको भी पता चलेगा शासन किस तरह से चलाया जाता है। मैं भी इस बात का हामी हूं कि शहरों में भी सीलिंग होना चाहिये ताकि गरीब मजदूर जो फुट पाथों पर सोते हैं उनके लिये व्यवस्था की जा सके। आज हम देखते हैं शहर में एक आदमी के पास चार बंगले हैं, चार कारें हैं। बडी बडी नौकरियों पर लगे हुए हैं उनका बटवारा क्यों नहीं किया जाता है? सीलिंग शहर के अन्दर भी किया जाता है तो बेरोजगारी जो फैली हुई है वह मिट सकती है। शहर में जिनके पास बंगले ज्यादा हैं उनमें उन लोगों को हिस्सा मिले जो गरीब हैं जिनके पास रहने के लिये नहीं, तभी जाकर समाजवाद आ सकता है। इन बीस सालों में हमारे देश के अन्दर काफी परिवर्तन हुआ है छोटे आदमी थोडे ऊंचे आये हैं और जो बडे आदमी हैं पैसे वाले हैं वे बहुत पैसे वाले हो गये हैं। लखपति, करोडपति बन गये छोटे आदमी जिनके पास पहनने को कपडे नहीं थे उनके पास चार कमीजें हो गई हैं। देश के अन्दर परिवर्तन जरूर आया है लेकिन जो आपस में लडाई लडना, तोड फोड करना जो यह प्रवृत्ति हमारे देश के अन्दर चल रही है उससे आखिर नुकसान देश को ही होता है। आज इस पक्ष वालों का राज है उस पक्ष का भी हो सकता है भगवान ऐसा चाहेगा तो नहीं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाया जाय ज्यादा खेती की जाय। आज हमारी शक्ति इन कामों में लगनी चाहिये वहां हम आपसी झगडे और तोड फोड में लगे हुए हैं। आखिर हमें सोचना चाहिये कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है, इसलिये हम देश का विकास जिस तरह से हो उसके उपाय बतायें ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। भ्रष्टाचार की बातें सदन में की जाती हैं। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार ऊपर से होता है। मेरा इसमें भिन्न विचार है मैं ऐसा मानता हूं कि भ्रष्टाचार नीचे से आरम्भ होता है। भ्रष्टाचार दिल्ली से नहीं होता, भ्रष्टाचार जयपुर से नहीं होता वह तो गांवों से शुरू होता है। गांव के लोग अपना काम करवाने के लिये तहसीलों में पहुंचते हैं। तहसील से फिर जिले में पहुंचते हैं। फिर जिले के आदमी अपना काम निकलवाने के लिये जयपुर में आते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार राजधानी से आकर फिर दिल्ली में चला जाता है। इस तरह से इस तरह भ्रष्टाचार की शुरूआत नीचे से गांव के स्तर से शुरू होती है और वह पहुंचते पहुंचते मिनिस्टर तक पहुंच जाता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिये हमें जन-जन में यह भावना पैदा करनी होगी कि चाहे आपका काम हो या न हो हमें किसी को पैसा देकर काम नहीं करवाना चाहिये। अगर हम ऐसा करेंगे तभी जाकर भ्रष्टाचार मिटने वाला है नहीं तो यह भ्रष्टाचार कभी मिटने वाला नहीं। यही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : अब समय पांच मिनिट का ही शेष है आप इसी समय में अपना भाषण समाप्त करदें।

श्री श्रवण लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी समय मिलना चाहिये । मेरे कई स्थगन प्रस्ताव थे उस पर यह कहा गया था कि बजट के समय इनको उठा सकते हैं। अतः मुझे भी समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा समय होगा तो दिया जायगा।

श्री श्रवण लाल : आधा घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार। आप पांच मिनिट में समाप्त कर देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन के प्रति कृतज्ञता प्रगट करता हूं कि आपने मुझे कुछ समय दिया। मैं इस बारे में विनम्र निवेदन करूंगा कि आसन जब इतना उदार है तो मैं समझता हूं मरी गाय को और नहीं मारेंगे इस समय को और बढ़ा देंगे। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आंकडों के इन्दराज से निर्मित राजस्थान की वित्तीय स्थिति का यह कंकाल वित्त मन्त्री ने जिस प्रकार आंकडों के भरमार से अलंकृत किया है वह जनता को भूल भुलाने में डालने वाला है। ताकि लोग इस इन्द्रजाल से से भ्रमित हो जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में यह बताया है कि राज्य सरकार ने इतनी प्रगति की है, उन्नति की है कि जिस कारण इस वित्तीय वर्ष में कुछ लाख का ही घाटा बताया गया है।

और कोई टैक्स जनता पर नहीं लगाया जावे।

पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात यह है इसमें और जिस पर विचार किये बिना नहीं रहा जा सकता कि जिस राज सरकार की 52-53 में टैक्स 17 करोड़ रुपये थी वह आज 127 करोड़ रुपया हो गई और 127 के पश्चात् इस पर 468 करोड़ का कर्जा है।

एक ओर तो आपने अपने इतने वर्षों के प्रशासन में अपनी भ्रष्ट अर्थ नीति के द्वारा प्रशासन को भ्रष्ट किया। अपनी नीतियों को भ्रष्ट किया और अब भोली भाली जनता के दिमाग को भी भ्रष्ट करना चाहते हैं। उनको गुमराह करना चाहते हैं। अन्धेरे में रखना चाहते हैं कि राज सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई है और इसलिये नये कर नहीं लगाये हैं। लोगों को जैसे एक बडी राहत दे दी हो। पर मैं पूछता हूं यह 468 करोड का कर्जा जो आज राज सरकार पर है इसको 13 सालों में क्यों नहीं चुका पाये जब कि आप ने अपनी आमदनी को इस अरसे में 10 गुना बढ़ा लिया है।

आज तो आपने स्थिति यह बनादी है कि आज राजस्थान में पैदा होने वाले हर मासूम बच्चे पर भी 234 रुपये का कर्जा तैयार मिलेगा। वह 234 रुपये का कर्जा अपने सिर पर लेकर पैदा होगा। आप मोटर और बंगलों में बैठ कर ऐश और इशरत की जिन्दगी बिता सकते हैं पर शायद यह न भूलें कि आपके स्त्री बच्चे और आगे पैदा होने वाले बच्चे भी राज में 234 रुपये का कर्जा लेकर जन्म लेंगे।

फिर मैं पूछता हूं कि कर्जा आपने लिया। अच्छा किया। कर्जा व्यापारी भी अपना व्यापार बढाने दुगुना और चौगुना करने की

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आशा में लेता है और जितना ब्याज देता है उससे कई गुना कमाता है और मूलधन भी चुका कर पूंजीपति बन बैठता है। पर मैं पूछता हूं आपका वह कर्जे में लिया गया रुपया चला कहां गया ? इतने अरसे में आपने उस कर्जे से किया क्या ? क्या आप इतने अरसे के बाद भी इस पोजीशन में नहीं आ पाये कि वह कर्जों का ब्याज तो क्या उसका मूलधन भी नहीं चुका पाये ? इसके लिये भी मैं तीन करार की बात कहता हूं। आपका यह सारा पैसा आपके ये तीन करार खा गये। कमेटी, कमीशन और कारपोरेशन। आप कमेटी बना दीजिये, कमीशन कायम कर दीजिये, कारपोरेशन कायम कर दीजिये और सारा पैसा हजम। ये कमेटी और कमीशन और कारपोरेशन तीन राज सरकार के पैसे को निरन्तर बराबर चाटते जा रहे हैं। ये तीन सफेद हाथी राज सरकार के मन्त्रियों ने ऐसे पाल रक्खे हैं उपाध्यक्ष महोदय कि जिनके प्रतिपालन करने के दृष्टिकोण से कोई उनमें अपने भाई भतीजों को चहेतों को ऐब्जोर्व करने के लिये कमेटियों का निर्माण करना पड़ता है। और इन्हीं के लिये कमीशनों और कारपोरेशनों का निर्माण भी करना पड़ता है। रोडवेज कारपोरेशन को आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिये कितना पैसा लगाया पर फिर भी लाखों का घाटा बता रहे हैं। घोटाले और करप्शन के ये अड्डे बन कर रह गये हैं। अगर यही इन्वेस्टमेन्ट कोई अन्य व्यक्ति करता तो अबतक अपनी पूंजी तो निकाल ही लेता सो निकाल ही लेता, पर अपने व्यवसाय को भी कई गुना फैला लेता। फिर भी नई नई स्कीमें कारपोरेशन की बराबर इनके दिमाग में घूम रही हैं।

योजनाओं पर विश्वास करने वाली इस सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं कि ये आपकी कैसी योजनाऐं हैं ? जिस प्रकार क्रमबद्ध योजनाओं का आप तांता लगाते जाते हैं उसी प्रकार क्रमबद्ध रूप से पैसे को हड़पने और राज्य को दिवालिया बनाने का आपका प्रयास भी बखूबी चालू है। पैसे को हजम कर जाने की भी आपकी बडी क्रमबद्ध योजना है। अब उनका अलग अलग जिक्र करूं तो बहुत समय चाहिये। समय इतना है नहीं। आज देश की और हमारे इन राज करने वालों की स्थिति कैसी है इस पर तुलसीदासजी की एक कविता के रूप में संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं।:

हरे चरहिं तापहि बरे
फरे पसारहिं हाथ
तुलसी या संसार में
दीनन को रघुनाथ।

उनको खुशियां मिल रही हैं जो सम्पन्न हैं पहले से ही और जो दीन हैं, खिन्न हैं वे प्रयत्न करने पर भी दुनियां के सामने भीख मांगते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कहने का अर्थ यह है कि जो अमीर तबका है उनके लिये तो ऐसी ऐसी संस्थाऐं बनाते जा रहे हैं कि जिनका पेट भरा है उनका और भरता जा रहा है वे तो कहीं भी भीख मांगने नहीं जाते हैं, पर जो गरीब तबका है किसान और मजदूर वर्ग है उसके लिये कोई संस्थाएं नहीं हैं, कोई उनको उठाने वाला नहीं है, ये तो आज भी गरीब के गरीब और शोषित वर्ग के शोषित वर्ग हैं। उनकी तो आज भी सुनने वाला सिवाय भगवान के और कोई नहीं है। उनके लिये भी

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

आज बरसात की कृपा की ही बात कही जा रही है। तो यह दोहा पूर्ण रूप से आप पर चरितार्थ होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक जो नीति आज तक आपने अपना रक्खी है उसे छोड़ेंगे नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं लावेंगे तब तक जन-जन का आप कल्याण नहीं कर सकते।

अन्तिम बात छोटी सी यह निवेदन करदूं कि जहां तक आप हर चीज का राष्ट्रीयकरण करने की बात रटते जाते हैं सारे कारोबार को सारे व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो उस पर मेरी कविता की चार पंक्तियां बताना चाहता हूं। व्यापार में होता क्या है इनके? मैं तो कोशिश करता हूं। पर दुनिया आलोचना करती है। मैं कहता हूं 'व्यापारे बसति लक्ष्मी'। लक्ष्मी का निवास व्यापार में है और राज सरकार भी व्यापार करती है स्टेट की इन्कम बढाने के लिये, पर व्यापारी में जो गुण होने चाहिये, वे आप में हैं या नहीं :—

व्यर्थ बन रहे हो आलोचक
लोकप्रिय सरकार है
राष्ट्रोन्नति हित
शुरू— कर— दिया—
इसने अब व्यापार है।
सदा मुनाफाखोरी चलती
आई है व्यापार में
रिश्वत और सूद दोनों ही
जायज है व्यापार में
धनिक वर्ग शोषण करते हैं
दुर्बल का व्यापार में
व्यापारी सरकार हमारी
दोष कहां सरकार में?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 18 मार्च को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 1.15 पर बृहस्पतिवार दिनांक 18-3-68 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 591 की सूची

वर्ष	धन राशि रु. में	कार्य
1957-58	20,000	स्पोर्टस् कौन्सिल की प्रवृत्तियों–राज्य में खेलकूद के विकास एवं आयोजना हेतु
1958-59	60,000	,, ,, ,, ,, ,, ,,
1959-60	2,00,000	,, ,, ,, ,, ,, ,,
1960-61	3,00,000	,, ,, ,, ,, ,, ,,
1961-62	3,70,000	,, ,, ,, ,, ,, ,,
,,	23,100	प्रतिभाशाली छात्र खिलाडियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु
1962-63	4,00,000	स्पोर्टस् कौन्सिल प्रवृत्तियों-राज्य में खेलकूद के विकास एवं आयोजना हेतु
,,	25,000	म्युनिसिपल स्टेडियम, उदयपुर के निर्माण हेतु
1963-64	4,50,000	स्पोर्टस् कौन्सिल की प्रवृत्तियों-राज्य में खेलकूद के विकास एवं आयोजना हेतु
1964-65	4,00,000	,, ,, ,, ,, ,, ,,
,,	1,00,000	ग्रामीण खेलकूदों के लिये
,,	32,900	प्रतिभाशाली छात्र खिलाडियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु
1965-66	4,00,000	स्पोर्टस् कौन्सिल की प्रवृत्तियों-राज्य में खेलकूद के विकास एवं आयोजना हेतु
,,	1,00,000	ग्रामीण खेलकूदों के लिये
,,	30,200	प्रतिभाशाली छात्र खिलाडियों को छात्रवृत्ति हेतु
1966-67	4,00,000	स्पोर्टस् कौन्सिल की प्रवृत्तियों-राज्य में खेलकूद के विकास एवं आयोजना हेतु
,,	1,00,000	ग्रामीण खेलकूदों के लिये

Statement showing the Grants-in-aid given by the Rajasthan Sports Council for Play Fields and Tracks.

S. No.	Name of the Institution	Amount	Purpose
1.	Jai Club, Jaipur	13,500.00	Construction of Badminton Hall.
2.	M. G. D. Public School, Jaipur ..	4,000.00	Track & Field.
3.	Maharani's College, Jaipur. ..	2,000.00	Construction of Basketball Court.
4.	Pali Club, Pali (Through Distt. Sports Council, Pali)	1,200.00	Construction of wall for Tennis Court.

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 604 की सूची

क्र. सं.	विशेष वैज्ञानिक नाम	मिल रहा योग्यता वेतन	दिनांक से	अनुसंधान कार्य	मौजूदा स्थान
1.	डा. एल. एम. सांघवी	50	1962	रक्तहीनता एवं हृदय पर उसके प्रभाव पर	वैज्ञानिक अनुसंधान मैडीकल कालेज, जयपुर
2.	डा. एल. एम. सांघवी	100	19-12-67		
3.	डा. एस. आर. मेहता	50	1963	हैप्टोग्लोबिन्स पर	,,
4.	डा. छोटे लाल पाठक	100	अप्रेल, 1964	शोध कार्य हृदय नियन्त्रण एवं हृदय से संबंधित क्रियाओं पर	सरदार पटेल मैडीकल कालेज, बीकानेर

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर नगर विकास समिति की सम्पति की राशि में खरीद

605. श्री **शीशराम** (सादुलपुर) : क्या नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर नगर विकास न्यास से पूर्व की भूतपूर्व बीकानेर राज्य के समय निर्मित बीकानेर नगर-विकास समिति ने अर्जित सम्पत्ति में से बीकानेर शहर में कितनी कितनी लागत से कितने भवन व बंगले व कुएं बनवाए व जमीनें मुआवजा देकर प्राप्त कीं व कितने वाहन खरीदे ?

(2) उक्त समिति द्वारा खरीदी व एक्वायर की गई व निर्मित संपत्ति में से कितनी संपत्ति समिति के पास रही और कितनी राजकीय विभागों के पास ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर नगर विकास समिति व बीकानेर नगर विकास न्यास द्वारा अपनी संपत्ति को राजकीय विभागों से लौटाने अथवा उनका मुआवजा दिलाने के बारे में सवाल उठाया है ?

(4) अगर यह सही है तो उक्त संपत्ति व उनके मूल्य का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व बीकानेर नगर विकास समिति नें अर्जित सम्पत्ति से जितनी जितनी लागत के भवन व बंगले व कुए बनवाए उनकी सूची संलग्न है।

चारणों के डेरे की भूमि मुआवजे पर देकर प्राप्त की गई थी।

नगर विकास समिति द्वारा कोई भी वाहन नहीं खरीदा गया।

(2) डेरे की भूमि तो नगर विकास समिति के पास रही तथा शेष सम्पत्ति जिसकी सूची संलग्न है सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास रही।

(3) जी हां।

(4) सूची संलग्न है।

सूची निर्माण एवं जो सम्पत्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग से नगर सुधार प्रन्यास को लेनी है।

1.	कुएं का निर्माण सादुलगंज में लागत राशि	21869-4-0
2.	भवन निर्माण कार्य	
	(अ) सिद्धों के डेरे में अस्तबल का निर्माण कार्य लागत मूल्य	25264-2-6
	(ब) अमर सिंह पुरा योजना में आठ क्वार्टरों का निर्माण लागत मूल्य	20370-2-0
	(स) गंगा म्यूजियम का निर्माण लागत मूल्य	42621-6-0
	(द) म्यूजियम में परिवर्तन एवं बढौतरी लागत मूल्य	29697-4-3
3.	बंगलों का निर्माण कार्य	
	(अ) देवी कुंड पर दो बंगलों का निर्माण कार्य लागत मूल्य	45210-15-3
	(ब) देवी कुंड सडक पर बंगलों का निर्माण कार्य लागत मूल्य	50749-12-0
	योग ..	2,35,782-14-0

अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल

606. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सीकर जिले में काफी अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल पैन्डिग पडे हैं? यदि हां, तो कितने समय से? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं। समस्त टी. ए. बिल्स दिनांक 21-12-67, 28-12-67 व 5-1-68 को अधीक्षक आरक्षी, सीकर के कार्यालय में प्राप्त हुए और उन सब टी. ए. बिल्स को ट्रेजरी सीकर में पास होने के लिये दिनांक 23-2-68 को भेज दिये गये हैं।

जल प्रदाय योजना, कस्बा पहाडी

607. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कस्वा पहाडी में जल–प्रदाय योजना का निर्माण कार्य मय टंकी और पाइप लाइन का पूरा हो गया है? यदि हां, तो उक्त कस्बे को पानी सप्लाई क्यों नहीं किया जाता?

उत्तर

जी हां, जल–वितरण शुरू कर दिया गया है।

अध्यापकों को ट्यूशन करने के आदेश

608. **श्री दौलत राम आगरी** (देसूरी-सु.): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने अध्यापकों को ट्यूशन करने का आदेश दे रखा है? यदि हां, तो एक अध्यापक कितने ट्यूशन कर सकता है?

(2) गांव सेवाडी, तहसील बाली, जिला पाली व सुमेरपुर, तहसील बाली, जिला पाली में पंचायत समिति के स्कूलों के अध्यापकों के पास कितने कितने ट्यूशन हैं? यदि उनके पास नियम के विरुद्ध ज्यादा ट्यूशन हैं तो सरकार क्या क्या कदम उठयेगी? सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश के अनुसार एक अध्यापक केवल 2 ट्यूशन कर सकता है।

(2) विकास आयुक्त के यहां से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार गांव सुमेरपुर के तीन अध्यापक सर्व श्री मिश्रीलाल गोविन्द सिंह व सीताराम के पास दो दो ट्यूशन हैं। गांव सेवडी की प्राथमिक शाला का कोई अध्यापक ट्यूशन नहीं कर रहा है।

वाहनों आदि के प्रवेश पर रोक

609. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर-पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के पुरुषार्थी बाजार, नला बाजार, डिग्गी व

(श्री भगवानदास शास्त्री)
दरगाह में मोटरों, तांगों आदि के जाने पर रोक लगा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या इस रोक को हटाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि पुरुषार्थी बाजार, डिग्गी बाजार व दरगाह बाजार में मोटरों तांगों आदि के जाने पर रोक लगादी है। यह सही है कि नला बाजार में मोटरों, तांगों आदि का आवागमन बन्द है।

(2) जी, नहीं।

सडक पर मिट्टी डलवाने का ठेका

610. **श्री देवीदत गाडिया** (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपरिषद, सीकर ने सन् 64 में स्व. प्रधान मंत्री श्री शास्त्री जी के सीकर आगमन पर महामन्दिर रोड पर सडक पर मिट्टी डलवाने का कोई ठेका दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस ठेके का न तो कोई टेन्डर ही दिया और न ही किसी अधिकारी ने वर्क ऑर्डर दिया ?

(3) इस कार्य का बिल कब बना तथा कितना रुपया ठेकेदार को दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि सडक पर जंगल काटने के नाम पर भी कुछ रुपया लिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि यह सडक शहर के बीच में है तथा यहां जंगल जैसी कोई चीज है ही नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि इस कार्य के संबंध में जिलाधीश को शिकायतें की गई हैं ?

(7) क्या यह सही है जिलाधीश ने इसकी जांच की है ? यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोटेशन मांगे गये थे।

(3) बिल दिनांक 8-6-66 को बना व दिनांक 17-6-66 को 1887.00 रुपया ठेकेदार को दिये गये।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। सडक शहर से बाहर है।

(6) जी हां।

(7) चूंकि अभी जांच जारी है। अत: जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

कस्बा भादरा में रेल्वे स्टेशन से गोगाजी के मंदिर तक सडक ठेका।

611. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गंगानगर जिले के कस्बा भादरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की

(श्री हंसराज आर्य)
मारफत नगरपालिका क्षेत्र में रेल्वे स्टेशन से लेकर गोगाजी के मन्दिर तक सडक का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो उस ठेकेदार का क्या नाम है ?

(3) इस सडक की कुल लम्बाई कितनी है ?

(4) इस सडक का ठेका कितने रुपये था ?

(5) क्या इस सडक को बनाने की अवधि समाप्त हो गई है ?

(6) क्या सडक बनकर तैयार हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(7) क्या इसके बरम बन चुके हैं ?

(8) इस सडक पर कितने इंच कंकर कूटा जाना था और क्या ठेकेदार द्वारा यह शर्त पूरी करदी गई है ?

(9) क्या इस सडक का पेमेन्ट पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितना पेमेन्ट बाकी है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद।

(3) लगभग आधा मील लम्बी है।

(4) ठेका 40,080) रु. का दिया गया था।

(5) जी हां।

(6) पटरी एवं डामर कार्य अर्थाभाव के कारण पूरा नहीं हुआ है।

(7) जी नहीं।

(8) 4 1/2 इन्च से 3 इंच तक कंकर कूटा जाना था उसके अनुसार काम कराया है।

(9) जी नहीं। 4,333) रु. ठेकेदार को दिया जाना बाकी है।

हरसाना कृषि विज्ञान विद्यालय में सामान की खरीद

612. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरसाना विद्यालय (अलवर) में कृषि अध्यापक को आये एक वर्ष हो चुका है ?

(2) क्या कृषि विज्ञान का सामान खरीदा जा चुका है ? यदि हां, तो कब व कितने रुपये का ? यदि नहीं खरीदा गया तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, इसी सत्र में 280.30 पैसे का सामान बजट प्रावधान के अनुसार खरीदा गया है।

जयपुर स्थित दवा बनाने वाली कम्पनियों को इम्पोर्ट लाइसेंस

613. **श्री महेन्द्रसिंह पंवार** : (गांधी नगर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर स्थित किस किस दवा बनाने वाली कम्पनी को इम्पोर्ट लाईसेन्स

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

कितने कितने रुपयों का दिया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन में कितनी ही ऐसी कम्पनियां भी हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा या तो ब्लेक लिस्ट किया हुआ है या उन्हें बेन किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन के इम्पोर्ट लाईसेन्स कैंसिल करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भारत सरकार के आयात-निर्यात विभाग के ज्वाइन्ट चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली ने सन् 1965-66 व 1966-67 में जिन जिन फर्मों को इम्पोर्ट लाईसेन्स दिये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, पर क्योंकि इनको ब्लेक लिस्ट या बैन करने का कारण आयात-निर्यात संबंधी नियमों का उल्लंघन करना नहीं रहा है, अतः इनको इम्पोर्ट लाईसेन्स कैन्सिल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सूची 1

उन फर्मों की सूची जिन्हें 1965-66 के लिये अयात लाईसेन्स दिया गया।

क्र. स.	फर्म का नाम	लाईसंस का मूल्य	विवरण
1.	मैसर्स राजस्थान फार्मास्यूटिकल्स लेबोरेट्रीज, जयपुर	7334।-	
2.	मैसर्स एलाईड केमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर।	18580।-	रुपये के अवमूल्यन के कारण लाईसेन्स की कीमत बढ़ गई।

सूची 2

उन फर्मों की सूची जिन्हें 1966-67 के लिये आयात लाईसेन्स दिया गया।

क्रम स.	फर्म का नाम	लाईसेन्स का मूल्य	विवरण
1.	मैसर्स बेनेचेम लेबोरेट्री, जयपुर	..	38266) रु. की सिफारिश की गई थी किन्तु लाईसेन्स कीमत आंकी नहीं गई।
2.	मैसर्स केमी टेके लेबोरेट्री, जयपुर ..	18165) 21345)	रुपये भुगतान
3.	मैसर्स राजस्थान फार्मास्यूटिकल लेबोरेट्री, जयपुर	26156)	,,
4.	मैसर्स स्टेनले लेबोरेट्री, जयपुर	5712)	,,
5.	मैसर्स एलाईड केमीकल एण्ड फार्मास्यूटिकल प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर	29460)	,,

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 255 की सूची)

अलवर में प्राइवेट प्रेस के मालिकों को दिये गये ऋण की सूची।

क्र. सं.	प्रेस का नाम	ऋण की रकम	ऋण स्वीकृति का दिनांक
(1)	मैसर्स महावीर इलेक्ट्रिक प्रेस, अलवर ..	500) रु.	28-3-65
(2)	राजपूताना इलेक्ट्रिक प्रेस, अलवर ..	5000) रु.	13-10-55
(3)	आर्य प्रेस, अलवर	3000) रु.	9-3-65
(4)	जगदीश प्रिन्टर्स, अलवर	4000) रु.	17-3-58
	,, ...	5000) रु.	19-9-60
(5)	प्रकाश चन्द्र बैसल शान्तिदूत प्रेस, खेडली ..	5000) रु.	16-1-61

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची)

नक्शा चोरी, नकबजनी अभियोग, थाना सवाई माधोपुर

तफसील जुर्म	साल	कुल रिपोर्ट्स	एफ. आर. अदम वकुआ	एफ. आर. अदम पता	एफ.आर. अदम सबूत	चालान	माल मशरूका रु.	माल बाजयापता रु.	रिमार्क
चोरी	1965	26	8	11	1	6	12753-59	11300-00	
	1966	29	4	19	2	4	5997-50	1998-50	
	1967	38	7	14	2	15	5907-50	4644-00	
नकबजनी ..	1965	46	3	32	..	11	13478-08	1338-34	
	1966	52	6	25	1	20	14261-08	2908-08	
	1967	30	3	10	..	13	24372-11	17053-00	नोट:–26 अभियोग सन् 1967 नकबजनी अनुसंधानाधीन हैं।

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 1968)

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
4	4	एडवटिइजमेन्ट	एडवरटाइजमेन्ट
5	7	प	आप
5	अन्तिम से 4	श्री दामदरलाल व्यास	श्री दामोदर लाल व्यास
6	12	श्री लाचन्द वैद	श्री लाभचन्द वैद
7	अन्तिम से 3	श्रं रघनाथ विश्नई	श्री रघुनाथ विश्नोई
7	अन्तिम	श्रमती सुमित्रा सिह	श्रीमती सुमित्रा सिंह
8	अन्तिम से 7	न्जोनियर	इन्जीनियर
15	,, 10	श्री हते सि	श्री खेतसिंह
15	,, 5	श्रे खेतहि	श्री खेत सिंह
16	1	नम-का थाना	नीम का थाना
16	अन्तिम से 9	राज्य मन्त्री, जन स ा थ्य (श्रीमा सुमित्रा सिंह)	राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा सिंह)
18	,, 6	उप ं त्री	उप मन्त्री
25	15	श्री रामप्रसाद लड्ा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
25	21	लकिन	लेकिन
27	1	श्री वजय सिंह रावत	श्री विजय सिंह रावत
29	7	इस पत्र को की	इस पत्र को
51	अन्तिम से 6	रिसच	रिसर्च
58	1	किरयेदार	किरायेदार
58	13	औथारिटी	औथरटी
61	6	ट्रेंग	ट्रेनिंग
61	7	श्र रतलाल रोन	श्री रतनलाल रोत
67	5 व 6 के बीच में	-----	अतारांकित प्रश्नोत्तर
68	अंतिम से 6	नय	नये
71	7	सेनो	सोनी
77	अन्तिम से 13	लक्ष्मीकुमरी	लक्ष्मीकुमारी
83	18	म	में
85	अन्तिम से 3	बतान	बताने
89	1	क	के
,,	अन्तिम से 3	जी,	जी हां,
91	शीर्ष	रामानन्द्र	रामानन्द
96	1	म	में
,,	अन्तिम से 15	पी सांगन	पीसांगन
97	अन्तिम से 4	ह	है
98	16	इसक	इसके
99	शीर्षक	घ्यानाकषण	ध्यानाकर्षण
104	अन्तिम से 15	इन्फामशन	इन्फोर्मेशन
107	3	श्री मूलचद	श्री मूलचन्द

1	2	3	4
109	4	मुकश्लि	मुश्किल
110	8	श्री जयना ा ण	श्री जयनारायण
,,	अन्तिम से 2	ह	है.
111	3	हा ड	हाड़ा
,,	10	श्री मूलच द	श्री मूलचन्द
,,	अन्तिम	रख	रखें
112	1	का	को
114	9	श्री नत्थी ह	श्री नत्थीसिंह
129	2	लगायें	लगायेंगे
133	अन्तिम से 8	80.87 रु.	व्यय रु. 80.87
134	7	देश	देश की
135	3	ैक्स	टैक्स
,,	7	तल	तेल
,,	अन्तिम	तो	मानें तो
,,	,,	फटबाल	फुटबाल
139	15	फिट	फीट
140	17	इतनो	इतना
144	अन्तिम से 10	श्री रेशनलाल	श्री रोशनलाल
148	14	श्री ा ोकुलप्रसाद	श्री गोकुलप्रसाद
149	15	धूले	धुले
150	9	श्री गोकुलप्रसाद सारण	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
,,	10,14	कार्यक र्ता	कार्यकर्त्ता
151	1	रेवन्यू	रेवेन्यू
,,	2	ही जानते या	भी जानते हैं या
,,	3	भी	ही
,,	17	वह ा	बहस
152	16	वदनाम ।	वदनाम
,,	24	धाटा	घाटा
153	12	महोदया	महोदय
155	शीर्ष	श्री गोकुलप्रशाद	श्री गोकुलप्रसाद
157	8	पंतीस	पंतीस प्रतिशत
161	अन्तिम से 14	प्त	पर
,,	अन्तिम से 2	प्राप्ति की	प्राप्ति का
163	अन्तिम से 12	उनके	उसके
,,	अन्तिम से 1	आवश्यका पढ़ी	आवश्यकता पड़ी
164	4	उतना	उतनी
,,	10	नीग्लीजीबल	नेग्लीजेबल
,,	अन्तिम	मैं	में
166	अन्तिम	कार्प	कार्य
167	शीर्ष	कथूरिय	कथूरिया
,,	4	यदि	—

1	2	3	4
167	10	श्रृंखला की	श्रृंखला को
,,	अन्तिम से 4	में	में
168	6	टेक्सों	टैक्सों
,,	8	डूयूटी	ड्यूटी
169	11	खजने	खजाने
170	अन्तिम से 3	क कार्य म	के कार्य में
171	अन्तिम से 15	क	के
172	अन्तिम से 8	रवेत	खाते
173	15	न लेने	चलने
,,	,,	दूसरी	दूसरे
175	अन्तिम से 3	हे	है
176	8	मंहग	मंहगा
180	14	कड	एकड़
181	13	म	में
182	अन्तिम से 4	लये	लिये
184	अन्तिम से 2	डयूटीज	ड्यूटीज
186	6	सरवे	सर्वे
188	अन्तिम से 7	में	मैं
192	अन्तिम से 10	जबाब	जवाब
197	अन्तिम	करत	करता
198	7	वत	बात
,,	अन्तिम से 10	उपाध्यक्ष महोदय	सभापति महोदय
199	6	करे	करें
,,	अन्तिम से 9	घोटाला हुआ और हुआ और	घोटाला हुआ और
201	6	चण्डावत	चूण्डावत
202	4	ान	स्थान
,,	6	म	मैं
,,	अन्तिम से 4	चहिये	चाहिये
203	अन्तिम से 6	मामनीय सदस्य	माननीय सदस्या
204	14	मे	मैं
,,	अन्तिम से 8	बहमी	वाहमी
205	अन्तिम 8 व 11	म	में
206	18	काश्तकारों	काश्तकारों
,,	अन्तिम से 3	स्कृति	संस्कृति
207	2	स	इस
,,	12	भरेगी	लागू करेगी
208	7	भूठे	झूटे
,,	अन्तिम से 2 व 4 के बीच में	—	XXX
210	अन्तिम से 2 व 4 के बीच में	—	XXX
234	15	लेबोरेंट्रीज	लेबोरेट्रीज